हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176 215 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्टेटमैंट देना चाहता हूं। मुझे इस सदन को बड़े खेद से बताना पड़ रहा है कि गत रात्रि कुल्लू के प्रसिद्ध भगवान् श्री रघुनाथ जी के मंदिर में चोरी की घटना हुई। अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वहां की कुछ प्रमुख मूर्तियां, जिनमें भगवान् श्री रघुनाथ जी की मूर्ति भी शामिल है , चोरी हुई है। इस सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक , कुल्लू एवं अन्य पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना के अधिवेषण से संबंधित कार्रवाई तत्काल प्रारम्भ कर दी है। डॉग स्क्वैड तथा फौरेंसिक साइंस लैब की टीम भी मौके का जायजा लेने भेज दी गई है। निकटवर्ती जिलों को सतर्क कर दिया गया है तथा विभिन्न स्थानों पर नाके लगा दिये गये हैं। कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में पुलिस के होमगार्डस तैनात नहीं थे क्योंकि निजी सुरक्षा व्यवस्था थी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए ए0डी0जी0, लॉ एंड ऑर्डर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच तत्परता से करने के आदेश दे दिए हैं।

अध्यक्षः प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, सचमुच में बड़ी गम्भीर घटना है और कानून-व्यवस्था की स्थिति आज क्या हो गई है इसका भी स्पष्ट प्रमाण है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही इसी मंदिर से चांदी के कुछ आभूषण चोरी हुए थे। क्या उसके पश्चात् यह आवश्यकता नहीं थी कि वहां पर समुचित प्रबन्ध किये जाते ताकि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे सूचना मिली है, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी सूचना आ गई होगी कि मॉडस ऑपरैंडी वही है। उसी तरीके से चोरी हुई है जिस तरीके से पहले चांदी की चोरी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि वह प्लानिंग पहले से चल रही थी। अगर वहां पर

प्रबन्धन चुस्त होता और इस घटना का नोटिस पहले लिया गया होता तो आज इस बहुमूल्य मूर्ति की चोरी नहीं होती, जिसके नेतृत्व में कुल्लू के दशहरे का जुलूस

निकाला जाता है। प्रोसैशन उसी में चलता है। उसी को अपनी श्रद्धा और रिस्पैक्ट पे करने के लिए सारे कुल्लू घाटी के देवता आते हैं और इसमें मुझे जहां तक जानकारी है, उसे मुख्य मंत्री जी कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पर जो सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे हुए हैं वे बाहर हैं जबकि मूर्तियां अंदर लगी हुई हैं। वे सी0सी0टी0वी0 कैमरे अंदर होने चाहिए थे। विशेषकर जब यह घटना पहले घटी थी तो उसके बाद कैमरे अंदर होने चाहिए थे। यह बहुत खेदजनक है। हम चाहेंगे कि ऐसे मामले जो चोरियों के हो रहे हैं, मैं इसके साथ जोड़ना तो नहीं चाहता था..

जारी श्रीमती के0एस0

09/**1105/2014-12-केएस/एजी/1**

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी----

मैं इसके साथ जोड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन जितना वन कटान हुआ है, वहां की लकड़ी भी गायब है। कोई न कोई ऐसा ऐलिमैंट काम कर रहा है कि जो कुछ चोरी हो रहा है वह सब कुछ गुम होता जा रहा है, मिल नहीं रहा है और पर्टिकुलरली उस इंसिडैंट के बाद जब वहां से सिल्वर चोरी हुआ था ,अगर सावधानी बरती जाती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना टाली जा सकती थी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो मंदिर है यह निजी मंदिर है और निजी नियंत्रण में है। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहां पर किसी प्रकार का सरकारी पुलिस या होम गार्ड का पहरा नहीं है और न हीं वहां के मंदिर के प्रबन्धकों ने ऐसी कोई मांग की है। मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी से पूर्णतः सहमत हूं कि वहां पर पहली घटना के बाद प्रबन्धकों को चाहिए था कि वे पुलिस या किसी अन्य किस्म की सुरक्षा की मांग करते और जो इन्होंने कैमरों की बात की है मंदिर के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी कैमरे लग सकते हैं और ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है । अभी तक यह हुआ नहीं है और मूल मूर्तियां भी वहां से चोरी हो गई है। अब कोशिश यह की जा रही है कि उन मूर्तियों को बरामद किया जाए और सरकार इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी।

09/1105/2014-12-केएस/एजी/2

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी और विपक्ष के नेता ने कहा, यह जो रघुनाथ जी का मंदिर है यह मूर्तियां भगवान रघुनाथ, राम जी व सीता जी की अयोध्या से 1860 में आई । सुल्तानपुर में हमारे घर के नज़दीक ही इनकी स्थापना हुई, मंदिर बना, दशहरा का कार्यक्रम चला, पूरे कुल्लू जिला की आस्था भगवान राम में मानी जाती है । भगवान हर जगह है लेकिन कुल्लू दशहरा की वजह से न केवल कुल्लू में व पूरे हिमाचल में बल्कि नेशनल लैवल पर इसका नाम है। यह घटना जो घटी है उससे पहले जैसे अभी कहा गया 21 जनवरी की रात यानि 22 जनवरी की सुबह हमें मालूम पड़ा ,वहां चोरी का प्रयास किया गया था। चोर गुप्त दरवाज़े से आए। वे कोई भेदी ही होंगे। उस समय वे मूर्तियां नहीं उठा पाए और चांदी का सामान ले कर चले गए। उसके बाद अब यह हो गया। मैं तो कल रात देहरादून से साढ़े ग्यारह बजे यहां पहुंचा । मुझे किसी काम से वहां जाना था और प्रातः काल ही मैंने पढ़ा कि ऐसा-ऐसा हुआ। जब सुबह पुजारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसी स्थान पर भगवान श्री राम, सीता जी की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की मूर्ति उठाकर चोर ले गए हैं। अब जैसे मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मैं चाहूंगा कि इस पर तुरन्त कार्रवाई हो क्योंकि पूरा हिमाचल व कुल्लू जिला की जनता परेशान है तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पर सक्रिय रूप से कार्य किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी चोरों का पता चल सके।

09/1105/2014-12-केएस/एजी/3

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बारे में कह दिया है और कार्रवाई हो रही है । Let us take up the Question Hour now. महेन्द्र सिंह जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, नियम, 67 के अन्तर्गत मैंने आज आपसे अनुरोध किया है कि एच.आर.टी.सी. में जो टी.एम.पी.ए. की भर्ती हो रही है, उस भर्ती में जैसे अमर उजाला में आज प्रमुख पेज़ पर लिखा गया है , उसके मुताबिक बहुत बड़ी धांधली उस भर्ती में हो रही है। हम यह चाहते हैं कि जहां 680 पद भरे जा रहे हैं उनमें से लगभग 457 पद मंत्री जी ने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को 80 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर दे कर पास किया गया है ।माननीय अध्यक्ष जी, इसमें

फैसला लिया गया था कि इसके रिटन एग्जामिनेशन को तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंपा गया था। तकनीकी शिक्षा विभाग---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.12.2014/1110/jt-av/1

श्री महेन्द्र सिंह :-- जारी

तकनीकी शिक्षा विभाग को जब यह सौंपा गया उसके बाद ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने बी.ओ.डी. की बैठक बुलाई और बी.ओ.डी. की बैठक में निर्णय लिया गया कि तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षा लेगा। लेकिन उसके लिए ऐग्जामिनेशन का जो (---व्यवधान---)

Speaker: You don't have to explain the things. आप क्या चाहते हैं, आप बताइए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल हो जाए , उसके बाद any issue can be raised.

Speaker: Why are you raising it now?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि सबसे पहले इस विषय पर चर्चा की जाए और शेष कार्य उसके बाद किया जाए। हमारी आपसे प्रार्थना है। (---व्यवधान---) इसलिए प्रार्थना है (---व्यवधान---)

अध्यक्ष :मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास आपका नोटिस आ गया है। मैंने उसे सरकार को कमैंट्स के लिए भेजा है। जब वह आ जायेगा . So, when the time comes, we will take up the issue.

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम इस मुद्दे पर आज चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। हम यह चाहते हैं कि नियमों के अनुरूप 67 के अंतर्गत हमने जो आपको प्रस्ताव दिया है सबसे पहले आप उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा करने के उपरांत हाउस का बाकी बिजनैस आगे बढ़ाइए। हमारी आपसे यह प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना इसलिए है क्योंकि इसके विभिन्न मण्डलों में आजकल साक्षात्कार हो रहे हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं (---व्यवधान---)

9.12.2014/1110/jt-av/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बैठ जाइए, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैंने आपका नोटिस रिसीव कर लिया है और गवर्नमैंट

को कमैंट्स के लिए भेजा है। Whenever I get it, I will consider कि क्या उस पर ऐक्शन लेना है या क्या नहीं लेना है। आप गवर्नमैंट की रिपोर्ट तो आने दीजिए तभी उस पर ऐक्श न होगा। I will consider whether it should be taken. मैं पहले इसको देख लूंगा कि इसको नियम 67 के अंतर्गत लगाना है या किसी और नियम के तहत लगाना है। I will decide later on. जब गवर्नमैंट की रिपोर्ट आयेगी इस पर तब डिसाईड होगा।

9.12.2014/1110/jt-av/3

(प्रश्नकाल आरम्भ)

प्रश्न संख्या : 1361

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में गाड़ियों की पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में इस वक्त केवल 687 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी गाड़ियों की पार्किंग प्रपोज्ड है। मैं यह जानना चाहता हूं कि शिमला में अभी तक लोकल गाड़ियों की संख्या कितनी है , जो वहीं पर पार्क होती है? बड़े स्तर पर बाहर से जो लोग आते हैं उनकी कितनी गाड़ियां दैनिक आधार पर शिमला में ऐंटर करती है तथा उनकी पार्किंग शिमला में होती है? उन सबके अलावा शिमला में डेली कितनी नई गाड़ियां रजिस्टर हो रही है ? क्या इन सभी गाड़ियों की पार्किंग के लिए इन्होंने कोई प्रबंध किया है ताकि उनको कहीं पार्क किया जा सके ? आपने जो उत्तर में बताया है उसमें तो आपने सिर्फ रेवन्यू पेपर कुलैक्ट किए हैं और फॉरैस्ट लैण्ड है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फॉरैस्ट लैण्ड पर आपने जो पार्किंग प्रपोज की है उनमें से कितने स्थानों हेतु आपने एफ.सी.ए. की परमिशन के लिए अभी तक अप्लाई किया है? जिनकी परमिशन मिल गई है उनका काम कब तक शुरु होगा तथा टोटल पार्किंग निर्माण में कितना पैसा लगेगा ? क्या नगर निगम उतना पैसा खर्च करके उन पार्किंग का बना सकती है ? अगर हां, तो कब तक बना सकती है?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिमला में जो गाड़ियों की स्थिति है उसमें आर.टी.ओ.(शिमला) के पास 19, 924गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं-----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

09.12.2014/1115/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः .1361जारी....

माननीय शहरी विकास मंत्री ... जारी..

19924गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। एस.टी.ए. शिमला के पास 17241 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। एस.डी.एम., शिमला (ग्रामीण) के पास 16767 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और एस.डी.एम., शिमला (शहरी) के पास 25366 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास 31.3.2014तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार शिमला शहर में कुल 79298 रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। इसके अलावा शिमला शहर में जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उसकी कोई ऐसी स्टडी नहीं की गई है कि कितनी गाड़ियां बाहर से आती हैं। जब पीक सीजन होता है उस समय इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और सामान्य समय में इनकी संख्या कम रहती है। लगभग-लगभग अगर आप अनुमान लगाएं तो पीक सीजन में शिमला शहर में गाड़ियों की संख्या डबल या ट्रिप्पल हो जाती है। यह सही है कि अभी तक शिमला शहर में 687 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था है। इसके अलावा अभी पीछे हमने एक्सर्साइज़ करके म्युनिसिपल कार्पोरेशन शिमला को निर्देश दिए थे कि जो 49 नए स्थान चुना है जहां पर नए पार्किन्ग्ज़ बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि पी.पी.पी. मोड में भी 4 नई बड़ी पार्किन्ज़ वहां पर आ रही हैं। वो सेन्ट्रलाइज़्ड़ पार्किन्ग हैं ,जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियां एक जगह खड़ी कर सकेंगे। हमने अब इस चीज़ पर जोर दिया है कि डि-सेन्ट्रलाइज़ करके वार्डज़ के अन्दर छोटे पार्किन्ग बनाए जाएं जहां 100-50गाड़ियां पार्क हों ताकि सड़कों पर यातायात व्यवस्था ठीक रहे, गाड़ियां सड़कों से हट जाएं। उसके लिए भी हमने स्थान चिन्हित किया है और उसमें क्योंकि अभी एक - डेढ़ महीने पहले सारी एक्सर्साइज़ शुरू हुई है, कुछ जगह के रेवेन्यु पेपर्ज़ आ गए हैं । जहां पर फोरेस्ट लैंड है उसकी फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए फोरेस्ट को केस जाना है, उसके ऊपर काम चल रहा है । मैं समझता हूं कि यह भी स्फिशियंट नहीं है। अगर आप देखें तो 49 पार्किंग्ज़ बनाने के बाद भी हम वहां पर लगभग 2000 गाड़ियां पार्क कर पाएंगे। तो इससे भी पार्किन्ग का समाधान नही होगा । मैं समझता हूं कि शिमला जैसा शहर

09.12.2014/1115/negi/jt/2

जो हमारा कैपिटल है ,वहां पर एक इंटेग्रेटिड मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस तरह की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोग अपनी गाड़ी

इस्तेमाल न करके कोई दूसरे साधन का इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार गम्भीर है । अभी रोप-वेज़ की एक बिड मंगवायी गई है । एक रोप-वे शिमला मेन बस-स्टैंड जो बाईपास पर है, फरहिल होटल से लिफ्ट तक ले जाएंगे। फरहिल होटल से लिफ्ट तक एक स्टैंड है । लिफ्ट से जोधा निवास तक दूसरा स्पैन है । जिसकी लम्बाई 3.3 किलोमीटर है और इसपर 150 करोड़ रूपये की लागत आएगी । 15 दिसम्बर को इसकी बिडज़ एच.पी.आई.डी.बी. ने इन्वाइट की है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप प्लाई ओवर्ज़ का भी पॉसिबिलिटी देख लें।

श्री सुरेश भारद्वाज़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसे अपने उत्तर में कहा है कि शिमला में गाड़ियों की संख्या लगभग 79 हजार लोकल रजिस्टर्ड हैं और बाहर से जो गाड़ियां आती हैं उनकी संख्या लाखों में है। लेकिन अभी तक वहां पर केवल 687 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था है। जो इन्होंने प्रपोज़ की हैं उसमें केवल 2012 गाड़ियों को पार्क करने की प्रपोजल है जिसके लिए इन्होंने पार्किन्ग बनाने को कहा है । इनके मुताबिक उसमें एक को छोड़ कर बाकी किसी की भी फोरेस्ट क्लीयरेंस के लिए अभी तक केस गया भी नही है केवल रेवेन्यु पेपर्ज़ कुलैक्ट किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिमला में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर गाड़ियों की पार्किन्ग की व्यवस्था हो सकती है । अगर पी.पी.पी. मोड़ के आधार पर भी बनाएं या अन्य माध्यम से बनाएं। जैसे जहां पुल बना है या सुरंग बनी है वहां पर बहुत बड़ी पार्किन्ग आई.जी.एम.सी. तक बन सकती है। ऐसे ही सैंट ज़ेवियर स्कूल के पास संजौली में...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

09/1120/2014-12-यूके/एजी/1
प्रश्न संख्या - --1361क्रमागत----
श्री सुरेश भारद्वाज----जारी-----
सैंट जैवियर स्कूल संजौली के पास पार्किंग की फॉरेस्ट की क्लियरेंस आए बहुत समय हो गया है । उसमें पैसा भी जमा हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर्किंग, जिसमें फॉरेस्ट क्लियरैंस हो चुकी है, जो आपके पास क्लियर हैं , उन पर काम किसी भी मोड पर करें, पी0पी0पी0 मोड पर करें, सरकारी करें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करे, उसको करने का प्रावधन क्या ये शीघ्रातिशीघ्र करेंगे ? दूसरे शिमला में रेलवे की बहुत सारी जमीन है । जो सैंन्ट्रल

शिमला में पुराने बस स्टैंड के साथ लगती है । वहां पर रेलवे वाले स्वयं अपनी एक छोटी सी पार्किंग बना रहे हैं । लेकिन उसमें बहुत बड़ी जमीन क्योंकि यह रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक नहीं आती है । पहले माल वहां माल गोदाम तक आती थी । क्या उस भूमि को लेकर के वहां पर पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए या तो रेलवे से कहें या लीज़ पर ले करके प्रदेश सरकार या म्यूनिसपल कॉरपोरेशन या पी0पी0मोड पर पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न माननीय मंत्री जी करेंगे ? तीसरे मैं जानना चाहता हूं कि जो ये रोपवे वाला कह रहे हैं ,अभी जो एक रोपवे शिवालिक से जाखू तक बनना है । उसको लगभग 8-1 0साल हो चुके हैं । उस पर तो काम हो नहीं रहा है वे अलग से अपनी मंजिले बढ़ाने के लिए बार-बार ऐप्लाई करते रहते हैं 13मंजिल का वह हो गया है ,वह होटल बनेगा । उनका होटल वहां पर बन जाए उस पर रोप वे बने या न बने इसमें उनको कोई इन्टरस्ट नहीं हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रोपोजल आयी है आई0एस0बी0टी0 से जोधा निवास तक ये ला रहे हैं, जो ऑलरेडी चल रही है, उस रोपवे को कब तक बनाएंगे और यह जो अपना रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बनाने वाले हैं, उसके लिए अभी तक इन्होंने क्या योजना बनाई है और कब तक यह योजना पूरी करेंगे ?

09/1120/2014-12-यूके/एजी/2

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि शिमला के अन्दर ऐसे और भी स्थान हैं, जहां पर पी0पी0पी0 मोड पर पार्किंग आ सकती हैं । मेरा इनसे यह निवेदन रहेगा कि ये उन सभी स्थानों की एक सूची दें क्योंकि ये स्थानीय विधायक हैं तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र पी0पी0पी0 मोड पर वहां हम पार्किंग्स बनाने का प्रयास करें । दूसरे आपने कहा कि ऑकलैण्ड के साथ जो पुल बना है, वहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग आ सकती है । वहां पर पार्किंग और जो हमारा स्नोडन अस्पताल है उसके ओ0पी0डी0 ब्लॉक का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, वह बनने जा रहा है उससे भी काफी लाभ जो वहां पर मरीज आई0जी0एम0सी0 में आएंगे उनको गाड़ियां खड़ी करने में और ओ0पी0डी0 में जाने का मिलेगा । दूसरा, हमने जितनी भी साईट्स आईडैंटिफाई की हैं । इनको कलस्टर करके या जहां पर ज्यादा कैपेसिटी है जो वॉयबल हैं पी0पी0पी0 मोड पर जाने के लिए 100/50 गाड़ियों की पार्किंग हैं, उनको पी0पी0पी0

मोड पर शीघ्राशीघ्र HPIDB को भेज करके हम इसकी बिडिंग प्रोस्सेस शुरू करेंगे। कुछ के ऊपर , आप जानते हैं, 4 के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा जो आपने जाखू रोपवे के बारे में कहा, उसका जो काम है अभी जहां से उसका मेन डेक आना था नीचे होटल शिवालिक के साथ, यू0एस0 क्लब के गेट के साथ होते हुए ऊपर जाखू तक जायेगा। उसमें मेन बिल्डिंग का काम हो चुका है लेकिन रोपवे का काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यह काम वर्ष 2003में अवॉर्ड हुआ था। और वर्ष 2006में भारत सरकार की एक नोटिफिकेशन आ गयी कि ऐसे जितने भी प्रोजैक्ट्स पूरे देश में हैं उनके लिए आपको एन्वायरनमैंटल क्लियरैंस लेनी पड़ेगी। इन्होंने भारत सरकार को अपना केस रिप्रेजेंट किया कि क्योंकि हमारा पहले का केस दिया हुआ है तो इसलिए इसमें हमें एन्वायरनमैंटल क्लियरैंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने उसको डिनाई किया कि जो नोटिफिकेशन 2006 की हुई

09/1120/2014-12-यूके/एजी/3

थी उसके मुताबिक आप यह क्लियरैंस लीजिए। तो इन्होंने उस क्लियरैंस के लिए ऐप्लाई किया हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द वहां से क्लियरैंस ले कर आएं। ताकि यह रोपवे शीघ्रातिशीघ्र चले 30 ,करोड़ के लगभग इसका काम था। दूसरे जो आप कह रहे हैं कि इतना लम्बा डिले क्यों हो गया ? तो मैं कहना चाहूंगा कि यह रोपवे कोई 8-10 साल पुराना नहीं है, आपको याद होगा बहुत वर्ष पहले एक बार शुरु-शरु में गोल्डन फॉरेस्ट ने आकर सबसे पहले यहां शिलान्यास किया था। तो उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद अब जा कर के इस स्थिति तक पहुंचा है। अब जो यह प्रोपोज्ड है, टूटीकंडी बस स्टैंड से जोधा निवास तक इसको 3 वर्ष का समय दिया जायेगा। उसके बाद उसको पेनल्टी की कंडिशन्स भी बीच में डाली हुई हैं।

एसएलएस द्वारा जारी-----

09.12.2014/1125/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 1361.. क्रमागत

अध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। (व्यवधान) भारद्वाज जी, आप अपना अंतिम सप्लीमैंटरी पूछिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि शिमला में पार्किंग की बड़ी भयंकर समस्या है जिसके कारण यहां पर भी दिल्ली और मुम्बई की ही तरह ही रोड जॉम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, जो प्राईवेट जगहें हैं ,जिनमें से कई ग्रीन एरिया में भी हैं लेकिन वहां तक गाड़ी जा सकती है, अगर उन प्राईवेट जगहों पर लोग अपनी सार्वजनिक पार्किंग बनाना चाहते हैं तो क्या उनको अनुमति मिलेगी? जो मकान बन रहे हैं या जो पुराने मकान बने हैं, क्या मंत्री जी उनमें पार्किंग के लिए आवश्यकता होने पर अलग से मंजिल पास करने का विचार रखते हैं?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव आया है। इसमें ग्रीन एरिया भी इन्वाल्व है, इसलिए यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल तक जाएगा। जहां तक इन्होंने अतिरिक्त मंजिल देने के प्रावधान की बात की है कि यह होगा या नहीं होगा, इसमें आपका सुझाव आया है और इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

09.12.2014/1125/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 1362

अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री यादविन्द्र गोमा (अनुपस्थित)

09.12.2014/1125/SLS-AG-3

प्रश्न संख्या : 1363

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर से लगता है कि सरकाघाट और बलद्वाड़ा तहसील में तकसीम और निशानदेही के काम नहीं हो रहे हैं। It is a total system failure. मैं ऐसा समझता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है उससे लगता है कि तकसीम के 515 तथा निशानदेही के 725 केसिज पैंडिंग हैं और यह केसिज वर्ष 2007 , 2008 और 2010 के हैं। ऐसा लगता है कि विभाग या तो पिक एंड चूज तरीके से काम कर रहा है या इसके लिए कोई रोस्टर नहीं है। First come first basis पर काम होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। प्रभावशाली व्यक्ति का काम हो जाता है लेकिन जन-साधारण को फंसा देते हैं ; किसी-न-किसी बहाने से

उनको टाल दिया जाता है। विभागीय अकाऊंटेबिलिटी नहीं है। And there is no monitoring whatsoever. मैं ऐसा समझता हूं। अगर मोनिटरिंग होती तो ऐसी डिसमल पोजिशन न होती।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो खामियां हैं, इनमें कब सुधार होगा और कैसे सुघार होगा , ताकि लोगों को राहत मिले? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैंटरी है कि डिमार्केशन के लिए कंपीटैंट अथारिटी कानूनगो होता है। अभी यहां पर डिमार्केशन या निशानदेही के बहुत से केसिज पैंडिंग हैं ,अगर इतने ज्यादा केसिज पैंडिंग हैं तो वह पटवारी , जिसकी सर्विस 15 साल या इससे ऊपर हो गई है और जो कानूनगो का अग्जाम पास कर चुका है ,उसको अथारिटी दी जाए कि वह डिमार्केशन का काम करे ताकि लोगों को राहत मिले और सामाजिक झगड़े कम हों। कई पटवारखानों पर ताले भी लगे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन तालों को खुलवाने की भी आप कृपा करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि तहसील सरकाघाट और बलद्वाड़ा में

09.12.2014/1125/SLS-AG-4

तकसीम के केसिज वर्ष 2007 से पैंडिंग पड़े हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये क्वासि-ज्यूडिशियल मैटर्ज़ हैं।

ज़ारी ...गर्ग जी

09/12/2014/1130/RG/JT/1
प्रश्न सं. -----1363क्रमागत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----क्रमागत

तक्सीम के लिए एक व्यक्ति दरख्वास्त देता है और जिसके पास कब्जा होता है उसकी कोशिश होती है कि इसको प्रौलॉग किया जाए और इसमें प्रोसीजर भी ऐसा है ,एक तो उनको इत्तिलाह करना ,जब उनको सम्मन जाते हैं, तो वह evade इवैड करने की कोशिश करता है और कई बार जब तीन-चार बार सम्मन जाने के पश्चात जब पब्लिकेशन की जाती है, समाचार-पत्रों में इश्तहार देते हैं ,उसके बाद भी कई

बार वे गैर-हाज़िर हो जाते हैं और फिर आकर कहते हैं कि मेरे खिलाफ एकतरफा कार्रवाई हुई है ,इसको सैट एसाइड किया जाए। तो इस प्रकार बहुत समय लग जाता है। यह ठीक है कि वर्ष 2007 से तक्सीजम के मामले लम्बित हैं और अभी तक डिसाइड नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो हमारे Financial Commissioner(Revenue) और Financial Commissioner(Appeals) हैं ,वे दोनों इनको हर महीने अब रिव्यु कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी जिला चम्बा ,मण्डी के डिवीजनल कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर्ज और एस.डी.एम. जो कलैक्टर की डियुटी परफॉर्म करते हैं और तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार हर तहसील में रिव्यु किया है और उनको strict instructions दी हैं इन तक्सीअम एवं डिमारकेशन के मामलों को जल्दी-से-जल्दी निपटाया जाए क्योंकि डिमारकेशन भी इसके साथ है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ठीक कहा कि कई जगह हमारे कानूनगो के पास -12 12पटवार सर्कल्ज हैं और 400-500 ऐपलीकेशन्ज आ जाती हैं ,तो it is not possible for that Kanungo. वह हर जगह जाकर डिमारकेशन नहीं दे सकता। इसलिए हमने यह भी फैसला किया है कि पटवारियों को भी हम डिमारकेशन के अधिकार दे रहे हैं ताकि वे अपने पटवार सर्कल के अन्दर डिमारकेशन कर सकें और लोगों को हो रही तकलीफ का वे निवारण करें। इसके अतिरिक्त हम Rationalization of Kanungo Circle भी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसोसियेशन के लोगों ने भी मांग की थी कि कई जगह 10 पटवार सर्कल हैं और कई जगह 12 पटवार सर्कल हैं। उनकी मांग तो यह थी कि चार पटवार सर्कल पर एक कानूनगो होना चाहिए। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर समझते हैं ,इससे ज्यादा वित्तीय संकट पैदा

09/12/2014/1130/RG/JT/2

होगा। लेकिन 6 पटवार सर्कल तक ,हम चाहते हैं कि एक कानूनगो 6 पटवारियों पर एक कानूनगो बैठे ताकि लोगों की जो राजस्व से संबंधित समस्या है चाहे वह तक्सीनम की समस्या है, हल हो सके। तक्सी म में भी जब तहसीलदार फैसला कर देता है मोड ऑफ पार्टिशन ,तो वह जाकर कानूनगो करता है और जब कानूनगो

मोड ऑफ पार्टिशन फाइल करके फिर असिसटैंट कलैक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास जाता है उस समय फिर दोनों पार्टीज़ को अपॉच्युनिटी देनी पड़ती है कि आपको कोई ऑब्जैक्शन है या नहीं। उसके मुताबिक ही इसमें टाइम काफी लग जाता है। लेकिन हमने यह हिदायत दी है कि जो पटवारी और कानूनगो हैं और जो हमारे असिसटैंट कलैक्टर फर्स्ट ग्रेड हैं ,तक्सीनम और डिमारकेशन के आधार पर उनकी ए.सी.आर्ज़ भी लिखी जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि पटवारियों के यहां ताले लगे हैं। ठीक है कि ताले लगे हैं। यह हमारे समय से नहीं बल्कि आपके समय से ताले लगे हैं। जब हमारी सरकार आई, तो मैंने पता किया कि कितने पटवार सर्कल खाली हैं? उस समय 5 60 पटवार सर्कल खाली थे और मेरे पटवार सर्कल चौहार घाटी में 6 पटवार सर्कल में एक पटवारी होता था। 12 पर दो थे ,लेकिन अब 12 पर 6 पटवारी हैं ,पहले 12 पर दो होते थे। मैं यह बता सकता हूं। फिर हमने कहा कि 560पटवारियों की पोस्ट्ज खाली हैं ,इनकी ट्रेनिंग कितने साल की है? तो इनकी दो वर्ष की ट्रेनिंग है ,मैंने पूछा कि दो साल में कितने पटवारी रिटायर हो रहे हैं ? तो अब जो दो साल के बाद पटवारी रिटायर होंगे और 778 पटवारियों की ट्रेनिंग इस समय हिमाचल प्रदेश में चल रही है। दो साल के बाद किसी पटवार सर्कल में ताला नहीं होगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह भी हमारी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज तक इससे पहले इतने पटवारियों को कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई जितनी आज 778 पटवारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से बिल्कुल सहमत हूं। इसी तरह से बल्दवाड़ा, झण्डुता तहसील और नदौन में भी ऐसी समस्या है। **इस समस्या का हम जल्दी-से-जल्दी निपटारा करने की कोशिश करेंगे।** ----**(व्यवधान)**----

(कुछ माननीय प्रश्न पूछने के लिए अपने-अपने हाथ खड़े कर रहे थे।)

09/12/2014/1130/RG/JT/3

अध्यक्ष : अब इसमें क्या रह गया? मंत्री जी ने कह दिया कि हम ऐक्शन ले रहे हैं सब आपके सामने है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिसका प्रश्न है उसको तो प्रश्न पूछने का अधिकार है।

प्रश्न जारी

अगले वक्ता एम.एस. द्वारा शुरू

09/12/2014/1135/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1363 क्रमागत----

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो यहां जानकारी रखी गई है, मुझे लगता है कि वह पूरी नहीं है। जो तकसीम के केस होते हैं, वे तो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन जो निशानदेही वाले केस हैं, उनको तहसीलदार ऐसे ही एप्लीकेशन पर मार्क करके आगे भेज देते हैं। उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी कोई ऑथेंटेसिटी हो। वहां पर स्थिति बहुत विकट है क्योंकि कइयों की चार-चार साल से निशानदेही नहीं हो पा रही है। कई बार तो पटवारी और कानूनगो चाहे कोई व्यक्ति मुबंई से आए, उनको कह देते हैं कि आप अगले महीने या चार महीने बाद आइए ,आपका काम कर देंगे। इस तरह से उसको टाल दिया जाता है। इसमें कारण भी बताए गए हैं कि तकसीम क्यों नहीं हो पा रही है और इसमें बताया है कि तरीका तकसीम नहीं बन पा रहा है। चलो, ये तो प्रोसिजरल बातें हैं जो उन्होंने करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जिन रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो को आपने रि-एम्प्लॉय किया है, उनके ऊपर क्या आपका कोई चैक है ? क्योंकि जब लोग उनके पास जाते हैं तो वे उनके साथ मनमाने ढंग से पेश आते हैं और उनको बिना मतलब के टालते हैं। उनके पास समय होने के बावजूद भी वे काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इस सबको चुस्त-दुरूस्त करने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? इसके अलावा जो पटवारियों और कानूनगो के रिक्त पद हैं, जैसे आपने रेशनेलाइजेशन की बात की है और जो वर्तमान स्टाफ है, वह भी उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो आपने रिटायर्ड लोग रखे हैं। वे कहते हैं कि हमें घर भेज दो, हमने काम नहीं करना है। उसके ऊपर भी एक प्रौपर चैक होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जिसको भी रि-एम्प्लॉय किया जा रहा है, उससे पूरा काम लिया जाए तथा पटवारियों और कानूनगो को अन्य कामों में न उलझाते हुए जो रेवेन्यु का बेसिक काम है, वह उनसे करवाया जाए। इस दिशा में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

09/12/2014/1135/MS/JT/2

अध्यक्षः वैसे मंत्री जी ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन फिर भी आपको दुबारा बता देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैंने विस्तृत तौर पर जवाब दिया है और मैंने माना है कि बहुत सालों से मामले पैंडिंग हैं। 12-13 केस वर्ष 2007-08 से पैंडिंग हैं। हमने पटवारियों की कमी को पूरा करने के लिए फैसला लिया है और जो रिटायर्ड पटवारी हैं, उनको पहले 7 000,रूपये महीने पर लगाया और रिटायर्ड कानूनगो को 10 000,रूपये महीने पर लगाया। फिर महंगाई के हिसाब से 10 000, रूपये हमने पटवारियों का वेतन किया और कानूनगो का 12 000,रूपये किया। हमारे पास और क्या अल्टरनेटिव था? इसलिए जो वे काम कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं। जब भी उनकी कोई ऐसी शिकायत आती है, तो हमें बताइए क्योंकि वे कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हैं। उनको तो डिप्टी कमिशनर सर्विस से टर्मिनेट कर सकता है।

जहां तक निशानदेही के मामले हैं , उनको हम समयबद्ध कर रहे हैं। उसके लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अन्दडर चला रहे हैं ताकि निशानदेही के केसिज का निपटारा जल्दी-से-जल्दी किया जा सके। तकसीम के मामले में देरी हो सकती है क्योंकि तकसीम के केसिज में अगर तहसीलदार कोई फैसला कर देता है तो मोड ऑफ पार्टिशन हो जाता है और उसकी अपील एस0डी0एम0 के पास होती है। फिर एस0डी0एम0 फैसला कर देता है तो डिवीजनल कमिश्नर के पास अपील होती है। लेकिन कई बार केस रिमांड बैक करके फिर से तहसीलदार के पास पहुंच जाता है। फिर अल्टीमेटली फाइनैंशियल कमिश्नर के पास अपील होती है और जब फाइनैंशियल कमिश्नर फैसला करता है तो क्वैश्चर ऑफ टाइटल रेज करके वह केस सिविल कोर्ट में चला जाता है। वहां से स्टे करवा लेता है। इस तरह से आपने देखा होगा कि हमने उदाहरण दिए हैं। उसमें से भी कई मामले सिविल कोर्ट में

09/12/2014/1135/MS/JT/3

पैंडिंग पड़े हैं और काम रूका हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि एक अभियान के रूप में इसको चलाएं ताकि सारे पैंडिंग केसिज का निपटारा जल्दी -से-जल्दी किया जा सके। Government is serious about it.

अध्यक्षः अगला प्रश्न (व्यवधान)

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, प्रश्न में मेरा भी नाम है। मैंने भी प्रश्न पूछा है।

अध्यक्षः अब काफी हो गया है। There are so many questions. No, I won't allow. पहले ही काफी लम्बा जवाब दिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है।

अध्यक्षः जवाब आ गया है। (व्यवधान) मंत्री जी ने इतना विस्तृत जवाब दे दिया है। अब आपको क्या पूछना है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न लगा है। इनको प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा--------

9/1140/12.2014.जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः--- --------**1363जारी**--------

अध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...यदि प्रश्न रैलेवैंट होगा तो मैं अलाऊ करूंगा अदरवाईज नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)...ठीक है, आप बोलिये।

श्री रिखी राम कौण्डलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना इस माननीय सदन के अन्दर डिमार्केशन के बारे में दी है, झण्डूता तहसील में तकसीम के 130 मामले हैं। हम मानते हैं कि कुछ मामले अदालत में भी चले जाते हैं। निशानदेही के 184 मामले लम्बित है। इस सदन को माननीय मंत्री जी ने तथ्यों से अवगत नहीं करवाया है कि क्यों ये मामले पेंडिग हैं ? जो पटवारी और कानूनगो की हड़ताल हुई है उस वजह से ये मामले पैंडिंग हुए हैं। इनके बारे में माननीय मंत्री जी को सदन में बताना चाहिए था कि पटवारी और कानूनगो की हड़ताल हुई इस वजह से ये मामले लम्बित पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि निशानदेही के 184 मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा वह सरासर गलत है। वर्ष 2007 से लेकर 2009 तक के मामले हैं। उन्होंने केवल डेढ़ महीने ऐजिटेशन की, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपना सारा काम किया है। जिनको अडिशनल पटवार सर्कल दिए गए हैं उन पटवार सर्कल्ज में काम नहीं हुआ था, बाकी सारे पटवार सर्कल में काम हुआ है। **अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर कहा था कि सरकार इस बारे में गम्भीर है और हम एक कम्पेन चलाएंगे कि प्रदेश में जितने भी डिमार्केशन के केसिज है उनको 6 महीने के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाएगा।**

प्रश्न समाप्त।

9/1140/12.2014.जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1364

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम भारत सरकार के आभारी हैं जिन्होंने आई0आई0एम0 इन्स्टिच्यूट राष्ट्रीय स्तर का हिमाचल के लिए मंजूर किया है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसका स्वीकृति पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार को कब आया ? उस पत्र के अनुसार उसके क्या मेन फीचर्ज़ हैं, क्या मेन ग्रेडियन्टस हैं ? उसके लिए स्टेट का कितना और केन्द्र का कितना शेयर है और कितनी जमीन की आवश्यकता है ? हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है कि सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में वह संस्थान खोला जाएगा। हिमाचल सरकार ने जो यह फैसला लिया है क्या यह यहां की सारी परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा संस्थान हिमाचल प्रदेश के कोने में पावंटा साहिब में खोलने का निर्णय लिया है, यह फैसला किस आधार पर लिया गया है? क्या इसके लिए दूसरी जगह भी देखी गई थी, जैसे AIMS के लिए विभाग ने सभी जिलाधीशों को पत्र लिखे कि आप जमीन की प्रक्रिया के बारे में एक प्रोसैस करके बताओ। क्या IIM के लिए भी ऐसा प्रोसैस नहीं हो सकता था ? दूसरे, इस जमीन का चयन कब तक कर लिया जाएगा और यह संस्थान कब फंक्शन में आएगा?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि यहां पर ठाकुर गुलाब सिंह जी ने कहा कि AIMS की भूमि की तलाश के लिए पत्र लिखा गया था। मैं आपको बतान चाहूंगा कि इसके लिए भी हमने सारे जिलाधीशों को पत्र लिखे थे। लेकिन इतनी ज्यादा जो भूमि हमें मिली वह हमें वहीं पर मिली, उसी एरिया में वह भूमि उपलब्ध थी। जो हमारे पास सूचना आई हमने उसके मुताबिक ही चयन किया है। यदि आप हमें कोई अन्य सूचना देंगे तो अभी और भी संस्थान आने वाले हैं।हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारे संस्थान

9/1140/12.2014.जेके/एजी/3

आ रहे हैं । मगर इसमें 2000 बीघा जमीन की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे 1000 बीघे में काम चला लेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

09.12.2014/1145/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1364 क्रमागतः

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागतः

हजार बीघे में काम चला लेंगे। जहां तक सिरमौर की बात है सिरमौर भी हिमाचल का एक अंग है और सिरमौर में थोड़ी-सी कनैक्टिविटी है और प्लेन चंडीगढ़ तक आता है। आज हम देख रहे हैं कि फैकल्टी की समस्या मंडी में भी है और टांडा में भी। अभी दो फ्लाइटस जाती हैं। कोई भी संस्थान बिल्डिंग और जमीन से नहीं चलेगा, फैकल्टी के साथ चलेगा। जब यह एनाऊंस हुआ। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया में एनाऊंसमैंट हुई, मैं उस वक्त मुख्य मंत्री जी के साथ था तो मैंने और मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त सुजैस्ट किया। फिर उसके मुताबिक चिट्ठियां लिखीं। जहां भूमि उपलब्ध हुई उसको देखते हुए, कनैक्टिविटी को देखते हुए फैसला लिया और मैं सबसे रिक्वैस्ट करूंगा कि जो अब यह फैसला लिया गया उसको अब उलझन में न डाला जाए जैसे सैंट्रल युनिवर्सिटी का इधर-उधर का चक्कर पड़ा। जब एक जगह बन रहा है तो वहां बनने देना चाहिए। ---(व्यवधान)--- चक्कर डाला या नहीं डाला, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। मुझे यहां तक सीमित रहने दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको कम-से-कम जहां यह सैटल हो गया है **सिरमौर में बनने देते हैं और जल्दी-से-जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। जो-जो सूचना आती रहेगी मैं गुलाब सिंह जी को भी देता रहूंगा।** ---(**व्यवधान**)--- **इसकी चिट्ठी रिकॉर्ड पर भी रख देंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है और कोई सूचना आपको चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा।** ---(व्यवधान)--- हमने अभी तक जमीन देनी है उसकी पूरी डिटेल वर्क आऊट हो रही है। जैसे अभी बजट में सैंक्शन हुआ है सैंक्शन होने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 अगस्त को वहां पर अनाऊंसमैंट की थी जबकि जगह उपलब्ध हो गई थी। धन्यवाद।

प्रश्न समाप्त

09.12.2014/1145/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 1365

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री महेश्वर सिंह। अनुपस्थित।

09.12.2014/1145/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः1366

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2013 में जो हमने सूचना मांगी थी, उसमें मैसर्ज़ कोरिनस होटल हटमैटस को आपने 118 की परमिशन दी है क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो सारा मामला है इस मामले को पहले सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूर्व सरकार ने रिजैक्ट किया था। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि इस मामले को आपने स्वीकृति प्रदान की?

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो तेन्जिन को जमीन दी गई थी वह गृह निर्माण के लिए दी गई थी, न कि वह जमीन किसी होस्पिटल को बनाने के लिए दी गई थी। बिना अनुमति के उन्होंने वहां पर होस्पिटल खड़ा कर दिया और आपने बाद में उसका लैंड यूज को चेंज करने की परमिशन दे दी, इसकी क्या वजह है?

तीसरा, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दो साल के कार्यकाल के बीच में 118 में कितनी बार नियमों में संशोधन किये गए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो 118 की मंजूरी प्रदेश सरकार ने दी है उसमें मैंने ज़िक्र किया है कि सिर्फ 240 मामलों में मंजूरी दी गई है। इसमें ज्यादातर मामले जो गैर-कृषक हिमाचल के थे वे भी आ रहे हैं और जो 25-30 साल से हिमाचल में रह रहे हैं, हिमाचल के सरकारी परमानैंट मुलाजिम हैं, वे भी शामिल हैं। मैसर्ज कोरिनस होटल को परमिशन कैबिनेट की अनुमति से दी गई और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद दी गई because Cabinet is competent to give permission to an individual for a particular purpose.

जारी श्रीमती के0एस0

09/1150/2014-12-केएस/जेटी1/

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी----

Some lady is the owner of this hotel. इसलिए गवर्नमैंट ने इन्सानियत के नाते, क्योंकि होटल बना हुआ था, सड़क के किनारे था, टूरिज्मत को बढ़ावा दे रहा था इसलिए केबिनैट ने इसमें परमीशन दी है और तीसरे आपने कहा तेंजिन होटल ,

तेंजिन होटल में अपने दफ्तर और रैज़िडैंस के लिए उसको परमीशन दी गई थी फिर उसने परमिशन मांगी कि दफ्तर, रैज़िडैंस की बजाय मैं उसको होटल बनाऊं and that hotel is also for public purpose. उसमें काफी लोगों के फायदे के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें परिवर्तन करने की सिर्फ इसलिए अनुमति दी गई क्योंकि हॉस्पिटल पब्लिक परपज़ सॉल्व करता है और कार्यालय भवन भी उसी के लिए था। अगर कार्यालय भवन को होटल में बनाया है, यह कोई ऐतराज़ नहीं है क्योंकि यह पब्लिक इंट्रस्ट के लिए बनाया गया है।

श्री प्रेम कुमार धूमल :अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई लेडी ऑनर है और मानवता के आधार पर उसको केबिनैट ने एप्रूवल दे दी। क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगें कि वर्ष 2007 में भी आपकी केबिनैट ने उसको अनुमति दे दी थी और डी.सी. सोलन को कहा गया था कि दो लाख रुपये जमा कर लो और उसको नियमित कर दो। डी.सी. सोलन ने, मंत्री जी जानते हैं कि यह फैक्ट है कि इस तरह का कोई हैड नहीं होता कि 118 में परमिशन न मिले और दो लाख रुपये जुर्माना लगा कर रैगुलर कर दिया जाए, वह पैसे वापिस कर दिए और वह जमीन उसके नाम नहीं हुई। प्रॉपटी बन चुकी है । क्या यह तथ्य नहीं है कि बाद में हमारी सरकार ने इस प्रॉपर्टी को गवर्नमैंट में वैस्ट कर दिया था। अब ऐसा क्या मानवीय आधार पैदा हो गया, जरा सदन को बताया जाए ताकि जनता को पता लग सके कि किस मानवीय आधार पर आपने इस होटल को रैगुलर कर दिया। प्रॉपर्टी वापिस उनको दे दी और कितना उसको जुर्माना लगाया और जुर्माना लगाने का क्या कोई ऐसा नियम है 118 में कि कुछ अमांऊंट

09/1150/2014-12-केएस/जेटी/2

लगाकर आप किसी को भी परमिशन दे सकते हैं ? यदि ऐसा है तो और कितने मामलों में ऐसा किया गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि वर्ष 2007 में केबिनैट ने फैसला किया था कि होटल बनाया है और वह for the promotion of tourism in the State बना था . इसलिए in its wisdom the Cabinet decided कि उसमें 118 की परमिशन दी जाए। In the meantime, there was a change of Government. और जब गवर्नमैंट चेंज हुई, आप लोगों ने कहा कि पैसे वगैरह कोई

नहीं लेने और इसको रीज्यूaम करे लेकिन आप भी उस जमीन को रीज्यू म नहीं कर सकते आपने डिसाईड ही किया था . But now again new Government in its wisdom decided that for the promotion of tourism in the State, 118 की परमिशन उसको दे दी जाए
क्योंकि वहां उन्होंने काफी पैसा इन्वैस्ट किया था और बड़ोग जो है , that has become a tourist hub in our State and for the promotion of tourism in the State, the Government decided to give 118 permission to her.

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि ऐसे कितने और मामले हुए जहां मानवता के आधार पर महिला द्वारा बनाए गए होटल को आपने नियम 118 में रिलैक्सेशन दी है?

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, a separate question is required for this. मैं पता करने के बाद धूमल साहब को सूचना भेज दूंगा कि क्या और भी कोई ऐसे केसिज़ है। अभी मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं है। इन्सानियत के नाते और हिमाचल में टूरिज्मै को प्रोमोट करने के लिए सरकार ने, केबिनैट ने यह परमिशन दी है न कि इंडिविज़ुअल मैंने दी है।

डॉ0 राजीव सैजलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो परमिशन आपने मै0 कोरिनस होटल हटमैटस, मार्फत कुमारी रेनू कोरिन बड़ोग

09/1150/2014-12-केएस/जेटी/3

को दी है ,क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो यह होटल का निर्माण किया है, यह जो हमारा टूरिज्म का होटल है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.12.2014/1155/jt-av/1
प्रश्न संख्या : ---------1366क्रमागत
डॉ राजीव सैजल --------: जारी

हमारा जो टूरिज्म का पाइनवुड होटल है यह उसके बिल्कुल अपोजिट है। कहां तो अपने विभाग के होटल को प्रमोट करना चाहिए था मगर उसके गेट के साथ होटल बनाने की परमिशन दे दी गई। मैं एक और तथ्य माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि बड़ोग एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है और इसकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में है। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां बड़ोग के अंदर एक

शौचालय तक नहीं है। इस होटल के बिल्कुल पास स्थानीय पंचायत द्वारा शौचालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। मगर इसकी मालकिन जिसको आपने परमिशन दी है, उसने स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा किया तथा उसने वहां वह शौचालय नहीं बनने दिया। इस प्रकार स्थानीय जनता की विरोधी मानसिकता वाली महिला के लिए मैं जानना चाहूंगा कि उसके लिए होटल निर्माण की परमिशन देने के लिए क्या मानवता थी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने ही विभाग के बिल्कुल अपोजिट इस होटल निर्माण की स्वीकृति देने की क्या आवश्यकता थी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोरिनस होटल केस में न्यायालय की भी प्रदेश सरकार को एक डायरैक्शन आई थी कि यह सरकार धारा 118 के अंतर्गत इस पर निर्णय लें। दूसरे, सरकार ने उन्हें कोई भूमि नहीं दी है। भूमि उनकी अपनी थी। उन्होंने होटल बनाया। वहां वायोलेशन हुई है मगर उस वायोलेशन को 118 की परमिशन देकर के सरकार ने रेगुलर किया है। 118 के अंतर्गत परमिशन गुण और दोष के आधार पर दी जाती है। Whichever is in the interest of the State, वह किया जाता है। जैसे (---व्यवधान---)

श्री सुरेश भारद्वाज : मगर टूरिज्म के अपने होटल के पास यह परमिशन देने की क्या जरुरत थी?

9.12.2014/1155/jt-av/2

Health & Family Welfare Minister: For the promotion of tourism in the State. ..(interruption)..

अध्यक्ष : बैठिए प्लीज। बैठ जाइए। (---व्यवधान---)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाकआउट कर गये।)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें इनका इल्जाम सरासर गलत है क्योंकि वह औरत कांग्रेस पार्टी से सम्बंधित है। वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, in the interest of the State, यह परमिशन सरकार ने इनसानियत के नाते दी है। ये लोग शायद भूल जाते हैं और हिमाचल के हित की बात करते हैं। जब इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 500-500बीघे गैर हिमाचलियों को युनिवर्सिटीज बनाने के लिए दे दी तब इन लोगों को ख्याल नहीं आया ? अगर आप ये 240 केस देखेंगे तो

पायेंगे कि हमने यह जमीन गैर कृषकों को मकान बनाने के लिए दी है या होटल बनाने के लिए दी है जो कि हिमाचली है, मूल रूप से हिमाचली है और गैर कृषक है ; उनको हमने जमीन दी है। न कि किसी बड़ी युनिवर्सिटी बनाने के लिए दी है। हमारी सरकार ने एक और फैसला किया है। इन्होंने उस वक्त जितनी भूमिहीनों को जमीन दी थी वह सारी-की-सारी इनके मंत्रियों ने खरीद ली थी। हमने यह मामला उस वक्त भी उठाया था। यह सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल में किसी भी कृषक को भूमिहीन नहीं होने देंगे। जिस कृषक के पास भूमि बेचने के बाद 5 बीघे से कम रह जाती है; हमने ऐसे कितने केस रिजैक्ट किए हैं। हम किसी भी कृषक को भूमिहीन नहीं होने देंगे। हिमाचल के हित में जो भी फैसला होगा हम उसको करेंगे। बाबा रामदेव को इन्होंने जमीन दी और वह जमीन दी जो इन्दिरा होलिडे होम के नाम से जानी जाती थी। हमने उस वक्त भी विधान सभा के अंदर विरोध किया था और कहा था कि जब हमारी सरकार आयेगी तो हम उसको वापिस लेंगे। मगर इन्होंने वह जमीन बेची। जब हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो हमने बाबा रामदेव जी से वह जमीन वापिस ली। हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो हिमाचल के विरोध में हो। हमारी सरकार हर काम हिमाचल के हित में करेगी।

(प्रश्न काल समाप्त)

कागजात सभापटल पर श्री बी.जे.द्वारा जारी

09.12.2014/1200/negi/ag/1

<u>सभा पटल पर रखे गए कागज़ात :</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अकादमी के संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 व 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 22 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का 13वां वार्षिक लेखा और परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे:-

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेज़ों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-:

(i) कम्पनी अधिनियम , 2013 के अनुच्छेद 394 (2) के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 201213-;

09.12.2014/1200/negi/ag/2

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003का 36) की धारा 67 और 68 के साथ पठित धारा 180 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः एम0पी0पी0-ए0(3)-3/2003-II दिनांक 03.02.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11 .02.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं ओम्बइसमैन) विनियम , 201 3जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/-609B/2014 दिनांक 04.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.01.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य-संचालन) (सातवां संशोधन) विनियम, 201 4जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Secy/151. दिनांक 10.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.01.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश बिजली ओम्बइसमैन (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें) विनियम , 20 04का निरसन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC(IT)(1)-1 दिनांक 21.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.01.2014 को प्रकाशित;

09.12.2014/1200/negi/ag/3

(vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य-संचालन) (आठवां संशोधन) विनियम, 201 4जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Secy/151. दिनांक 02.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2014 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड (प्रथम् संशोधन) विनियम, 201 4जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/ 438 दिनांक 11.06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2014 को प्रकाशित; और

(ix) शुद्धिपत्र हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम , 201 3जोकि दिनांक 30 .06.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2014 को प्रकाशित ।

( )iv) से (ix (तक विद्युत अधिनियम,2003 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-ः

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग- ॥(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःएएचवाई-ए(3) 2010/19-दिनांक

09.12.2014/1200/negi/ag/4

02. 0 5.2013द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.0 9.2013को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग,पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, वर्ग- ॥। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,201 1 जोकि अधिसूचना संख्याःए.एच.वाई.-ए(3)220/02-लूज़ दिनांक 22.12.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2011 को प्रकाशित; और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, प्रगणक, वर्ग-॥।(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 201 1 जोकि अधिसूचना संख्याःएएचवाई-ए(3) 2010/7-दिनांक 07.04.2011 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.04.2011 को प्रकाशित ।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए जाएंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, - (एबसेन्ट). अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा,सदस्य ,लोक लेखा समिति ,लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

09.12.2014/1200/negi/ag/5

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस आ गए**)

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का **70वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **71वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **72वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त एवं सिविल) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

09.12.2014/1200/negi/ag/6

समिति का **74वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेद न वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

(i) समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः4.1 पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित; और

(ii) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्याः3.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित ।

09.12.2014/1200/negi/ag/7

अध्यक्षः अब श्री किशोरी लाल ,सदस्य ,मानव विकास समिति ,मानव विकास समिति के के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति , (वर्ष 2014-15), समिति का **आठवां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज़, सभापति, सामान्य विकास समिति ,सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (**वर्ष** (15-2014, समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

09.12.2014/1200/negi/ag/8

<u>विधायी कार्य :</u>

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्षः अब विधायी कार्य है। सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना होगी। अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री , प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व

विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित करेंगे।

09.12.2014/1200/negi/ag/9

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्षः "हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-10)" को पुरः स्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा। अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-7)" पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय ,मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-7)" पर विचार किया जाए।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

09/1205/2014-12-यूके/एजी/1

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए ।

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं । बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तर देंगे । अभी हमारे पास इसके लिए केवल 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं ।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार ।

अब बिल पर खंडशः विचार होगा ।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकार ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना ।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1 , संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार ।

खंड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने ।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए ।

09/1205/2014-12-यूके/एजी/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए ।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

09/1205/2014-12-यूके/एजी/3

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9) पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9) पर विचार किया जाए। इसमें अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं है पहले स्टाम्प पेपर खरीदे जाते थे अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अब फीस ई-मेल के माध्यम से ऑन लाईन ई-स्टाम्पिंग कर दी जाए। जिसके लिए एक छोटी सी अमैंडमेंट है।

अध्यक्षःप्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने ।

09/1205/2014-12-यूके/एजी/4

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9) को पारित किया जाए ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9) को पारित किया जाए ।

अध्यक्ष : तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक9) को पारित किया जाए ।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9)को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकार ।

"हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 9)पारित हुआ ।

एसएलएस द्वारा जारी-----

09.12.2014/1210/SLS-AG-1

<u>नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्ष : अब नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख किए जाएंगे।

सर्वप्रथम श्री राम कुमार, विधायक नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख करेंगे। इस विशेष उल्लेख पर माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर पढ़ा हुआ समझा जाएगा एवं वह माननीय सदस्य को दे दिया जाएगा।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार से है :-

09.12.2014/1210/SLS-AG-2

अध्यक्ष : अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर, विधायक नियम -324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख करेंगे।

Shri Krishan Lal Thakur: Sir, I would like to raise an important issue under Rule 324 which is as under:

09.12.2014/1210/SLS-AG-3

अध्यक्ष : अब श्री रविन्द्र सिंह, विधायक नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपना टैक्सट पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें नाम तो मेरा लिखा हुआ है लेकिन डिविजन नंबर श्री महेन्द्र सिंह जी का और उनके धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र का दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम -324 के अंतर्गत अपना विषय उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार से है :-

अगले वक्ता .. श्री गर्ग जी के पास

09/12/2014/1215/RG/AG/1

अध्यक्ष : अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्य मंत्री एवं मंत्रियों के उत्तर 'ले' कर रहे हैं, तो दोनों ओर से इसको 'ले' ही कर दें।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : धूमल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि या तो इनको पढ़ा हुआ माना जाए ,इस तरह से जैसे पहले प्रैक्टिस रही है। नार्मली सदन का समय बचाने के लिए इनके उत्तर सदस्यों के पास भेज दिए जाते हैं। आप सदस्यों से तो पढ़वा रहे हैं और उत्तर आ नहीं रहे ,तो इनके पढ़ने का क्या मतलब हुआ?

अध्यक्ष : इसमें ऐसा है कि नए सदस्यों ने अनुरोध किया था कि इनको पढ़ेंगे, इसलिए ये पढ़वाए जा रहे हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : पढ़ेंगे नहीं, फिर वे उत्तर भी सुनेंगे , उनको उत्तर भी सुनवाइए।

अध्यक्ष : इनका उत्तर लिखित आ जाएगा। इन पर डिसकशन नहीं होती।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इन पर डिसकशन कोई नहीं होती ,इसमें सरकार की तरफ से लिखित उत्तर आता है। दो ऑप्शन्ज होती हैं कि सदस्य और मंत्री पढ़ दें या सदन का समय बचाने के लिए पीठ से यह निर्देश हो जाता है कि सदन का समय बचाने के लिए इनको पढ़ा हुआ समझा जाए, आपको इसके उत्तर भेज दिए जाएंगे। इसलिए या तो आप सदस्यों से भी न पढ़वाएं। अब उसका उत्तर क्या है, सदस्य को पता ही नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनको 'ले 'हुआ समझा जाए।

Health & Family Welfare Minister: According to that it is presumed to have been read and replied. जैसा इन्होंने कहा, यह ठीक है।

2/-

09/12/2014/1215/RG/AG/2

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय उच्चतर शिखा अभियान (RUSA) के प्रावधानों पर विचार करे।' इसमें माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने भी निवेदन किया था कि वह भी इस पर बोलेंगे, तो सदस्य इस पर बोल सकते हैं। अब श्री सुरेश भारद्वाज जी नियम-130 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के प्रावधानों पर विचार करे।' अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में नए सिस्टम से पढ़ाई कराने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को लागू किया गया है। यह एक केन्द्रीय योजना है। इससे पूर्व सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था। आदरणीय धीमान साहब

शिक्षा मंत्री थे, उस समय यह शुरू हुआ था और आज तक भी चल रहा है। फिर आर.एम.एस. अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी यहां लागू किया गया , उसके अन्तर्गत भी कार्य हो रहा है। उसमें पैसा केन्द्र से आता है और कुछ पैसा प्रदेश सरकार देती है और विषय उन नियमों के अन्तर्गत जो केन्द्रीय स्तर से मानव संसाधान मंत्रालय द्वारा तय किए गए हैं, उनके अन्तर्गत होते हैं। अब राष्ट्रीय उच्च्तर शिक्षा अभियान यहां पर एकदम से लागू कर दिया गया। इसमें सैमिस्टर सिस्टम होगा----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/12/2014/1220/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----------

इसमें समैस्टर सिस्टम होगा और छः महीने में परीक्षाएं होंगी। मैं इस विषय को इसीलिए यहां लाया हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आज यह हालत है कि वहां पर किसी भी विषय के परिणाम ,जो साल में परीक्षा परिणाम का सिस्टम होता है, उसमें भी उनके परिणाम समय पर नहीं आ रहे हैं। कभी-कभी तो चार-चार और पांच-पांच महीने बाद परीक्षा परिणाम आते हैं। वहां पर कोई प्रौपर सिस्टम विश्वविद्यालय के द्वारा होता नहीं है। कब वहां पर एडमिशन होगी, किन विषयों में कहां पर एडमिशन होगी और कहां पर नहीं होगी, इसका कोई शैड्यूल नहीं बना होता है। समैस्टर सिस्टम में जैसे कोई एग्जाम छः महीने में होना है तो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां बर्फ से बहुत सारे स्थान ढके रहते हैं, मुश्किल होता है। जैसे रिकाँगपियो और केलांग जैसे कॉलेज जहां पर यह सिस्टम लागू किया गया है ,वहां पर समैस्टर सिस्टम के आधार पर परीक्षा देना और लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस सिस्टम को हिमाचल प्रदेश में बिना किसी तैयारी के लागू कर दिया गया जिसके कारण यहां हजारों छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज छात्र भी इसके कारण दुःखी हैं और टीचर्स भी दुःखी हैं क्योंकि इस अभियान को हिमाचल प्रदेश में लागू करने से जितनी शिक्षकों की संख्या चाहिए , उस हिसाब से लगभग 500 शिक्षक कम हैं। इसमें जो सब्जैक्ट को पढ़ने की च्वाइस दी गई है, उस च्वाइस को पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉलेजिज में कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो नए कॉलेजिज प्रारंभ किए गए हैं उनमें हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और हिस्ट्री के अलावा कोई दूसरा सब्जैक्ट नहीं है। इकॉनोमिक्स और कॉमर्स भी छात्रों को पढ़नी होती है यानी च्वाइस के हिसाब से छात्रों को पढ़ाई करनी होती है।

जिस-जिस कम्बीनेशन के सब्जैक्ट छात्र लेना चाहता है, वे सब्जैक्ट जिस कॉलेज में होंगे, उसमें उसको एडमिशन मिलेगी भी या नहीं, यह भी इसमें निश्चित नहीं है। कई स्थानों पर तो ऐसा हो रहा है कि दो बहनें हैं और दोनों अलग -अलग कम्बीनेशन के सब्जैक्ट चाहती हैं तो दोनों को अलग-अलग कॉलेजिज में एडमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि इस सिस्टम में छात्रों की संख्या सीमित है।

09/12/2014/1220/MS/AG/2

इस कारण हिमाचल प्रदेश के कॉलेजिज में एडमिशन्ज कम हो रही हैं। क्योंकि किसी कॉलेज में यदि 100 सीटें किसी कम्बीनेशन के लिए रखी हैं और वहां ज्यादा छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए इस सिस्टम में बहुत सारे छात्रों को या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या किसी दूर के कॉलेज में जाकर एडमिशन लेनी पड़ती है। इसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। इसके कारण जो छः-छः विषयों की च्वाइस है, वह च्वाइस नहीं मिल रही है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वह टीचर्स का हो रहा है। टीचर्स कॉलेजिज में हैं नहीं। इकॉनोमिक्स, कॉमर्स और अंग्रेजी के बहुत कम टीचर्स हैं और उनकी भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। समेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है और इसमें जो च्वाइस सिस्टम दे रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे ड्रॉप आउट हो रहा है यानी कॉलेजिज में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को प्राइवेट विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ रहा है और बाहर के प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। इस कारण अभिभावकों के पैसे का भी नुकसान हो रहा है। जहां-जहां यह सिस्टम लागू हुआ था उन प्रदेशों में अब यह सिस्टम समाप्त हो गया है। पंजाब में यह सिस्टम लागू नहीं है और हरियाणा में भी यह सिस्टम नहीं चल रहा है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ रूपया मिलेगा लेकिन वह पैसा भी नहीं आ रहा है। यानी सौ जूते भी खा रहे हैं और सौ प्याज भी खा रहे हैं। हमें न पैसा मिल रहा है, न सिस्टम प्रौपर चल रहा है और न ही छात्रों की पढ़ाई हो रही है। इस सिस्टम ने शिक्षकों के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि उनको 26 घण्टे पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स 26-26 घण्टे पढ़ाई करवाएंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

9/1225/12.2014.जेके/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः--------जारी--------

जो टीचर्ज हैं वे 26-26 घण्टे पढ़ाई करवाएंगे, जिसके कारण प्रदेश में शिक्षा के स्तर में कमी हो रही है। शिक्ष प्राप्त करने वाले छात्रों में भी कमी हो रही है। प्रदेश को इससे पैसा भी नहीं मिल रहा है और कॉलेजिज़ में टीचर्ज़ भी नहीं है। रूसा के कारण प्रदेश के छात्र काफी आंदोलित हैं। अभिभावक भी आंदोलित हैं और शिक्षक भी आंदोलित हैं। इस नियम को यहां पर लागू कर दिया। प्रदेश का विश्वविद्यालय समय पर बच्चों को रिजल्ट नहीं देता है। बच्चों को मार्क्सशीट नहीं मिलती है। बच्चों की फीस कहां जमा होगी, कैसे जमा होगी, ऑन लाईन होगी या खिड़की पर होगी इस तरह की कोई व्यवस्था प्रदेश विश्वविद्यालय की नहीं है ? एक-एक विषय पर 1300 रूपये की फीस बढ़ौत्तरी इस सिस्टम को लागू करने के बाद कर दी गई है। जिस विषय की 61 रूपये फीस होती थी उसकी आजकल 200 रूपये हो गई है। जिसकी 200 रुपये फीस होती थी उसकी 2000 रूपये कर दी गई है। अगर इग्जामिनेशन सेन्टर चेंज करना है तो उसकी 200 रूपये फीस होती थी लेकिन अब उसकी 2000 रूपये फीस कर दी गई है। एल0एल0बी0 की फीस 186 रूपये होती थी लेकिन अब उसकी 1200 रूपये फीस कर दी गई है। बहुत सारे विषयों की 330 रूपये फीस के बजाए अब 500 रूपये कर दी गई है। 200 रुपये के बजाए अब 2000 रूपये कर दी गई है। 40 रुपये फीस की बजाए अब 600 रुपये कर दी गई है। 1400 परसेंट के लगभग उसमें वृद्धि कर दी गई है। इसके कारण पूरे प्रदेश के छात्र और अभिभावक आंदोलित रहते हैं। अब महाविद्यालयों के लिए रूसा के बाद एक नया विकास फंड लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सारे कॉलेजिज़ को आदेश कर दिए गए हैं कि छात्रों से विकास फंड के नाम से पैसा वसूला जाए। जो रूसा के नाम पर केन्द्र से 100 करोड़ रूपया मिलना था वह पैसा आपको मिल नहीं रहा है। आप प्रदेश की जनता के ऊपर बर्डन पर बर्डन डाले जा रहे है। जहां पर छात्र 200 रूपये में पढ़ाई करता था आज उसे 2000 रूपये में पढ़ाई करनी पड़ रही है। एक MSc की पढ़ाई 38 हजार रूपये साल की हो जाती थी लेकिन आज उसको 87 हजार रूपया देना पड़ रहा है। जिस गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा है और पहली साल में उसने 38 हजार दिया,

9/1225/12.2014.जेके/एजी/2

लेकिन दूसरे साल में 87 हजार का प्रबन्ध करने के लिए उसको बड़ी मुश्किल आ रही है, जिस कारण से वह बच्चा MSc की पूरी डिग्री नहीं ले पा रहा है और उसको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी की सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार को विश्वविद्यालय को प्रदेश के बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के शिक्षा सचिव, प्रदेश के वित्त सचिव और प्रदेश सकार के नोमिनी जो कि प्रदेश विश्वविद्यालय की एग्जैक्टिव कॉंसिल में होते हैं, उन्हें इसमें सीधा-सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी तरह से जो नये कॉलेजिज़ हिमाचल प्रदेश में खुले हैं वह भी अच्छा है और यहां के बच्चे यहीं पर पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस सिस्टम के आने से इसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इसमें छात्रों की संख्या में भी पाबंधी लगी हुई है, इसलिए छात्र को दूसरे स्थान पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है उनसे निवेदन है कि विश्वविद्यालय के लोगों को बुला करके अध्ययन किया जाए और बाकी प्रदेशों का भी इसमें अध्ययन किया जाए कि किस-किस प्रदेश में यह रूसा लागू हुआ था और बाद में उन्होंने इसे खत्म कर दिया। हिमाचल प्रदेश में तो यह लागू ही नहीं हो सकता है , क्योंकि यहां पर गर्मी व सर्दी का मौसम है। कई स्थानों पर समैस्टर सिस्टम लागू ही नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार करके रूसा को हिमाचल प्रदेश में लागू न करें। इसको समाप्त करें। जो सिस्टम यहां पर चला हुआ था उसमें इम्प्रूवमैंट करें। विश्वविद्यालय समय पर रिजल्ट निकाले। जो फीस वृद्धि कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी की इन्टरवेंशन से बनाई गई थी , उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। कमेटी की रिपोर्ट न तो आऊट की जा रही है और न ही लागू की जा रही है। मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों को बर्डन डालने के स्थान पर इस रूसा सिस्टम को खत्म करके पुराने सिस्टम को स्ट्रीम लाईन करें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

09.12.2014/1230/SS-JT/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

इस रूसा सिस्टम को स्क्रैप करके अपने पुराने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करिये और कॉलेजिज़ में अध्यापकों को भर्ती करिये तथा इस रूसा को तुरन्त खत्म करिये ताकि

हिमाचल प्रदेश में जैसे पहले शिक्षा ठीक प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से चल सके। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस विषय पर श्री ईश्वर दास धीमान जी चर्चा को जारी रखेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

श्री ईश्वर दास धीमानः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव लाया है यह महत्वपूर्ण और सामयिक है। समझ नहीं आता कि बिना प्रीप्रेशन के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के इसे लागू क्यों किया जा रहा है। अरे ! किसान भी फसल जब बोता है तो वह खेत को तैयार करता है। बिना सोचे समझे यह सब किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो आज़ादी के 50 से ज्याादा वर्ष के बाद एक ऐसे महान् पुरुष प्रधान मंत्री के रूप में आए जिन्होंने शिक्षा के बारे में सोचा। कुछ कारण था कि यहां पर हमारी सरकार थी। हमारी सरकार की वरीयता है। हमारी शिक्षा-शास्त्र और सड़क के लिए पहल थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम ऋणी हैं। शिक्षा का ढांचा सन् 1947 के बाद बदलना शुरू होना चाहिए था, उसको 50-52 वर्ष लग गए लेकिन वह ढांचा नहीं बदला। उसी पैटर्न पर चलता रहा जो अंग्रेजों ने चलाया हुआ था। आज हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होती अगर उस समय विभाग खड़ा न होता जब संविधान बन रहा था। लेकिन फिर भी 15 साल के लिए अंग्रेजी को रखा गया था। 15 साल में वातावरण ऐसा बदल गया कि अंग्रेजी शिक्षा से पीछा छुड़ाना आज मुश्किल हो गया। आज वही समस्या कश्मीर की समस्या की तरह है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दीह हो या इंग्लिश हो ,उसमें फंसे हुए हैं।

09.12.2014/1230/SS-JT/2

सर्वशिक्षा अभियान- 14 वर्ष तक सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है और उसमें खुल करके पैसा आया। उसकी यहां पर तैयारी की गई। उसको लागू किया गया। माननीय धूमल जी ने उस समय शिक्षा को प्राथमिकता दे रखी थी। हमने पूरी रिक्रूटमैंटस कीं। आपको याद होगा कि यही एक पृष्ठभूमि थी कि हमने सभी प्राईमरी स्कूलों में भवन बनाकर दे दिये थे। सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना में 126 करोड़

रुपया खर्च किया था तब जाकर हमने सर्वशिक्षा अभियान को शुरू किया था। फिर भी कमी रहती है यह मैं समझता हूं लेकिन वह मॉडल देश की अन्य सरकारों ने भी अपने प्रदेशों में लागू किया। क्या कारण है कि 80 के लगभग जो हमारी एनरोलमैंट थी उसको हम 99.7 परसैंट तक ले गए। ड्रॉप आऊट जो हमारा 10 परसैंट से ज्या दा था उस ड्रॉप आऊट को हम 0.3 परसैंट तक ले गए। क्या कारण था? यही कारण था कि हमने कमरे बना कर दिए..

जारी श्रीमती के0एस0

09/1235/2014-12-केएस/जेटी/1
श्री ईश्वर दास धीमान जारी---

यही कारण था कि हमने कमरे बनाकर दिए और 1400 करोड़ रुपये का बजट जो 1997 में हुआ करता था उसको हमने 3400 करोड़ तक पहुंचाया।

मुख्य मंत्रीः धीमान जी, रूसा के बारे में बात हो रही है।

श्री ईश्वर दास धीमानः मुख्य मंत्री जी, मैं वही बता रहा हूं कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। यह तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आपको शायद यह भी याद होगा कि हमने साक्षरता को 83 % से भी ज्यादा ले गए थे और यह भी हमने 65 % से बढ़ाकर किया था। यही कारण था कि हमारे प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सम्मान मिले और उसको आगे ले जाने में हमने भर्तियां भी की और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पूरा किया। सर्व शिक्षा अभियान के बाद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया और वह बड़ा कम्पलीकेटिड था । जब तक सर्व शिक्षा अभियान पूरी तरह से इम्पलीमैंट नहीं हो जाता तब तक आर.एम.एस.ए. इम्पलीमैंट करना बड़ा कठिन था । उसके साथ-साथ ही Right to Compulsory and Free Education भी शुरू हुआ और उसको भी बजट बढ़ा-बढ़ा करके भवन का निर्माण किया, कमरों का निर्माण किया। लगभग 20 हजार के करीब हमने टी.जी.टी. और सी.एण्ड वी. लैक्चरर्ज़ की अप्वाइंटमैंट्स की। ऐसा वक्त आ गया कि उस समय हिमाचल प्रदेश में जितने भी सीनियर सैकंडरी स्कूल थे, एक भी पोस्ट वहां पर खाली नहीं थी जब कि आज 400 से ज्यादा पद सीनियर सैकंडरी स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। Right to Compulsory and Free Education के लिए भी बहुत कोशिश और मेहनत करके हमने उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और एक आधार

आगे के लिए तैयार किया। फिर वर्ष 14-2013में यह रूसा आ गया। सीधी बात है इन्फ्रास्ट्रक्चर की, सीधी बात है ऐस्टेब्लिशमैंट की, सीधी बात है ट्रेनिंग की, अब वह अगर नहीं होगा तो यह भी याद रखो कि यह स्टेट और युनियन गवनैमैंट, दोनों की जिम्मेवारी है। केन्द्र से मदद के रूप में तब पैसा मिलना था जब यहां पर आधार तैयार होता। यहां पर आधार अभी भी तैयार नहीं है आने वाले वर्षों में भी उस आधार

09/1235/2014-12-केएस/जेटी/2

को तैयार होने के लिए कुछ नज़र नहीं आता । ये सारी क्लासें उन्हीं भवनों में चल रही है, चाहे वह युनिवर्सिटी की ही बात क्यों न हो आप इसके लिए भवन नहीं दे सके। इसके लिए तो स्मार्ट रूम बनने चाहिए थे। सारा सिस्टम कम्प्यूटराईज्ड हो जाना चाहिए था। कम्प्यूटराईजेशन के वगैर तो यह अभियान चल ही नहीं सकता। उसके लिए कुछ नहीं हुआ, न युनिवर्सिटी में हुआ और न कॉलेजों में हुआ। कोई पैसा न तो स्टेट की तरफ से खर्च किया गया, न केन्द्र की तरफ से खर्च किया गया। मैं दूर नहीं जाना चाहता लेकिन प्रोविज़न में एनुअल एग्ज़ामिनेशन को स्मैस्टर कर दिया। अब उसमें खर्च आएगा और आप हैरान होंगें एस.सी./एस.टी. के बच्चों को भी पांच-पांच हजार रुपये की फीस देनी पड़ रही है। जैसे भारद्वाज जी ने बताया 12 1200-00 रुपये तो एडमिशन फीस ही देनी पड़ रही है। Can poor people afford this amount? नहीं, उन्हें तो सरकार की मदद चाहिए थी। हमने आर.एम.एस.ए. में कुछेक धाराओं को नर्म करने के लिए केन्द्र से लिखा -पढ़ी की और हमने यह करवाया । हमें वहां से छूट भी मिली।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

9.12.2014/1240/ag-av/1
श्री ईश्वर दास धीमान --------जारी

वहां से छूट भी मिली। मगर हमारी परिस्थितियां जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बाकी राज्यों से डिफर है , जो अच्छे सूबे हैं। उसके आधार पर हमने इसको कामयाब करने का प्रयत्न किया और उसमें भी सम्मान प्राप्त किया। मगर वह आधार आपका तैयार नहीं हुआ। अब स्मेस्टर सिस्टम हो गया है और स्मेस्टर सिस्टम में भी क्या है ? यह तो क्रेडिट बेस्ड और च्वाईस बेस्ड ; दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें चलानी हो तो इसके लिए मर्जी का स्टाफ चाहिए।

आवश्यकता के मुताबिक स्टाफ चाहिए। इसमें स्पेशलाईज्ड/ ट्रेन्ड लोग होने चाहिए। अगर आपको किसी चीज में स्पेशलाईजेशन लानी है तो वह बिना ऐस्टेब्लिशमैंट के कैसे हो सकती है? उसके बाद देखने वाली बात यह है कि अभी पिछले वर्ष ही डिग्री क्लास-i में आपने इसको प्रारम्भ किया। मगर आप उसका 6 महीने तक रिजल्ट नहीं निकाल सके। दूसरा स्मेस्टर आ गया। पहला स्मेस्टर जो मई-जून में होता है और दूसरा जून-जुलाई में होता है। अभी तक पहले स्मेस्टर का परिणाम नहीं निकला था मगर दूसरे स्मेस्टर में ऐडमिशन्ज शुरु कर दी गई। क्या है यह ? जब आपका पिछली क्लास का रिजल्ट ही नहीं निकला तो आपकी अगली क्लास कैसे चल सकती है ? यह बात तो समझ में नहीं आई। फिर आपका रोल नम्बर भी 14 डिजिट में है। यह भी बच्चे से ही पूछ कर पता करना पड़ता है। आपकी एक क्लास का रिजल्ट नहीं आया और दूसरी क्लास शुरु हो गई, ऐसे कैसे चलेगा ? अगर आपने इसको वजूद में लाना ही है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो ऐक्ट में रूसा के लिए प्रिसक्राईब्ड इनफ्रास्ट्रक्चर है जैसे मैंने क्लास रूम की बात की स्टाफ की बात की और ऐस्टेब्लिशमैंट की बात की; वह चाहिए। यह सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है? यह इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि टीचर और स्टुडैंट का रेशो नहीं बन पा रहा है। आपको केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रहा है ? वह इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आपके पास उस तरह का कोई क्लास रूम और स्टाफ नहीं है जो कि बच्चों से इन्साफ कर सकें। बच्चों को च्वाइस की ऑप्शन है। मगर बच्चे च्वाइस

9.12.2014/1240/ag-av/2

इसलिए नहीं ले रहे हैं और न ही ले सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पेशलाईज्ड टीचर ही नहीं है। विशेषकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटीकल साईंस में ; क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए जब आपके पास स्पेशलाईज्ड टीचर नहीं होंगे तो आपका काम कैसे चलेगा,यह बात समझ नहीं आती। सारा ऐग्जामिनेशन सिस्टम बदल गया। स्मेस्टर सिस्टम की वजह से इसमें दिक्कत आनी थी। इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरुरत है मगर न तो आपकी स्टेट पैसा प्रोवाईड कर सकी और न ही आप केंद्र से पैसा ला सके। यह इसलिए भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन्ड टीचर्ज के लिए कोई ऐफर्ट नहीं किए गए। आज वही-का-वही स्टाफ उस रूसा पैटर्न को चला रहा है। क्या यह पोसिबल है कि एक लैक्चरर एक हफ्ते में 26पीरियड पढ़ायें। अगर आपने अपने कॉलेज या युनिवर्सिटी में उनको डिटेन करना है तो क्या उसके लिए लैब नहीं

चाहिए? उनके लिए वहां दूसरी सुविधाएं नहीं चाहिए ? अगर उन्होंने वहां बैठकर एडिशनल तैयारी करनी है तो एक टीचर को हफ्ते में, आप हैरान होंगे कि 42 घंटे—

श्री बी.जे.द्वारा जारी

09.12.2014/1245/negi/ag/1
श्री ईश्वर दास धीमान... जारी..

आप हैरान होंगे कि 42 घंटे चाहिए। जैसे मैंने कहा , अगर वह 26 पीरियड़ पढ़ाता हो तो 26 घंटे तो उसके हो जाते हैं। और उसमें सुबह भी टाईम काटना है और शाम को भी टाईम काटना है। वैसे अगर वहां पर कोई ऐसा वातावरण नही होगा और आप वहां पर वैसा एजुकेशन का वातावरण नहीं बना पाएं । आपका यह तरीका फेल हो गया है । फेल ही नहीं हुआ जैसे भारद्वाज़ जी कह रहे थे कि आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ सालों के लिए जब तक यह तैयारी नहीं हो जाती । कुछ समय तक आपको यह बन्द करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें भी कम्प्लीकेसी आएंगी। अब तो आपने इसको इम्प्लीमैन्ट किया है और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । एक मुझे सूचना मिली है कि अब जो रिजल्ट पहले समेस्टर का निकाला गया , नगरोटा-बगवां की एक ऐसी लड़की है या ऐसा लड़का है जिसने इम्तिहान ही नही दिया। लेकिन वह पास डिक्लेयर हो गया । आपको हैरानी इस बात की होगी कि कम्पलीकेशन्ज़ इसलिए भी आ रही है कि थ्योरिटिकल के केवल 5 0अंक रह गए हैं । आपको 50 परसेंट अंक इनटरनल एसैसमैन्ट क्रेडिट के देने हैं। 120 क्रेडिट बच्चे को पास करने हैं। 25 नम्बर का एक क्रेडिट होता है । अगर उसमें देखा जाए तो कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है । यह तो वैसे भी आपने बच्चों के साथ बड़ा अन्याय कर दिया और बच्चों के साथ नाइंसाफी कर दी । According to the rules of RUSA if examination is to be conducted, I think that nobody would go to the next class. आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय आपके पास यह विभाग है, मैं मानता हूं आपको कम समय मिलता है । मैं तो आपको सुजैस्ट नहीं कर सकता कि और आदमी रख लो। परन्तु इसके लिए कोई आदमी चाहिए जो लगभग 24 घंटे में 12-14 घंटे सिर्फ एजुकेशन पर ही ध्यान दे। यह बहुत बड़ा विभाग है । आपका दोष नहीं है क्योंकि आपके पास समय नहीं है । अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप स्वयं समझेंगे कि हम न तो आधार भूत ढ़ांचे का प्रबन्ध कर सके, न ही हम टीचरों का प्रबन्ध कर सके और

न ही जो गाइड-लाइन्ज़ हैं उनपर चल सके जिनपर हमें चलना चाहिए था। आगे जा करके और भी बे-इंसाफी होगी । अगर इसी तरह बच्चे आगे भी

09.12.2014/1245/negi/ag/2

निकलते रहे। इसको थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। जैसे मैंने एजुकेशन की बात की और स्मार्ट रूम की बात की । यह प्राईमरी ,मिडल या हाईस्कूल की बात नहीं है , यह तो युनिवर्सिटी लेवल की बात है । वहां पर कैसी-कैसी जगह हैं और वहां पर कैसी-कैसी उपलब्धियां आपके समक्ष आएंगी और उसके लिए आधार-भूत ढ़ांचा हर किस्म का होना चाहिए। क्लास रूम का भी होना चाहिए और टीचर्ज़ का भी होना चाहिए । एक बेहतर इंस्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप उस अनुपात में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको उस अनुपात में पैसा तब मिलेगा जब आपकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी होंगी। तब जा करके केन्द्र की तरफ से पैसा आएगा। यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट इसको लागू करेगी तो उसको मदद मिलेगी । वरन् नहीं मिलेगी। अब कालेज़ की हालत देखें। उन्होंने पूछा कि एक-दो कालेजिज़ में ये थे, वे कहते हैं कि चल रहा है। नाम है लेकिन टीचर्ज़ नहीं है, क्लास रूम नहीं है। उसके लिए कोई गाइड लाइन्ज़ नहीं है । उसके लिए कोई इन्तजाम नही है। हम तो 6 घंटे या 8 घंटे तक ठहरने के लिए तैयार हैं । लेकिन कालेज़ लेक्चरर को 10 घंटे कालेज़ परिसर में रहना होगा...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

09/1250/2014-12-यूके/एजी/1
श्री ईश्वर दास धीमान----जारी-----

लेकिन कॉलेज लैक्चरर को 10 घंटे तक परिसर में रहना होगा । for the sake of students कोई आदमी 10 घंटे तक किसी स्थान पर रहता है तो उसकी सुविधाओं के लिए और सेमिनार में जाने के लिए, शिविर लगाने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए यह तो एक बहुत बड़ा थीम है । उच्च शिक्षा से ऊपर क्या है ? कुछ भी नहीं है। पहले प्राथमिक था फिर माध्यमिक आया , अब उच्च शिक्षा है । इससे आगे कुछ नहीं है तो इसके लिए आपको मेरा तो यह अनुरोध है कि आवश्यकता है कि आप इसकी तरफ गंभीरता से सोचें यह मौलिक आवश्यकता है । प्रदेश को अगर आगे निकलना

है तो आज कंपिटिशन का जमाना है। उस कंपिटिशन के जमाने में क्या कारण है कि हमारी ऐनरोलमैंट रेशो कम हो रही है ? यह कारण कुछ नहीं ही है।
मुख्य मंत्रीः इन्होंने रेशो की बात की है मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी कॉलेज में ऐनरोलमेंट कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है ।। have figures of every college.
श्री ईश्वर दास धीमानः आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहे तो इस प्रदेश का ऐजुकेशन में कोई मुकाबला नहीं कर पायेगा
मुख्य मंत्रीः मैं आपको बताना चाहता हूं कि "रूसा" लगाने के बाद हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में जो नयी भर्ती हुई है वह कम नहीं है और सारे कॉलेजों के अन्दर विद्यार्थियों ने जो एडमिशन ली है वह पिछले वर्षों से कहीं अधिक है।
श्री ईश्वर दास धीमन : आपने क्या कर रखा है वह किसको पता है। लेकिन यह प्रोस्सेस है। डैमाक्रेसी है, कभी हम आएंगे, कभी आप आएंगे तो आप हमें दोषी ठहराएंगे। लेकिन आप बड़े दोषी हैं, हम तो थोड़े कम दोषी हैं क्योंकि आपने बड़ी देर तक यहां पर शासन किया है। यदि प्रदेश में कुछ होता है, कुछ मिलता है प्रदेश को तो उसका क्रेडिट भी आपको मिलता है , हमें कम जाता है। अगर प्रदेश की कहीं अवनति होती है और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में तो डिसक्रेडिट लेने के लिए भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।

09/1250/2014-12-यूके/एजी/2

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए यही मेरा सरकार से निवेदन है कि आधारभूत ढांचा जिस भी किसी किस्म का हो उसको मजबूत करने का प्रयत्न किया जाए और वार फुटिंग पर किया जाए। अध्यापकों की भर्ती, देखिए बच्चों के लिए चार चॉयस है लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ दि टीचर एक चॉयस के लिए है। नाम इसका चॉयसबेस्ड है, इसमें हम बधाई देते हैं कपिल सिब्बल को कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की है ,यह स्कीम कोई बुरी नहीं है। देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली है। उन्होंने बड़ा सोच समझ कर किया है। मुझे भी 3-4 बार "रूसा" के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा वहां जो सुझाव मैं दे सकता था, मैने भी दिये। कुछेक बातों में हमें भी आपत्ति रही। लेकिन सारी स्टेट ने निर्णय लेना होता है उसमें सबके साथ चलना होता है। तो इसमें यह करिये कि 3 टीचर्स स्पेशियली जो अब मॉर्डन सिस्टम चला है उसके मुताबिक उनको विभिन्न विषयों के टीचर्स को भरर्ती करने का, कम से कम हर कॉलेज अगर आप 4 या 5 विकल्प नहीं दे सकते हैं। तो कम से

कम 2 तो दीजिए । बाद में फिर 3 या 4 सही लेकिन चॉयस के लिए कोई विकल्प होना चाहिए । इसमें शायद हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम आर्थिक तौर पर भी कमजोर हैं । लेकिन एक से दो और 2 से 3 तो कर सकते हैं, बच्चों को चॉयस तो मिल सकता है ।

एसएलएस द्वारा जारी-----

09.12.2014/1255/SLS-AG-1

श्री ईश्वर दास धीमान...जारी

वह च्वायस बच्चों को नहीं मिल रही है जिसके कारण बच्चे तंग हो रहे हैं। वह पैसा खर्च कर रहे हैं फिर भी उनकी शिक्षा का ह्रास हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें नवीनता लाएंगे।

Deputy Speaker : Please wind up now.

श्री ईश्वर दास धीमान :इसमें अग्जामिनेशन सिस्टम पर जो समैस्टर प्रणाली लगी हुई है ,इसमें भी आपको हैरानी होगी कि समैस्टर भी दो छोटे अग्जामिनेशन्ज को लेकर होगा और उसमें स्टूडैंट को क्रैडिट मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि स्टूडैंट को 120 क्रैडिट लेने हैं। जब तक बच्चों को च्वायस ठीक नहीं मिलेगी तब तक यह क्रैडिट लेने भी मुश्किल हो जाएंगे । आप हैरान होंगे कि फिजिक्स या कैमिस्ट्री की च्वायस वाले बच्चों को आट्र्स लेने की बात की जा रही है ; उनसे गीता और संविधान पढ़ने की बात की जा रही है। अब जो बच्चा फिजिक्स, कैमिस्ट्री या बायोलोजी में शिक्षा लेना चाहता है उसको जबरदस्ती आट्र्स में शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इसमें कितनी दिक्कत है! इसलिए ही मैं इस बात पर ज्यादा ज़ोर दे रहा हूं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, इंटरनल असैसमैंट का मामला अब अध्यापक के ऊपर निर्भर हो गया है। अध्यापक तो तभी कर पाएगा अगर वह उस स्थान पर बैठेगा। अध्यापक तो व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छा-बुरा कर सकता है। इसमें अध्यापक का चयन बहुत ज़रूरी है। यह हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि 50% अंक ऐक्सटर्नल अग्जामिनेशन में हैं और उसमें आपको क्रैडिट के हिसाब से करना होगा। साथ ही

50% अंक प्रैक्टिकल के हैं जो कि आपने व्यवहारिक तौर पर करना है या अध्यापक ने करवाना है। ऐसा डॉक्टरेट जैसी बड़ी क्लासिज में होता है। उसमें ट्यूटर के पास ही सब अख्तियार होता है जबकि यही बात अब कॉलेज में फर्स्ट ईयर से शुरू हो गई है। इसलिए जो selection of the teacher or recruitment of the teacher है, वह

09.12.2014/1255/SLS-AG-2

ज़रूरी है। इसे आप करें और जो इसमें कुछ कमी रह जाएगी, वह भी बाद में पूरी हो जाएगी। शिक्षा के लिए आपकी संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। इसमें जो हमारी राष्ट्रीय छवि है वह दूसरे देशों की तरह हो। उनके मुकाबले में हम उभरें। वह चाहे आर्थिक तौर पर हो चाहे टैक्निकल तौर पर हो या ऐजुकेशनल तौर पर हो। इसलिए उनके बराबर चलने के लिए हमारा जो आधारभूत ढांचा है ,हमारी जो ऐस्टाबलिशमैंट है, हमारा वातावरण है, हमारी इंटेग्रिटी है ,उसमें अगर इंप्रूवमैंट आएगी तो यह बहुत बड़ी बात है। यह कोई 1, 2 या 4 लोगों का काम नहीं है बल्कि सारे राष्ट्र का काम है। पहले तो इसमें अध्यापक का रोल है और साथ ही इसमें सहभागिता होनी चाहिए। जैसे समाज की और प्रदेश सरकार की सहभागिता है वैसे ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता है। केंद्र अगर मदद न करे तो शायद राज्य रूसा को कार्यान्वित ही न कर पाए। लेकिन पैसा आपको तब मिलेगा जब यहां पर आपकी तैयारी पूरी होगी। इसलिए उम्मीद है कि इस बारे में आप यूनिवर्सिटीज में भी और कॉलेज स्तर पर भी ध्यान देंगे और रूसा की गिरती हुई साख को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय भारद्वाज जी का भी और अध्यक्ष महोदय, आपका भी धन्यवाद करता हूं।

अगला वक्ता ...श्री गर्ग जी के पास

09/12/2014/1300/RG/JT/1

श्री ईश्वर दास धीमान के पश्चात

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात नहीं समझ सका। माननीय सदस्य एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने अपने भाषण में जो कहा है, मैं समझ नहीं पाया कि ये RUSA का समर्थन कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं पहले तो विरोध

ही किया। क्या आप समझते हैं कि RUSA ठीक है या इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए? यह बात स्पष्ट नहीं हुई।

अध्यक्ष : यह एक चर्चा है।

श्री ईश्वर दास धीमान : मुझे यह समझ नहीं आया कि मुख्य मंत्री जी मेरी बातों का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय धीमान जी ने बहुत ही स्पष्ट बात कही और धीमान यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि अगर RUSA को इंप्लीमैंट करना है ,तो proper infrastructure, Class-room का इनफ्रास्ट्रक्चर ,बहुत सी सुविधाएं , संबंधित टीचर्ज और टीचर-टॉट रेशो सारा ऐटमॉस्फीयर तैयार होगा, तभी RUSA इंप्लीमैंट हो सकता है, otherwise chaos create हो रहा है। That is what he said.

अध्यक्ष : अब भोजन के अवकाश के बाद चर्चा होगी। अब इस सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

09/12/2014/1400/MS/JT/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई)

अध्यक्षः अब नियम 130 के अन्तर्गत आगे चर्चा होगी। अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अन्तर्गत श्री सुरेश भारद्वाज जी ने रूसा के ऊपर जो चर्चा यहां लाई है, उस पर अपनी बात रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, शिक्षा ग्रहण करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि पूर्व सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा पर बहुत अच्छा काम हुआ , जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदेश को

अनेकों अवार्ड मिले हैं। पूर्व सरकार के समय , जैसा हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री आर0डी0 धीमान जी ने बताया,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

9/1405/12.2014.जेके/जेटी/1

श्री सतपाल सिंह सत्तीः------जारी------

पूर्व सरकार के समय, जैसे कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री आई0डी0 धीमान जी ने बताया और अनेकों विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे। अनेकों क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ। जैसे कि समय -समय पर केन्द्र सरकार की तरफ से हर विभाग की तरफ से योजनाओं के अलग-अलग प्रस्ताव आते हैं और हिन्दुस्तान के सभी राज्यों को उसमें अपने विचार रखने का अधिकार रहता है और वहां असहमति प्रकट करने का भी अधिकार रहता है। इससे पूर्व सर्वशिक्षा अभियान हिन्दुस्तान में लागू हुआ और उस समय के केन्द्रीय मंत्री, डा0 मुरली मनोहर जोशी के समय में हिमाचल प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। तत्कालीन धूमल सरकार के समय पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा काम हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया। उसको भी हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया। अभी राष्ट्रीय उच्चतर अभियान रूसा पूरे देश में चला। श्री कपिल सिब्बल के समय में यह विषय आया। यह विषय शिक्षा से बड़ी गम्भीरता से जुड़ा हुआ था, लेकिन आनन-फानन में इसको प्रदेश सरकारों के ऊपर थोपा गया। हिमाचल प्रदेश में भी रूसा लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस सिस्टम को लागू किया जाए ताकि कुछ और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए। हिन्दुस्तान के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे आने वाले समय में शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन की चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सके। इसमें गुणवत्ता लाने का विषय था और इसमें पूर्णतया सफल हुए हैं। अनेकों बातें श्री सुरेश भारद्वाज जी ने, श्री आई0डी0 धीमान जी ने यहां पर गिनाई। रूसा के अन्तर्गत हमें 100 करोड़ रूपये का प्रावधान दिया गया । हम उस 100 करोड़ रूपये के चक्कर में उसको लागू करने में लग गए। उसके साथ-साथ उस पैसे से हमने यह सोचा कि हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। यदि हम इन चीजों के ऊपर विचार करें कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? क्या वह 100 करोड़ रूपये हमें मिला और क्या

9/1405/12.2014.जेके/जेटी/2

हिमाचल प्रदेश की शिक्षा में इन्फ्रास्ट्रक्चर दो साल में मज़बूत हुआ है ? अगर हम इसकी गहराई में जाए तो हमें पता चलेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार क्या होना था बल्कि उल्टा हायर एजुकेशन में छात्रों के लिए, टीचर्ज के लिए और जो मैनेजमैंट है ,उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी हुई है ? इसमें बहुत सारी कमियां इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में देखने में आई है। कॉलेजिज में सीटें लिमिट हो गई। खासकर के जो हेड क्वार्टर्ज के जो कॉलेजिज़ हैं उनमें 3 से 5 हजार तक विद्यार्थियों की संख्या है। खास करके B.A. प्रथम वर्ष, B.Com और B.Sc प्रथम वर्ष में बहुत ज्यादा विद्यार्थी बैठते हैं और उसमें लगभग 200 250-और 300 बच्चों की भी स्ट्रैंथ रहती है। लेकिन इनमें सीटें लिमिट हो गई। कहीं पर 60 सीटें भरी गई और कहीं 70 सीटें भरी गई। कॉमर्स के क्षेत्र में तो बच्चों को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी करने के बहुत सारे चांस होते हैं और बच्चा अपना व्यक्तिगत काम भी कर सकता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी...

09.12.2014/1410/SS-JT/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती क्रमागतः

तो कॉमर्स के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के तीन कॉलेजिज़ को छोड़कर बाकी सब कॉलेजिज़ में 60 सीटें कर दी गईं और विद्यार्थी 300 या 350 थे। अनेकों कॉलेजिज़ ऐसे थे जिनमें 300 तक की स्ट्रैंथ थी। इसी तरह से सीटें लिमिटिड होने के कारण मैरिट हाई गई। हायर एजुकेशन में आप जानते हैं कि आजकल हर व्यक्ति शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। परिवार के परिवार अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करके उन्हें पढ़ा रहे हैं। उसके कारण मेरे ध्यान में आया कि 70 परसैंट मार्कस वाले को भी ऊना हैडक्वार्टर में एडमिशन नहीं मिली। बच्चे कभी बंगाना कॉलेज की तरफ भागे। कभी 35 किलोमीटर अम्ब कॉलेज और कभी 65-60किलोमीटर दौलतपुर कॉलेज भागे। ऐसा पूरे प्रदेश में हुआ। शिमला में एडमिशन नहीं मिली। मान लो आर0के0एम0वी0 में एडमिशन नहीं मिली, सैंट बीट्स में नहीं मिली, संजौली कॉलेज में नहीं मिली, कोटशेरा में नहीं मिली तो लोग ठियोग की तरफ 42 किलोमीटर गए। इस तरह से लोगों को थोड़ी दूर तक भागना पड़ा। उसके कारण परिवार वालों और बच्चों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा और कई लोग जो इतनी दूर का किराया नहीं दे सकते थे उनके बच्चों ने शिक्षा को छोड़ दिया। इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम आई। एक

मेजर सब्जैक्ट और बाकी माइनर सब्जैक्टस बच्चे को लेने हैं। हम सब लोग पढ़े हैं तो उस समय ऐसा रहता था कि मान लो नॉन-मेडिकल का स्टूडैंट है फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ रखकर आगे बढ़ेगा। जब आप एम0एस0सी0 में जाना चाहेंगे तो आप किसी भी सब्जैक्ट में एम0एस0सी0 कर सकते हैं। ऐसे ही आप आर्टस में गए तो दो-तीन सब्जैक्टस प्रमुख रख लिये। एक इंग्लिश हो गया, साथ में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया या अन्य कोई भी सब्जैक्ट हो गया जो आदमी की पसन्द का है। वह आगे बढ़ेगा और उसको एम0ए0 में एडमिशन मिलेगी। इन तीन सब्जैक्टस में से आदमी एम0ए0 में चला जायेगा। अब उसके पास आगे हायर एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रैजुऐशन क्लासिज़ के लिए स्कोप लिमिटिड हो गया। अगर उसने मेजर सब्जैक्ट पॉलिटिकल साइंस रखा है और साथ में दो अन्य सब्जैक्टस लिये हैं अगर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन नहीं होती है तो वह

09.12.2014/1410/SS-JT/2

एम0ए0 करने से वंचित हो गया। म्यूजिक और संस्कृत की वह पढ़ाई करना नहीं चाहता, उसके कारण वह हायर एजुकेशन से बाहर हो गया। इस तरह से एक मेजर सब्जैक्ट होने के कारण आदमी के आगे हायर एजुकेशन में चांस कम हो गए। उसके साथ-साथ समैस्टर सिस्टम लागू किया। मुख्य मंत्री महोदय के पास शिक्षा विभाग है आप हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मुझ से पूर्ववक्ताओं ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को प्लेन क्षेत्र के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस देश में कोई भी योजना बनती है तो हम उसको कुछ सीमाओं के अंदर बांध कर रख देते हैं जैसे हिन्दुस्तान में डिलिमिटेशन हुआ तो सबको कहा कि जनता बराबर करो। अब जनता बराबर करो तो हिमाचल प्रदेश में डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर की कांस्टीचुऐंसीज़ बन गईं। दिल्ली की कांस्टीचुऐंसी बढ़िया बन गई क्योंकि वहां पर जनता बराबर हो गई। अब उनके ध्यान में नहीं आता कि दिल्ली के बाहर भी देश बसता है। इस देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं रहते हैं। ऐसे ही मान लो रूसा आया। रूसा में उन्होंने कहा कि इस तरह से आप एक मेजर सब्जैक्ट रखेंगे। उनके ध्यान में नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जैसे ज़िला में एक ही कॉलेज है और 250, 300 या 400 किलोमीटर से लोग आते हैं। अगर कहीं उनको वहां एडमिशन नहीं मिली तो आदमी को चेंज करके दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लाहौल-स्पिति वाले को कुल्लू

आना पड़ेगा। उसमें चम्बा वाले को कहीं और जाना पड़ेगा। अगर दूर जाना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि उसको पैसा ज्या दा खर्चना पड़ेगा। क्वार्टर में रहना पड़ेगा। होस्टल में व्यवस्था नहीं है तो कहीं और रहना पड़ेगा। इस प्रकार उसका खर्चा बढ़ गया। इस तरह से समैस्टर सिस्टम होने के कारण आदमी के ऊपर दबाव आ गया। दूसरा समैस्टर सिस्टम का नुकसान ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण यह रहा कि हिमाचल प्रदेश में जब पहले एनुअल सिस्टम था तो रिजल्टस समय पर नहीं आते थे। हम सब युनिवर्सिटी में रहे हैं। धीरे-धीरे कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। आज से 15 साल पहले शिमला युनिवर्सिटी में 70 हजार स्टूडैंटस थे अब सवा लाख के लगभग हो गए हैं। जबकि कर्मचारी पहले से

09.12.2014/1410/SS-JT/3

कम हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक खाली पड़ा है। कई सालों से भर्तियां नहीं हो रही हैं। युनिवर्सिटी में ही टीचर्ज़ की 190 पोस्टें कई सालों से खाली पड़ी हुई हैं। उसके कारण जब समैस्टर सिस्टम आया तो जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री धीमान जी ने कहा कि फर्स्ट समैस्टर का रिजल्ट आया नहीं ,सैकिण्ड समैस्टर के एग्जाम हो गए और तीसरे समैस्टर की एडमिशन हो रही है। स्टूडैंटस को पता ही नहीं है कि वह पहले या दूसरे समैस्टर में पास भी है या नहीं। उसके कारण कर्मचारियों और टीचर्ज़ पर भी दबाव आया। इनके साथ-साथ जो व्यवस्था और हुई है..

जारी श्रीमती के0एस0

/1415/2014-12-09केएस/जेटी/1
श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी----

इनके साथ-साथ जो व्यवस्था और हुई है कि टीचर्ज़ को जैसे कहा गया कि इससे उनके ऊपर ज्यादा प्रैशर आया और उसके कारण उनको कॉलेज के अन्दर रुकना है। आप जानते हैं कि हमारे अनेकों कॉलेज नए हैं। हमारे सीमित साधन हैं। आज भी कई जगह स्टाफ को बैठने के लिए कमरे नहीं है। यह भी हमारा शिक्षा की ओर ध्यान न देने का एक कारण है। यहां पर आज भी ऐसे बहुत से कॉलेजिज़ हैं जिनमें विद्यार्थियों को ही बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं हैं और कई जगह कॉलेजों में बिल्डिंगें तो बन गई लेकिन वहां पर कमरों में बैठने के लिए विद्यार्थी नहीं है। यह कोई पोलिटिकल स्कोर सैटल करने की बात नहीं है । हुआ क्या है कि यू.जी.सी. ने तय

कर दिया कि जो नए कॉलेज खोलेगा उसको युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन 9करोड़ रुपये देगा। बच्चे उसमें कितने होने चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। एक नक्शा तय हो गया । वह नक्शा हमारे बीटन कॉलेज में भी बना, झंडुता में भी बना, जुखाला में भी बना। अब जुखाला में 225 बच्चे हैं और बीटन में 125 बच्चे हैं जबकि मण्डी, हमीरपुर, धर्मशाला आदि हैड क्वार्टर में पांच-पांच हजार बच्चे हैं। वहां पर कमरे नहीं है और जहां पर कमरे हैं वहां पर बच्चे नहीं है। 52 कमरे बन गए उनको झाड़ू मारने वाला कोई नहीं है । प्रिंसिपल रो रहा है कि 125 बच्चे 52 कमरों में घूम रहे हैं इनको कैसे इकट्ठा करके क्लासों में ले कर आएं ? तो यह शिक्षा के मामले में डिटेल में सोचने का विषय है । इसके बारे में डायरैक्टर सोचें, शिक्षा सचिव सोचें या कोई परमानैंट व्यक्ति इसमें लगे। हमने देखा है कि पैसा तो गवर्नमैंट के पास है लेकिन उसको इस तरह से भेज रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां बिल्डिंग बननी है, डिमांड क्या है और हम भेज क्या रहे हैं। कॉलेजों में, हायर ऐजुकेशन में, +2 स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत से आयाम स्थापित किए हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद हमारी पूर्व सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया । हमारी पूर्व सरकार के समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में केरल से भी आगे निकले हैं लेकिन रूसा सिस्टम को लागू करने के कारण हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों में बहुत रोष है। जो उसमें अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं, विद्यार्थी

/1415/2014-12-09केएस/जेटी/2

परिषद है, एन.एस.यू.आई. है, एस.एफ.आई. है , चाहे जिस भी विचारधारा के समर्थक विद्यार्थी हैं, वे चाहे आन्दोलन नहीं कर सकते लेकिन अगर आप उनके साथ बैठकर इस बारे में बात करेंगें तो वे भी आपको बता देंगें कि यह गलत सिस्टम है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई पोलिटिकल स्कोर सैटल करने की बात नहीं है लेकिन इसमें हम कर क्या रहे हैं ? सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। विद्यार्थी परेशान हैं, अध्यापक परेशान है और रिज्ल्ट निकालने वाले परेशान होते हैं। गवर्नमैंट के लिए 100 करोड़ रुपये कुछ नहीं होते। 100 करोड़ रुपये तो अगर आप फंड्ज़ की डिस्ट्रिब्यूशन जो गलत होती है उसको रोकें तो मैं कह सकता हूं कि एक डिपार्टमैंट बचा सकता है लेकिन उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। जो दिल्ली से यहां पर आया और जो अधिकारियों ने बताया , हमने उसको लागू कर दिया और हम आगे बढ़ने लग पड़े उस तरह से यह मामला चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय आपके

माध्यम से मुख्य मंत्री जी से मेरा यह आग्रह रहेगा कि इसमें कोई प्रैस्टिज़ इश्यू न बनाते हुए इसके लिए कोई एक्सपर्ट चार लोग बैठें और इसके ऊपर निर्णय लें। पैसे के पीछे हम न जाएं। पैसे के बारे में अभी बोला भी गया कि पैसा आया भी नहीं है । इसके लिए जो हमने नए टीचर्ज़ भर्ती करने थे टीचर्ज़ और स्टूडैंट्स की जो रेशो हमने बराबर करनी थी वह हम नहीं कर पाए। इसके अनेकों कारण होंगें। करना भी चाहते होंगें लेकिन कोइ स्टे में चला जाता है , कोई कहीं चला जाता है तो उसके कारण वह पैसा भी नहीं आया और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं हुआ पुराना जो हमारा सिस्टम चला था वह भी तबाह हो गया। आज विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और रिजल्टस नहीं आ रहे हैं तो विद्यार्थी जो बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बाकी युनिवर्सिटियों में एडमिशन खत्म हो जाती है और यहां हमारे बच्चों के रिजल्टस ही नहीं निकले होते हैं और उनको बाहर एडमिशन नहीं मिल पाती है। तो इस सारे सिस्टम को अगर हम स्टडी करेंगें तो मुझे लगता है कि आपके ध्यान में आएगा आपको लगेगा कि रूसा सिस्टम बिल्कुल फेल है। दूसरा विषय जो हिमाचल प्रदेश में फीस वृद्धि का आया है, भारद्वाज

/1415/2014-12-09केएस/जेटी/3

जी और रणधीर शर्मा जी ने फीस वृद्धि का विषय भी जोड़ा था उसके बारे में भी युनिवर्सिटी में बहुत बड़ा आन्दोलन चला है। इसमें में चार लोग गलत भी हो सकते हैं क्योंकि युनिवर्सिटी में एक ऐसी विचारधारा के लोग भी हैं जिनका काम सुबह से शाम तक गले में फट्टे लटकाकर नारे लगाना ही है । उनका और कोई काम ही नहीं है । इस देश में राम राज्य भी आएगा तो भी उनको बुरा ही लगेगा उन्होंने कभी किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.12.2014/1420/ag-av/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती ------क्रमागत

उन्होंने कभी किसी सरकार का समर्थन नहीं किया और न ही किसी व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन वहां अच्छे स्टूडैंट्स और ऑर्गेनाइजेशन्ज भी हैं जो वहां पर काम करती है। वहां पर विद्यार्थियों के लिए फीस में बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है। हम लोग भी युनिवर्सिटीज में पढ़े हैं और हम यह नहीं कहते कि आज भी वही सिस्टम

लागू होगा। मगर हमें फीस में धीरे-धीरे वृद्धि करनी चाहिए और सरकार उसमें युनिवर्सिटी को सहयोग करे। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के समय में युनिवर्सिटी की ग्रांट 90 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी मगर अब वह इस सरकार के समय में 65 करोड़ रुपये रह गई। अब 35 करोड़ रुपये की राशि को मीट आउट करने के लिए वहां पर दो-दो हजार रुपये फीस बढ़ा दी गई। जिसकी फीस 100 रुपये होती थी उसकी 1500 रुपये हो गई। विद्यार्थियों पर एकदम फीस का बोझ बढ़ गया। हमारा सौभाग्य है कि यहां पर चाहे आपकी पार्टी की सरकार है या हमारी पार्टी की सरकार हो; हम सभी लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग भली-भान्ति जानते हैं कि यहां पर लोगों की आर्थिकी कितनी है। यहां ज्यादा बड़े लोग नहीं है और जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे आज यहां पढ़ भी नहीं रहे हैं। कोई इंजिनीयरिंग में जा रहा है, कोई मेनेजमैंट में जा रहा है; जनरल ऐजुकेशन में तो बहुत कम लोग जाते हैं। ये वही लोग होंगे जिनको कहीं और ऐडमिशन लेने में पैसे की दिक्कत आती है या जिनको ऐसा लगता है कि सरकारी सिस्टम में उनको पढ़ना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को तो होस्टल की फीस देने में भी मुश्किल आती है। उन लोगों को तो अगर री-अप्पीयर आ जाए तो उसकी फीस देने में मुश्किल होती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत लोग गरीब हैं इसलिए हम इनके बारे में भी सोचे। कई बार हमने आपका (माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा।) बयान पढ़ा। आपने अखबारों में बयान दिया कि आजकल विद्यार्थी दो-दो हजार रुपये की पैंट डालते हैं और 5-5 हजार रुपये के मोबाइल रखते हैं मगर फीस देने से डरते हैं। ऐसा आपका बयान अखबारों में छपा। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में हैं। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लासिज

9.12.2014/1420/ag-av/2

में जाने के लिए घर वालों पर निर्भर है और घर वाले उनको बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप रूसा सिस्टम के ऊपर पुनः विचार करें। इसको आगे बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर आप इसको दूसरी स्टेटों में भी दखेंगे तो पायेंगे कि यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। पहले यह सिस्टम कई राज्यों ने लागू किया था मगर जब वहां पर बार-बार स्टूडैंट्स और टीचर्ज परेशान हुए तो इसको वहां से हटा दिया गया। इसी तरह से फीस वृद्धि का मामला है। बहुत ज्यादा फीस वृद्धि की गई है। हम भी कोई गैर जिम्मेवार पार्टी के लोग नहीं है। हमें पता है कि कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसके कारण लोगों पर भी थोड़ा

आर्थिक बोझ पड़े और जो फीस देने योग्य हैं , वे दें। जब हम युनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे बीच में कई लोग ऐसे थे जो स्कूल ऐजुकेशन के समय तो एक-एक महीने की फीस दो-दो हजार रुपये देते थे और एल.एल.बी. 100 रुपये में कर रहे होते थे। हम छोटे स्कूलों से पढ़कर निकले थे मगर हमारी फीस भी सौ रुपये और उनकी फीस भी सौ रुपये होती थी। मुझे लगता है कि जो बड़े-बड़े स्कूलों या कॉनवैंट स्कूलों से पढ़कर आते हैं उनके बारे में यह पता करना चाहिए कि उन्होंने दसवीं, प्लस-टू या ग्रेजुऐशन तक कहां से शिक्षा प्राप्त की है? उस समय उनका क्या फी स्ट्रक्चर था और जब लॉ या एम.ए. के लिए युनिविर्सिटी में आए तो क्या फी स्ट्रक्चर है। इस तरह से स्टूडैंट की आगे भी अलग-अलग फीस रखी जा सकती है। बजाय कि सबके ऊपर दो-दो हजार रुपये फीस डाल दो। जब एक विद्याथी आठवीं क्लास में दो या पांच हजार रुपये महीने की फीस दे सकता है तो युनिवर्सिटी में एल.एल.बी. वह सौ रुपये में क्यों पढ़े? इस संदर्भ में विचार किया जा सकता है कि जो देने योग्य व्यक्ति है वह कैसे दें। हर तरह के स्टूडैंट को एक ही खूंटे से बांध देना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। इस बारे में सरकार को कभी-न-कभी कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन रूसा के विषय में जहां तक मुझे जानकारी है क्योंकि हमने विद्यार्थियों से, स्टूडैंट फैडरेशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन्ज ; सबके विचार लिए हैं। उसमें आपकी विचारधारा के लोग भी शामिल हैं। वे सभी दबी जुबान में कहते हैं कि रूसा को समाप्त कर देना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। हमारे लिए आगे लिमिटिड चान्स

9.12.2014/1420/ag-av/3

रह गये हैं। इसी तरह से बाकी लोग भी परेशान है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस रूसा सिस्टम को आने वाले समय में बंद कर देना चाहिए। दूसरे, फीस वृद्धि के बारे में आप सकारात्मक सोच रखते हुए पुनः विचार करें कि विद्यार्थियों को किस तरीके से इस बोझ से बचाया जा सकता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में ये सारा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमने जो पुरानी सरकारों के समय में किए हुए कार्यों के कारण शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा स्तर प्राप्त किया है तो वह स्तर आगे भी चलता रहेगा। जो इसके कारण लोगों में अनरैस्ट है वह मुझे लगता है कि रुकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और मुख्य मंत्री महोदय से यही आग्रह करुंगा कि रूसा सिस्टम को समाप्त करके इसमें शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाये और अनरैस्ट को कैसे समाप्त करें; इस पर विशेष ध्यान दें। आपने मुझे समय दिया,आपका धन्यवाद।

समाप्त

अगला वक्ता श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1425/09.12.2014नेगी/ए.जी./1

अध्यक्षः अब श्री विजय अग्निहोत्री जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, रूसा के प्रावधानों पर विचारार्थ जो प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज़ जी ने रखा है , उस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बहुत चिन्ता-जनक विषय है । क्योंकि विश्व गुरू रहे भारत में आजादी के 67 वर्ष पूरे होने के उपरान्त भी हमारी शिक्षा पद्धति क्या होनी चाहिए, हम इसके ऊपर कोई अथेंटिक निर्णय तक नहीं पहुंच पाये। हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें, उनको डिग्री के साथ लिंक करें, डि-लिंक करें , सब्जेक्टिव सिस्टम दें, समेस्टर सिस्टम दें और अन्य सिस्टम दें , आज तक हम इन्हीं विषयों के अन्दर उलझे हुए हैं। यह बहुत ही चिन्ता-जनक विषय है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज की, किसी राष्ट्र की प्रगति व उन्नति निर्भर करती है। हम जिसको जैसा एजुकेट करेंगे, जैसी एजुकेशन देंगे , वह समाज उसी तरफ आगे बढ़ेगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जब यहां के चिन्तकों को, विचारकों को और राजनीतिज्ञों को जो पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए थी शायद उसमें भूल-चूक हो गई। लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाते हुए जब हम 1984-85 तक पहुंचे तो तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने कहा कि यह जो एजुकेशन सिस्टम है यह, जो हमारा गोल है उसको एचीव नहीं कर पा रहा है और हम इसके लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। उन्होंने श्री के.सी. पंत के माध्यम से एक नया फ्रेम वर्क दिया और दस जमा दो शिक्षा प्रणाली शुरू हो गई। और कहा कि अब हम नवोदय स्कूलों के माध्यम से लोगों को एजुकेट करेंगे। लेकिन वह सिस्टम भी, दस जमा दो प्रणाली भी, 10 रूम्ज़ प्लस टू रूम्ज़ के अलावा और कुछ साबित नहीं हो सकी। आते-आते एक वक्त आया कि आज हम राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से, एनुअल सिस्टम से, समेस्टर सिस्टम से और जनरल कोर्स से लेकर च्वाइस बेसड एक स्पैशलाइज्डय

सबजैक्ट तक पहुंचने की हमारी जो चेष्टा रही, वह भी आने वाले समय में और आज तक हम जो अध्ययन कर पाये हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ा फेल्योर है। क्योंकि रूसा के माध्यम से हमने समेस्टर सिस्टम किया। हमने कहा कि च्वाइस बेसड कोई

/1425/09.12.2014नेगी/ए.जी./2

भी सब्जैक्ट ले सकता है। स्टुडेंट एक मेज़र सब्जेक्ट ले कर बाकी माइनर सब्जैक्ट चूज़ कर सकता है। हमने कहा कि कमेस्ट्री के साथ लड़का हिस्ट्री पढ़ सकता है। लेकिन आज वस्तुस्थिति क्या है ? अगर हम पूरे कालेज़िज की रिपोर्ट मंगवाएंगे कि इन्टर डिसिप्लीनरी सब्जैक्ट्स लेने वाले स्टुडेन्ट्स कितने हैं ,तो ये बहुत नगण्य हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि पूरे प्रदेश में तीन अंकों में भी यह गिनती जाएगी। क्योंकि जो फिजिक्स, कैमेस्ट्री और मैथ पढ़ता था, कैमेस्ट्री के साथ उसने वही सब्जैक्ट चूज़ किया जो रेगुलर सब्जैक्ट था चाहे वह फिजिक्स था या मैथ था। जब इन्टर डिसिप्लीनरी सबजैक्ट स्टुडेन्ट नहीं चाहता है तो हम उसको यह क्यों दे रहे हैं ? हम जब जनरल पॉलिसी चला रहे थे तो उस समय एक क्लास में 250, 300 या 400 तक की स्टुडेन्ट्स की संख्या होती थी और इसको हमने कम करके 60 या 120 स्टुडेन्ट्स तक सीमित कर दिया। इस नई पॉलिसी में जो-जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुझे से पूर्व के वक्ताओं ने बड़ी डिटेल के साथ आप सब लोगों के समक्ष वह चिन्ता रखी है। रूसा के माध्यम से हम कोई नई चीज़ दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नही है। क्योंकि हमने सलेबल तो चैंज किया ही नहीं। हम वही कैमेस्ट्री, वही प्रेक्टिकल, वही टीचर्ज़ और वही इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को दे रहे हैं। क्या हमने इस सब्जैक्ट को कहीं जॉब के साथ लिंक किया है? कहीं नहीं किया है। वही फिजिक्स व कैमेस्ट्री अब भी पढ़ाई जा रही है। हमने एनुअल एग्ज़ामिनेशन की जगह समेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया। पहले स्टुडेन्ट्स जो ऑनर्ज़ पढ़ते थे उसके स्थान पर अब स्पैशलाइज्ड सब्जैक्ट दे दिया और उसकी भी आगे जा करके इम्प्लीकेशन्ज़ हैं। अगर स्टुडेन्ट उसी स्पैशलाइज्डट सब्जैक्ट में मास्टर डिग्री करना चाहे तो कर सकता है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1430/2014-12-09यूके/एजी/1

श्री विजय अग्निहोत्री-----जारी -----

अदरवाईज़ वह नहीं का पा रहे हैं नहीं तो पहले हमारे पास उसमें भी चॉयस थी। इसमें हमें काई ऐसा मूलभूत परिवर्तन कही दिंया है, कहीं सिलेबस को चेंज किया है, किसी सिस्टम को चेंज किया है, तो नहीं। सिर्फ यही कि सैन्टर से 100 करोड़ रुपए लेना है तो "रूसा" शुर कर दो और कल को कोई और सिस्टम 200 करोड़ रुपए लेने वाला होगा तो "लूटा" शुरू कर दो। इसमें कोई भलाई होने वाली नहीं है। वास्तव में हमने ऐजुकेशन को किस ओर ले जाना है, अपने लोगों को हम जो बोलते हैं यंगिस्तान इंडिया है, जिसके 65 करोड़ से ज्यादा लोग 18 से 35 साल की उम्र के हैं उनको हम कोई दिशा या विजनरी ऐजुकेशन दे पा रहे हैं ऐसा मुझे इस "रूसा" के माध्यम से और प्रेजेंट ऐजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी के माध्यम से नहीं लगता है। हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। "रूसा" हमने आनन-फानन में जल्दी जल्दी किया है। क्योंकि जो सिस्टम बनाते हैं वह कागजों में कोई खराब नहीं होता है। जब उसकी इम्पलीमैंटेशन होती है तब उसकी इम्पलिकेशन्स सामने आती हैं। जब "रूसा" में लोगों को एडमिशन मिलनी बन्द हो गयी जब छात्र एक कॉलेज छोड़ कर दूसरे कॉलेज में भागने शुरु हुए, जब छात्रों को और समस्याओं का सामना करना पड़ा तब लोगों को पता लगा कि इस सिस्टम में कोई नया तो है नहीं। लेकिन समस्याएं नयी खड़ी हो गयीं। आज इस प्रदेश में 18 मेजर सबजैक्ट "रूसा" के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह 18 के 18 सबजैक्ट सभी कॉलेजिज़ में पढ़ाए जा रहे हैं? क्या उसके लिए आपने कोई उसमें रेगुलर फेकल्टी एप्वायंट की है और क्या सभी कॉलेजिज़ में कम से 18 क्लास रूम हैं? अगर हम इस सारे विषय में स्टडी करेंगे तो जो मेजर सबजैक्ट्स हैं उनके लिए एक क्लास रूम की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है। हमने रेगुलर टीचर्स की एप्वायंटमैंट बहुत कम की हैं और जो मेजर सबजैक्ट्स हैं उसके लिए हमने कहा कि एक यूनिट में एक टीचर 7 लोगों को पढ़ाएगा। लेकिन जो पहले ही 200-250 बच्चों को पढ़ाता था वैसे ही आज भी 3-3 यूनिट्स इकट्ठी चल रही हैं। क्या यह

/1430/2014-12-09यूके/एजी/2

सत्य नहीं है ? इसके साथ-साथ जो हमने 100 करोड़ रुपए का एक लालच दे कर "रूसा" को अपनाने की कोशिश की थी तो आज की वस्तुतस्थिति माननीय मुख्य

मंत्री जी सदन में रखें कि आज तक उस 100 करोड़ रुपए में से इस प्रदेश को कितना पैसा मिल चुका है और उसको कहां-कहां और कैसे-कैसे बांटा है ,किस-किस को दिया गया है ? यह भी बताएं कि जो 100 करोड़ रुपए हमें मिलेगा । उसको क्या जो प्राईवेट कॉलेज "रूसा" को अपना रहे हैं उनको भी उससे आर्थिक सहायता मिलेगी ? आज न हमने सिलेबस बदला न हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया । हमने नये कॉलेजिज़ खोले हैं, उन नये कॉलेजिज़ में क्या हालत है, उनमें क्या हम सारे सबजैक्ट्स पढ़ा पा रहे हैं । इसमें चाहे जो 14 महाविद्यालय हमने संगड़ाह, हरिपुर धार, शिलाई, झंडुता, नैनादेवी, थुरल, नौरा, जयसिंहपुर, बाबा बड़ोह, भरमौर, तीसा, सलूणी और पांगी में जो नये कॉलेजिज़ खोले हैं क्या उसमें हमारे पास इतने टीचर्स, फैकल्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा बैठने की व्यवस्था है ? हम इन सारे सबजैक्ट्स को शुरु कर सकते हैं? अगर हमारे पास इतनी क्षमता नहीं हैं थी या हम इसके लिए तैयार नहीं थे इस नये सिस्टम को थोपने की क्या आवश्यकता थी ? इन्टर डिसिप्लिनरी जो सबजैक्ट चूज़ करने वालों की कितनी संख्या है, इस विषय में मैने पहले ही आपके बीच में बात रखी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमें इससे अवगत करवाएंगे और कितने नियमित फैकल्टी के लिए हमने एप्यांटमैंट की है । इन सबके बारे में अगर हम चिंता करेंगे तो हमें यह लगता है कि न हमने सिलेबस में कोई बदलाव किया है, न उसके सिस्टम में कोई बदलाव किया है सिर्फ उसकी अवधि घटा कर साल में दो-दो बार पेपर लेने हैं और लोगों को तंग करने के अलावा साथ में जो हमने "रुसा" में यह कहा था कि एक समेस्टर से दूसरे समेस्टर के लिए एक महीने, दो महीने या 3 महीने के अन्दर -अन्दर हमारा रिजल्ट निकलेगा तो पहला ऐक्सपीरिएंस इस प्रदेश का है और पहले समेस्टर का रिजल्ट जब तीसरे समेस्टर में लोग पहुंच गए और एग्ज़ाम के 9 महीने के पश्चात रिजल्ट निकला है ,वह भी आधा-अधूरा । आज स्टूडैंट्स, टीचर्स और सारे लोग इससे पेरशान है । इसके ऊपर

/1430/2014-12-09यूके/एजी/3

व्यापक चर्चा करते हुए इसके ऊपर व्यापक अध्ययन करना चाहिए । एक सिस्टम के बदले दूसरा सिस्टम और दूसरे के बदले तीसरा सिस्टम हम अपनाते जाएंगे तो शिक्षा का भी भला नहीं होगा और यदि शिक्षा का भला नहीं होगा तो देश और प्रदेश का भला भी नहीं हो सकता, यह मेरा मानना है । इस करके अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ जानकारिया हमने चाही हैं इनको हमारे

समक्ष रखने का मैं आग्रह करता हूं और साथ में "रूसा" को न थोपा जाए जब तक हम कोई बहुत आथंटिकेटिड इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर लेते ।

एसएलएस द्वारा जारी ----

09.12.2014/1435/SLS-AG-1

श्री विजय अग्निहोत्री...जारी

तब तक किसी सिस्टम को केवल 100 करोड़ रुपये के लिए चलाना प्रदेश के हित में मुनासिब नहीं होगा; यह युवाओं तथा सभी छात्रों के साथ धोखा होगा। साथ ही, जो फी स्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है वह ग्रैजुअली हो। जैसे-जैसे खर्चा बढ़ता है वैसे हो, लेकिन जैसे कि सतपाल जी ने और अन्य वक्ताओं ने कहा कि आप 2000%या 3000% बढ़ा दें तो वह एक आर्गेनिक और साइंटिफिक ग्रोथ नहीं मानी जा सकती। इन सारे विषयों पर विचार करते हुए सदन आम युवा और छात्र के हितों के प्रति और आम व्यक्ति की भावनाओं को समझते हुए इसके ऊपर निर्णय करे।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.12.2014/1435/SLS-AG-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, रूल-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव चर्चा हेतु इस सदन में रखा है, मैं अपने आपको उसमें शामिल कर रहा हूं।

I just remember कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस बार सत्ता संभाली थी , उनकी जो फर्स्ट प्रैस स्टेटमैंट आई थी उसमें उन्होंने अपनी सरकार की तीन प्रायोरिटीज बताई थी। पहली ऐजुकेशन, दूसरी हैल्थ और तीसरी करप्शन ; कि करप्शन के विरुद्ध मैं लड़ाई लडूंगा और इसको खत्म करूंगा। जहां तक हैल्थ और करप्शन का विषय है ,इन विषयों पर जब आगे मौका मिलेगा तो इन पर चर्चा करेंगे , लेकिन ऐजुकेशन आज चर्चा का विषय बना है। इसलिए पहले मैं इसके बारे में इस हाऊस को बताना चाहूंगा। पहले मैं हमीरपुर जिले की बात करता हूं। अगर शिक्षा में हिमाचल के बाकी जिलों के साथ हमीरपुर जिला का कंपैरीजन करना है तो मैं

समझता हूं कि हमीरपुर जिला आज नंबर- 1 जिला है। आप पिछले 15-20 सालों की मैरिट लिस्ट देख लीजिए; वह चाहे मैट्रिक की है, प्लस टू की है या कॉलेजिज की है, मेरे हिसाब से 10 मैरिट्स में से 5 मैरिट्स हमेशा हमीरपुर जिले से हैं। लेकिन मैं यह कहूं कि यह क्रैडिट केवल वर्तमान सरकार का है या हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी को जाता है तो यह बिल्कुल गलत है। न ही यह सरकारी स्कूलों को जाता है। हमीरपुर जिला को जो यह क्रैडिट जाता है ,यह सारा-का-सारा क्रैडिट प्राईवेट स्कूल्ज को जाता है। हमारे हमीरपुर टाऊन में 90% बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, केवल 10% बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आप हमीरपुर स्कूल और सुजानपुर स्कूल की बिल्डिंग्ज देखें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग्ज पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपये ऐजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है। जितना ज्यादा खर्च कर रही है या ऐजुकेशन के ऊपर जितना ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं ,सरकारी स्कूलों में उतनी ही संख्या विद्यार्थियों की कम हो रही है। यह विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि इसमें 3 साल से लेकर 25 साल तक के सारे स्टूडैंट्स इनवाल्व हैं।

इस सत्र में पहले भी इस सदन में दो बार चर्चा हुई है। पहला विषय वन कटान था और दूसरा बंदरों का मामला था। लेकिन मैं समझता हूं कि यह मामला उन दोनों विषयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज

09.12.2014/1435/SLS-AG-3

प्रदेश की यह हालत है, अगर आप हिमाचल प्रदेश का सर्वे करवाएं तो 90% पेरैंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रैफरैंस नहीं देते। सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं ? या तो बाहर यू० पी० से या जो राजस्थान से भइये आए हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या फिर प्राईवेट स्कूलों की फीस न दे पाने की वजह से हमारे प्रदेश के पेरैंट्स मज़बूरन अपने बच्चे उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।

जारी ....गर्ग जी

09/12/2014/1440/RG/JT/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर----------क्रमागत

और यहां भी मैं आपसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि यहां जितने भी 68 सदस्य बैठे हुए हैं ,मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से किसी का बच्चा, पोता या पोती सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। यदि किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वह हाथ खड़ा कर दे। (श्री हंस राज एवं श्री मनोहर धीमान जी ने अपने हाथ खड़े किए।) ये दो ऐक्सैप्शन है, 68 में से 66लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और दो सदस्यों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर शिक्षा का यह स्तर हिमाचल प्रदेश में क्यों है ? हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर तो शिक्षा के क्षेत्र में नंबर-1 है ,लेकिन हम यह कम्पैरीजन हिमाचल के साथ कर रहे हैं। यदि हम बाहर के छात्रों के साथ हिमाचल की शिक्षा का कम्पैरीजन करें, तो हिमाचल की शिक्षा का स्तर कम है। यह ठीक है कि लिटरेसी के नाम पर यदि किसी ने अपने हस्ताक्षर कर लिए ,तो उसको भी लिटरेट माना जाता है। क्या वह शिक्षित है ? अब इसकी संख्या बढ़ाकर हम हिमाचल में जो भारतवर्ष में टॉप कर रहे हैं ,तो मैं नहीं कह सकता कि वह बन्दा शिक्षित है। इसलिए यह न तो विपक्ष की बात है और न ही पक्ष की, यह एक कम्बाइन्ड इशु है। इससे हमारा यूथ जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कोई ऐसा सॉल्युशन निकालिए ताकि हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक RUSA का संबंध है, जो यह RUSA को हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित किया है ,मैं यह कहता हूं कि यह हिस्ट्री में लिया गया बहुत गलत निर्णय है। मुझे तो लगता है कि सरकार को शायद यह सौ करोड़ रुपये दिखा। वैसे तो प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति भी बहुत खराब है ,उन्होंने सोचा होगा कि इसी बहाने हमें सौ करोड़ रुपये मिल जाएगा ,बाकी बच्चे जाएं भाड़ में। हमारे यहां प्रदेश में कॉलेज का जो स्टैण्डर्ड है या +2 का जो स्टैण्डर्ड है वह दिल्ली, चेन्नई या मुंबई के कॉलेज से बिल्कुल फर्क है ,हमारा उनके मुकाबले स्टैण्डर्ड नहीं हो सकता। हमारे पास न तो उनके स्कूलों जैसा इनफ्रास्ट्रक्चर है ,न हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है बाकी स्टेट्स ने तो फिर भी टाईम लिया , एक साल लिया, दो साल लिया , उन्होंने अपनी लोकल कंडीशन्ज देखीं और उस हिसाब से इसको इंप्लीमैंट किया। लेकिन यहां जैसे ही RUSA की बात आई, हिमाचल सरकार ने बिना सोचे-समझे इसको लागू कर दिया। RUSA को इंप्लीमैंट करने के लिए कुछ कंडीशन्ज थीं। वे

क्या कंडीशन्ज थीं? 20छात्रों के लिए एक टीचर चाहिए। Whether it is possible in Himachal Pradesh? क्या आप 20 छात्रों के लिए एक टीचर दे सकते हैं? इसके

09/12/2014/1440/RG/JT/2

लिए हमें एक सफिशियेट इनफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जोकि हमारे पास नहीं है, क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी ,RUSA के लिए ऑन लाईन की आवश्यकता होती है और हमारे यहां इतना रिमोट एरिया है कि वहां आज तक भी ऑन लाईन की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त रिमोट एरिये में जो टीचर है, RUSA क्या है इसकी पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लागू करने से पहले जो इसकी कंडीशन्ज थीं वे पहले फुलफिल कर ली जाएं। इसकी worst conditions और क्या होगी कि RUSA इंप्लीमेंट कर दिया और कॉलेज और खोल दिए और कहां खोले, निजी भवनों में खोल दिए एवं टीन की छत्तों में। अरे भाई, College means something. आप एक क्वालिफाइड बच्चा ,कॉलेज लेवल का ग्रेजुएट ,एम.ए. ,हम तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के लिए वह एक शैड में पढ़ रहा है। पढ़ाने का अनुभव या सुविधा टीचर्स के पास नहीं है। पी.टी.ए. के द्वारा टीचरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। पी.टी.ए. कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता है ,तो सरकार के ऑर्डर भी कोई नहीं मानेगा। जो पी.टी.ए. को तनख्वाह देती है, वह एक चैरीटेबल एजेन्सी है ,न तो वह क्वालिफाइड एजेनसी है ,तो टीचरों की कमियों को उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं ? इसके खिलाफ हैं जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वह पूर्णतया कौलैप्स हो चुका है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी वक्ताओं ने इस बारे में बोल दिया है। वैसे हम इस समय शिक्षा में कम्पेरीजन किसके साथ कर रहे हैं क्या उत्तराखण्ड के साथ हम कम्पेरीजन कर रहे हैं। ये बातें छोड़िए। बाहर के देशों को देखिए कि उनका शिक्षा का स्तर क्या है ? तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि हमारा मुकाबला है, बच्चों का ऐजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो जापान या चाइना में है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि यह RUSA सिस्टम जिसके बारे में यहां चर्चा चल रही है ,मैं अपील भी करना चाहूंगा कि RUSA इंप्लीमैंट करने का एक और कारण यह था कि कॉलेजों में बच्चों की

स्ट्रैन्थ बढ़ानी है और जब से यह RUSA लागू हुआ ,पता आप यहां क्या बोलते हैं , लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक कॉलेजों में जो स्ट्रैन्थ है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/12/2014/1445/MS/AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी----------

जब से यह रूसा सिस्टम लागू हुआ है, पता नहीं आपके आंकड़े क्या बोलते हैं लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक कॉलेजों में छात्रों की संख्या ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि डिक्रीज हुई है। मेरा यही कहना है कि जो हो चुका है उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे पास एक्सपट्र्स बैठे हैं। उनकी कोई एक कमेटी बनाइए और इस पॉलिसी को रिव्यु कीजिए और कॉम्प्रीहेंसिव कोई ऐसी पॉलिसी एडॉप्ट कीजिए ताकि आने वाले समय में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो पाए, यही मेरा निवेदन है। मेरा यह प्रथम अनुभव था। यदि मुझसे कोई कड़वी बात बोली गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

09/12/2014/1445/MS/AG/2

अध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री हंस राज जी भाग लेंगे।

श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, नियम 130 के अन्तर्गत जो अति महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में चर्चा के लिए आया है, उसके बारे में मैं अपने विचार और जो मेरा अपना अनुभव है, उसको रखना चाहता हूं। मैं ज्यादा लम्बा -चौड़ा भाषण नहीं दूंगा , केवल दो-तीन मिनट ही लूंगा।

Speaker: Thank you very much.

श्री हंस राजः अध्यक्ष जी, आप बड़ी बुरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए बाकी सैप्लीमेंट्री के थ्रू कभी पूछ लेंगे।

जो रूसा सिस्टम है, उस बारे में मैं कल से नैट पर भी देख रहा हूं। मैं स्वयं भी कॉलेज में पढ़ा चुका हूं। इसमें चीजें बिगड़ी हुई हैं। रूसा का मतलब हायर एजुकेशन में इसके एम्ज एण्ड ऑब्जैक्टिव्ज जो थे, वह क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन एस्टेब्लिश करना था। लेकिन मुझे लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और भी हमने बहुत सारे एफट्र्स किए हुए हैं जैसे सेमिनार, सिम्पोजियम और कई अलग तरह की ट्रेंनिग भी हम लोग करवाते रहते हैं। ऐसी चीज हम लोग क्यों एडॉप्ट कर लेते हैं जो किसी ने पहले खाई हुई है और फिर खाकर उगल दी है। हम ऐसी चीजों को जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे देशों में ये सिस्टम फेल हो चुका था और बहुत सारे राज्यों में यह सिस्टम पहले एडॉप्ट किया हुआ था। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन में ग्रेड सिस्टम को लागू किया गया है, वह भी फेंका हुआ सिस्टम हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में इसके दुष्प्रभावों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी मनोहर धीमान जी ने सही कहा कि हम दो लोगों के ही बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी चौथी कक्षा में पढ़ती है और पहली कक्षा में मेरा बेटा पढ़ता है। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहा हूं। क्योंकि लोग तो यही

09/12/2014/1445/MS/AG/3

बोलेंगे कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, एक रोल मॉडल बनने के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला हुआ है लेकिन यह एग्जाम्पल नहीं है। इसका कारण एक यही है कि अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़कर अलग-अलग विश्वविद्यालयों से अलग-अलग डिग्रियां ले सकते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं ले सकते। लेकिन उसमें भी मैं फाल्टी हूं। क्योंकि वह समय कुछ और था और आज कुछ और बात है। जो हमारी बेसिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन है, यह रूसा वगैरह जो भी लागू करना है, उसमें कीजिए। क्योंकि यदि हमारा आधार सही होगा तो ही हम लोग अच्छी इमारत खड़ी कर पाएंगे। हम लोगों को गुणात्मक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देनी चाहिए। जो भी सहूलियत अगर सरकार ने लेनी है या सरकार ने स्वयं प्रदेश के लोगों को देनी है तो उसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करना होगा। आप आज किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं। जहां मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं चाहे आप वहां चले जाएं। वहां पांचवीं कक्षा का बच्चा पकड़ लेना। वहां 100में से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी कक्षा की किताब को आज भी नहीं पढ़ पाएंगे। यह बात पिछले दो सालों से हम बोल रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का यह स्तर है। तो सरकारी स्कूलों

में कोई अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएगा, क्यों अपनी औलाद का भविष्य हम लोग खराब करेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। जो दूसरों के बच्चों के साथ दगा करते हैं, वह दगा करने वाले हम ही हैं। हम लोग ही हैं ये सिस्टम चलाने वाले। अगर धार्मिक तरीके से भी सोचा जाए तो हमारे बच्चे क्यों चलेंगे। हो सकता है कि हम उसको लंदन , यू0एस0ए0 या आस्ट्रेलिया से डिग्री दिलवाएं परन्तु आगे आकर वह ऐसा डिग्री होल्डर बनेगा,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

9/1450/12.2014.जेके/जेटी/1

श्री हंस राजः----जारी------

पर आगे आ करके वह ऐसा डिग्री होल्डर बनेगा जैसा कि हम दिल्ली में देखते हैं कि एक पढ़ा-लिखा आदमी भी बलात्कार के केस में अन्दर होता है। इस तरह की शिक्षा हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। रूसा के बारे में हमारी सीधी-सीधी टिप्पणी यह है कि इसमें विज़न क्लीयर नहीं है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसा हो ? केन्द्र ने जहां-जहां इसको लाया है, किस तरह का सिस्टम इसके लिए होना चाहिए था, उसके लिए भी हम लोग स्पष्ट नहीं थे। सभी वक्ताओं ने कहा कि यह फंड लेने के लिए लाया गया था। ऐसा भी हो सकता है। फंड के बारे में तो श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने सीधे तौर पर ही कह दिया था। हम कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सकारात्मक तरीके से वचनबद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से आज भी लोगों को मजदूर मिलते रहे इसलिए इनको सही शिक्षा ही न दो। इसमें जो ऊपर के तबके के लोग बैठे हुए हैं उनकी वह साजिश लगती है कि ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करो कि हमारे बच्चों को कम्पीटिशन ही न करना पड़े। उस बारे में इस माननीय सदन को विचार करना चाहिए कि इस सदन को लीड कर रहे हैं क्या उनके अनुसार यह तथ्य सही बैठते हैं? गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज, तीसा की बिल्डिंग पिछले 10 सालों से नहीं बनी है। वहां पर भी रूसा लागू हो गया। एक समय जब मैं वहां पर खुद पढ़ाता था तो उस समय 420-450 की स्ट्रैंथ बच्चों की थी। आज स्ट्रैंथ घट करके रूसा की वजह से 280 रह गई है। क्या हम गांव के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं ? रूसा इसीलिए वजह बना कि कम्पार्टमैंट वाले बच्चों को आगे एडमिशन ही नहीं है। प्लस टू में जिनकी कम्पार्टमैंट है वह आगे ही नहीं जा सकते हैं। इसमें टैक्निकल एक और चीज देखिये। जो रूसा के अण्डर एडमिशन भी लेते हैं ,अगर बच्चा इन्टरनल असैसमेंट में पास है, 45 प्रतिशत नम्बर ले लेता है और थ्योरी में बिल्कुल भी नम्बर नहीं आते हैं लेकिन

फिर भी पास है। इस तरह से गुणात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं , लेकिन यह सब बकवास है। इन सभी चीजों के बारे में मैं यह भी नहीं कहूंगा कि इसमें मंथन करो बल्कि सीधे-सीधे छोड़ दो। जो सिस्टम पहले था वही रखो। कितने

9/1450/12.2014.जेके/जेटी/2

लोग हमारे पहले भी निकले हुए हैं। डा0 वाई0एस0 परमार और पुराने लोग जो कि बहुत अच्छे अनुभवी थे वे उस पुराने सिस्टम से ही निकले हैं। शिक्षा का मतलब मात्र यही था कि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो यानि all round development of child हो। यह थी डेफिनेशन। लेकिन हम लोग पैसों के चक्कर में फंस गए कि हमारी स्टेट को यह मिलेगा। हम लोग भूल रहे हैं और हमारी अगली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी क्योंकि हम लोग खोखली जनरेशन पैदा कर रहे हैं। वह चाहे आई0ए0एस0 बनेगा, चाहे एच0ए 0एस0 बनेगा और वह जो भी बनेगा लेकिन वह तो वही निकलेगा जिस तरह का आजकल सिस्टम चला हुआ है। मेरे सोचने का मतलब सिर्फ यही है कि हम ऐसी ईमारत न तैयार करवाएं, ऐसा स्ट्रक्चर न तैयार हो जिसकी फाऊंडेशन में दरारें पहले से ही मौजूद हों। वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिग्रियां लेने के लिए ही शिक्षा न हो। बच्चे के अंदरूनी विकास को करने की शिक्षा होनी चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि चुराह विधान सभा क्षेत्र की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें । मुझे लगता है कि इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी कोई स्ट्रांग स्टैप लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यह कहूंगा कि चुनावों के दौरान आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल खोल दिए ताकि आपको लोक सभा में वोट पड़े लेकिन वह तो पड़े नहीं परन्तु जो स्कूल खोले हैं वहां के बच्चे अब रो रहे हैं। उनकी तरफ ध्यान दो। वहां पर स्टाफ भेजा जाए ताकि8 वीं, 10वीं के बच्चे आगे बढ़ें। इस तरह के हालात हो गए हैं। हम जम्मू-कश्मीर के साथ लगते हैं और लगता है कि हम अफगानिस्तान में रह रहे हैं। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बात को गम्भीरता से लिया जाए। जितनी देर तक मैं बोला कई लोग अपनी-अपनी जगह पर सो रहे थे, क्योंकि ये सोना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आए तो उसको गम्भीरता से लिया जाए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

09.12.2014/1455/SS-AG/1

श्री हंस राज क्रमागतः

तो इसको सीरियसली लिया जाए और सोया न जाए। आप लोगों से यह बड़ी विनती रहेगी क्योंकि आप मज़े में हैं यह तो दिख ही रहा है। जो वन कटाव का ज्वलंत मुद्दा था, आज ही तीसा में एफ0आई0आर0 हुई है उस पर भी कोई ऐक्शन नहीं हो रहा है इसलिए हमें लगता है कि आप लोग सीरियस है नहीं । फिर भी हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि शायद आप सीरियस हों।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

09.12.2014/1455/SS-AG/2

अध्यक्षः अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री बम्बर ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव श्री सुरेश भारद्वाज जी ने रखा है उस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी विषय में काफी देर से चर्चा हो रही है और हमारे पूर्ववक्ताओं ने स्पष्ट तौर पर रूसा प्रणाली का विरोध तो नहीं किया परन्तु ये ज़रूर कहा कि कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। उस पर अभी चर्चा में हमारे वरिष्ठतम सदस्य, श्री ईश्वर दास धीमान जी भाग ले रहे थे। इन्होंने भी कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए कपिल सिब्बल जी ने इस कार्यक्रम को चलाया है। ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाए कि जो माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इन्होंने भी ये कहा कि कुछ छोटी-मोटी खामियां हैं उनको दूर किया जाए। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहना चाहूंगा कि जब कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो तुरन्त उस पर हर चीज़ मुहैया नहीं करवाई जा सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, नये-नये कोर्सिज़ आने हैं, उसमें छोटी-मोटी खामियां रह सकती हैं लेकिन समय के मुताबिक उनको दूर किया जाए। ये सरकार प्रयास कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब से ये प्रणाली हमने हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों/विद्यालयों में शुरू की तो उसके सकारात्मक रिजल्टस सामने आए

हैं। माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे बिलासपुर जिला का जो सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है उसमें 1200 स्टूडैंटस होते थे। जब से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जब से नये कोर्सिज़ वहां पर आए हैं तो इसकी स्ट्रैंथ 2600 हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहां स्ट्रैंथ न बढ़ी हो। --(व्यवधान)-- माननीय कौंडल साहब मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि जुखाला के कॉलेज में जो स्ट्रैंथ पहले थी उसमें रूसा प्रणाली के आने के बाद 100 स्टूडैंटस बढ़े हैं। झण्डुता में कॉलेज चल रहा है। उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। देरी कैसे हुई वह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यदि वह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए--(व्यवधान)--वह देरी कैसे हुई, उसका जिम्मेदार कौन

09.12.2014/1455/SS-AG/3

है जनाब अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो उसमें भी आज कोटधार के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता। वहां पर भी प्रयोगशालाएं आतीं। इस प्रणाली के आने से कुछ वक्तागण यहां पर कह गए कि केवलमात्र सरकार को पैसे नज़र आए। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपया देखते ही इसको लागू कर दिया। ऐसी बात नहीं है। जिस कॉलेज में प्रयोगशाला नहीं है, जिस कॉलेज में पुस्तकालय नहीं है, जिस कॉलेज में ग्रांट नहीं है, जिस कॉलेज में बिल्डिंग नहीं है इस प्रणाली के आने के बाद हमें अगर ये चीज़ें मुहैया होंगी तो क्या यह आपको बुरा लगता है?

जारी श्रीमती के0एस0

/1500/9.12.2014केएस/एजी1
श्री बम्बर ठाकुर जारी----

इस प्रणाली के आने के बाद हमें यदि वे चीजें मुहैया होंगी तो क्या यह आपको बुरा लगता है। ऐजुकेशन का स्टैंडर्ड इससे बढ़ेगा न कि कम होगा। आज एच.ए.एस., आई.ए.एस., आई.पी.एस. में ऐजुकेशन का स्टैंर्डड बदला है और अलग-अलग तरह के कोर्स उसमें आ गए हैं। यदि आज इन चीजों को स्कूलों, कॉलेजों में नहीं पढ़ाएंगें तो हमारे बच्चे उस कम्पीटिटिव ऐग्ज़ाम में पिछड़ जाएगें इसलिए यह जो हमारा रूसा सिस्टम लागू हुआ है उसमें अगर हम अपने बच्चों को, नौजवानों को

कम्पीटिटिव जमाने में आगे ले जाना चाहते हैं । हमें रूसा प्रणाली के अन्तर्गत जो सब्जैक्ट आ रहें हैं, कोर्सिज़ आ रहे हैं, उसमें हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, तब हम अपनी इस नई पीढ़ी को आगे ले जा सकते हैं। अध्यक्ष जी, आज इसका विरोध कौन कर रहा है ? माननीय सत्ती जी भी कह रहे थे कि छात्र परेशान है। लेकिन इससे अच्छे छात्र परेशान नहीं है। परेशान वे हैं जो पूरा साल केवल मात्र हुड़दंग करते हैं, नारेबाजी करते हैं, हड़ताल करते हैं, जलसे करते हैं । गरीब माता-पिता बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को कॉलेजों में भेजते हैं और जब वे कॉलेजों में पहुंचते हैं तो वहां पर एस.एफ.आई और ए.बी.वी.पी. के लोग हड़ताल की शक्ल में गेट से बाहर आ जाते हैं। वे लोग परेशान है क्योंकि आज उनकी राजनीति वहां पर बन्द हो रही है। जो ए.बी.वी.पी. और एस.एफ.आई. के लोग गेट पर लड़कों को इकट्ठा करके हड़ताल की शक्ल में बाहर ले जाते थे आज उनको परेशानी हो रही है। आज पढ़ने वाला छात्र परेशान नहीं है। वह तो चाहता है कि मैं ढंग से कॉलेज जाऊं और वहां पर क्लासिज़ लगाऊं और छः महीने के बाद ढंग से पेपर दूं। उसके पास समय नहीं है कि वह हड़ताल करें, जलसे करें, नशे और दूसरी बूरी आदतों में मश्गूल हो। जब छात्र के पास समय होता है तो वह उल्टी-सीधी बातों में पड़ता है । पहले क्या होता था कि आठ महीने तक तो कई छात्र हड़ताल और हुड़दंग करते थे और जब दो महीने पेपरों को रहते थे तो केवल मात्र हैल्प बुक्स खरीदकर थोड़ा बहुत पढ़कर अपने इग्ज़ाम पास कर लेते थे लेकिन कम्पीटिटिव जमाने में जो नॉलेज उनको होनी चाहिए वह जनरल नॉलेज उनको नहीं होती थी। केवल मात्र डिग्री हासिल हो जाती थी लेकिन आज के जमाने में वे नौजवान अपने आप को स्वरोज़गार के रूप में खड़े नहीं कर सकते। रूसा प्रणाली के आने के बाद स्वरोज़गार के साधन बढ़ेंगें। टैक्निकल ऐजुकेशन हम अपने बच्चों को दे पाएंगें। क्या विपक्ष नहीं चाहता कि हमारे

/1500/9.12.2014केएस/एजी2

बच्चे टैक्निकल ऐजुकेशन प्राप्त करें ? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि हमारे स्कूलों में प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर हों ?क्या विपक्ष नहीं जानता कि जितने भी प्रख्यात कॉलेज हैं, प्रख्यात विश्वविद्यालय हैं ,सबने रूसा प्रणाली को अडॉप्ट किया है। आप इस सदन के अन्दर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ? हालांकि एक-दो विपक्ष के सदस्यों को छोड़कर किसी ने रूसा का विरोध नहीं किया। आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इसका स्पष्ट तौर पर विरोध नहीं किया। इन्होंने कहा कि इसमें छोटी-मोटी

खामियां हैं, इनको दूर करें। ये बड़े सुलझे हुए लीडर हैं। जमीनी तौर पर जानते हैं लेकिन इस बात का यदि किसी ने विरोध भी किया है तो उसकी राजनीतिक मन्शा ही झलकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि आपने रूसा प्रणाली को प्रदेश के अन्दर लागू किया ताकि जो हमारे नौजवान हैं, वे कम्पीटिटिव ऐग्ज़ाम में निकल सके । वे भी आई.ए.एस. और एच.ए.एस. में जो नए-नए कोर्सिज़ चल रहे हैं, उस चीज का ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। इसके लिए मैं आपको मुबारकवाद देना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पंजाब और हरियाणा ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा ने इसको अडॉप्ट नहीं किया जिसकी वजह से आज हरियाणा के अन्दर हमारे बहुत से नौजवान नशे की चपेट में आ गए हैं क्योंकि उनके पास समय है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.12.2014/1505/ag-av/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागत---------

क्योंकि उनके पास समय है (---व्यवधान---) आप मेरी बात सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आदमी फ्री होता है तो उसको आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हमारा कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा व्यस्त रहेगा और उसको अपनी किताबों तथा खेलने के अलावा कोई समय ही नहीं मिलेगा तो वह गलत दिशा में नहीं जायेगा। आप हिमाचल को पंजाब और हरियाणा के साथ मत जोड़िए। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि राजा साहब के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अवार्ड मिला है। तो क्या आप लोग यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े और हमारे नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में आगे न बढ़े और हमारे संस्थानों में प्रोपर प्रयोगशालाएं न हो ? यह विपक्ष की सोच हो सकती है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं। हमारी सरकार टीचर्ज को एक-एक लाख रुपये तनख्वाह देती है। पहले लैक्चरर कॉलेज में आकर एक या दो पीरियड लगाकर चले जाते थे। इस सिस्टम के कारण आज हमारे छात्र-छात्राओं के साथ-साथ टीचर्ज भी व्यस्त हैं। इस सिस्टम में शुरु में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है लेकिन यदि हमें देश व प्रदेश को आगे ले जाना है तो आज माननीय मुख्य मंत्री की सोच के मुताबिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इनकी सोच के साथ आगे बढ़ें। तभी हम अपने प्रदेश के नौजवानों को आगे ले जा सकते हैं। मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से यह

निवेदन रहेगा कि आप इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री का साथ दें ताकि हमारा प्रदेश आगे बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे प्रदेश के पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ कुछ माननीय सदस्य इस रूसा सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। हम अपने नौजवानों को इस प्रणाली के अंतर्गत कॉलेजिज और युनिवर्सिटीज में भर्ती करेंगे तथा हमें 90 तथा 10 की रेशो में पैसा मिलेगा। जिसमें 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। हम अपने नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती कर सकेंगे। तो क्या विपक्ष नहीं चाहता

9.12.2014/1505/ag-av/2

कि हम अपने नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती करें ? (---व्यवधान---) माननीय सदस्य, आप (श्री सतपाल सिंह सत्ती जी को कहा।) बोल बैठे हैं , अब आप बीच में मत बोलें। (---व्यवधान---) मैं यह कह रहा था कि 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार हमें अपने शिक्षा संस्थानों में इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए और हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भर्ती करने के लिए देगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विपक्ष इसका विरोध कर रहा है ? हम अपने नौजवानों को प्रदेश की शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में भर्ती करना चाहते हैं और इस प्रणाली के तहत हम अपना शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं तो क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं ? जहां तक फीस की बात है तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार फीस में बढ़ोतरी की गई है। वह बढ़ोतरी पंजाब और हरियाणा की तुलना में आज भी कम है। अब यहां कहा जा रहा था कि 186 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया। अब पंजाब में कितना है? पंजाब में दो हजार रुपये हैं। आप क्या चाहते हैं ? सरकार के पास पैसा कहां से आयेगा? मैं युनिवर्सिटी का मैम्बर हूं इसलिए कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमने जितनी फीस वृद्धि की है वह पूरे देश में सभी राज्यों से अभी भी कम है। दूसरे राज्यों में अभी भी इससे ज्यादा है----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1510/09.12.2014नेगी/ए.जी./1

श्री बम्बर ठाकुर ... जारी...

अभी भी इससे ज्यादा है। एक तरफ हम गुणात्मक शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि फीस 186 रूपये से 187 या 200 रूपये मत करो। यह ठीक बात है कि हमारे नौजवान वहां पर हडतालें करते हैं और जलूस निकालते हैं और उनको 24 घंटे एक ही काम है । वैसे एक तरफ वे माल रोड़ में जा करके हजार-दो हजार रूपये खर्च कर रहे हैं और यदि फीस में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है तो वे एजिटेशन करते हैं। जबकि यहां पर हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से अभी भी फीस कम है, फीस बढ़ोतरी से हमें दर्द नहीं होना चाहिए। यदि हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे ले जाना है तो जो थोड़ी सी फीस की बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर कोई हो-हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। ...(घंटी) ...जो माननीय सदस्य यहां पर बोले मेरा उनसे निवेदन है कि इसमें आप सरकार को समर्थन करें और आपने जो यह विषय लाया है , यह प्रदेश के हित में बहुत अच्छा है । यदि इसको प्रदेश में लागू किया गया है तो प्रदेश के नौजवानों की तरक्की के लिए है और प्रदेश के नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा उठाने के लिए किया है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय मुख्य मंत्री जी रूसा प्रणाली जो आपने यहां पर लागू की है] इसको आप यहां पर पूर्णतः लागू करें, हम आपको इसके लिए पुनः मुबारक -बाद देना चाहेंगे, धन्यवाद, जयहिन्द।

समाप्त

/1510/09.12.2014नेगी/ए.जी./2

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री संजय रतन जी भाग लेंगे।....(व्यवधान)...

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा नाम लिया गया है, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । डेढ़ साल तक बिल्डिंग बनाने का नक्शा नहीं दिया गया और हमें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी । माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से इंस्ट्रक्शन्ज़ गई ,उसके बाद ड्राईंग मिली और उसके बाद इसका काम प्रगति पर है । यह मेरा इल्ज़ाम है कि नक्शा बदलने के बाद डेढ़ साल तक उसका डिजाइन नहीं दिया गया और उसका काम बन्द रहा। यह मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री : आप झण्डूता कालेज की बात कर रहे हैं? अच्छा है कि आप उसका जिक्र न करें। ....(व्यवधान) ....ऐसी बात नही है । शुरू से ही डिज़ाइन गलत बनाया था । बजाय इसके कि मैदानी इलाके में बनाते , पहाड़ को काट कर, अन्दर खाई खोद कर इसको बनाया गया ताकि कटाई का पैसा ज्यादा मिले और ठेकेदारों को लाभ पहुंचे। जबकि वहां पर मैदान मौजूद था। आप इस चर्चा में मत पढ़िए। अब वह अच्छा बन रहा है, सुन्दर बन रहा है और जो उसमें कमियां थी उनको दूर कर दी गई है। .....(व्यवधान)...

अध्यक्षः श्री संजय रतन जी, इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री संजय रतनः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज़ जी ने.....(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज़ : प्वाइंट ऑफ आर्डर, सर। जब चर्चा आती है तो दोनों पक्षों से नाम आते हैं और उसपर दोनों पक्ष मिल करके बोलते हैं। एक सदस्य इधर (विपक्ष) से बोलेगा और एक सदस्य उधर (सत्तापक्ष) से बोलेगा। लेकिन यहां पर वन

/1510/09.12.2014नेगी/ए.जी./3

साइडिड चल रहा है। पहले हमारे तरफ के सारे वक्ता बुलवा दिए और अब उधर से नाम आने शुरू हो गए हैं। मैं सिर्फ यह आपके ध्यान में ला रहा हूं ।
....(व्यवधान).....इनको टाईम पर नाम देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
...(व्यवधान)....

संसदीय कार्य मंत्री : आपको इसपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन तो हमें होना चाहिए । ....(व्यवधान) .....नहीं, नहीं हमने यह कहा कि आप नाम मिक्स कीजिए। हमने यह पहले भी बोला। .... (व्यवधान) .....आपके 5 लोग बोले हैं और हमारे तो दो लोग बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) ....अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो भी बोला उसको हमने सुना। अब हमारे सिर्फ दो मेम्बर बोल रहे हैं और उनको ये सुनने को तैयार नहीं हैं। ....(व्यवधान) ...आपके 5 मेम्बर बोले हमने उनको बड़े आराम से सुना। हमारे दो मेम्बर बोल रहे हैं। अब हमारे लॉस्ट वक्ता बोल रहे हैं उसके बाद

सी.एम. साहब ने उत्तर देना है। ....(व्यवधान) ...नहीं, नहीं, हमने पहले ही बोला है कि नाम मिक्स नही हुए हैं। ..... (व्यवधान) ...सत्ती जी, हमने पहले कहा कि नाम मिक्स नही हुए हैं। ....(व्यवधान) .....ऐसा नहीं है, हमने पहले कहा कि नाम मिक्स नही हुए हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1515/2014-12-09यूके/एजी/1
व्यवधान के पश्चात्

अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। मैं बताता हूँ, आप एक सैकेण्ड सुन लीजिए। ऐसा है , आपकी सूचना के मुताबिक मुझे जो पहले नाम आए थे वे लिस्ट में आए थे और दो नाम बाद में आए। तो मैने बाद में ले लिए। उनको मिक्स करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के दो सदस्य ही बोलना चाहते हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो यह थोड़े ही है कि वे लास्ट में सुन कर गलत जवाब दे देंगे। आपकी बात का भी वे जवाब देंगे।(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री : उस वक्त नाम नहीं आए थे। जब हंस राज जी बोल रहे थे तो हमने उस वक्त कहा कि हमारा वक्ता बोलना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्षः भारद्वाज जी, आप मेरी बात सुनिए। (व्यवधान) जब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते हैं? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सचिव, विधान सभा के पास टाईम नोट किया होगा कि आपको किस वक्ता का नाम कितने बजे मिला है। उससे बात क्लियर हो जायेगी। आपके (विपक्ष) 5लोग बोल चुके हैं हमारे सिर्फ दो वक्ता हैं इस पर भी आपको आपत्ति हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्षः प्लीज़ आप बैठिए। मेरी बात सुन लीजिए (व्यवधान) ऐसा है मेरे पास जैसे ही लिस्ट आयी मैने नाम बोलने शुरु कर दिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आप सब को सुन कर जवाब देंगे। लेकिन एक बात और यह कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पहले सत्ता पक्ष का सदस्य बोलेगा फिर विपक्ष का बोलेगा। मेरे पास जो लिस्ट

आयी उसी के मुताबिक मैने नाम बोले हैं। यदि और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो मुझे कोई ऑबजैक्शन नहीं है। धूमल साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं?

/1515/2014-12-09यूके/एजी/2

श्री प्रेम कुमार धूमल :अध्यक्ष महोदय, वैसे नियम और ट्रेडिशन्ज़, कनवैंशन्ज़ हाऊस की आपको बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। आप इतने पुराने सदस्य है। चर्चा काफी देर से चल रही थी और नाम भी आपके पास आए। यह तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे वक्ताओं को भी बोलने दो तो हमने कहा कि बोलना तो इधर से है। आप जानते हैं कि जब चर्चा प्रारम्भ होती है तो इसके उम्मीदवार दो थे एक श्री सुरेश भारद्वाज जी दूसरे श्री रणधीर शर्मा जी। रणधीर थी अनुपस्थित थे। उसके बाद आपके पास अगर दोनों तरफ से नाम आए थे, बहस का उद्देश्य क्या है ? एक्यूजेशन कोई किसी की करने के लिए नही है, न हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जितने सदस्य यहां से बोले हैं। हमने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हो, टीचर्स हो, वातावरण बने, ये सुझाव हैं। अब एक माननीय सदस्य बोले, उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि नौकरी मिले 9010: में कौनसा रोजगार मिलेगा, किसको भरती करेंगे। इस तरह की बेसिर-पैर की बातें जब होती हैं तो फिर उसका उत्तर दूसरी तरफ से मिलता है। चर्चा बैलेंस हो जाती है। अब आप एक पक्ष को पूरा बुलवा कर दूसरे पक्ष को बोले कि अब आप बोलो।

अध्यक्ष: नहीं किसी वक्त तो ऐसा समय आयेगा कि यदि एक ही पक्ष बोल रहा है तो दूसरा पक्ष भी चाहेगा कि मुझे भी बोलने का मौका दो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ?

श्री प्रेम कुमार धूमल : हम यही तो चाहते हैं कि एक हमारा वक्ता बोलता एक वक्ता उधर से बोलता।

अध्यक्ष: मैं आपसे रिकवैस्ट करता हूं कि यदि आप बोलना चाहते हैं तो और बोल सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अभी टाईम है हमारे पास।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मेरी जब बोलने की इच्छा होगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपकी परमिशन लेकर बोलूंगा । मैं तो यह कह रहा हूं कि जो कनवैंशन है उसके मुताबिक चर्चा में पहले एक पक्ष बोलता हूं फिर दूसरा पक्ष बोलता है और उसमें कोई ऐसी झगड़े की बात ही नहीं थी जिस तरह से ऐसा कहा गया कि विपक्ष में , आपका प्रस्ताव क्या आया है कि यह सदन प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)के प्रावधानों पर विचार करे । हमने इसमें क्या बोला है ? सबजैक्ट मैटर क्या है ?

09.12.2014/1520/SLS-JT-1

श्री प्रेम कुमार धूमल...जारी
हम फिर इस मामले में सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : मान लीजिए कि जो दो मैंबर सत्तापक्ष के हैं उनसे मैं पहले चर्चा करवा लूं तो बाकी तो सभी आपके बोलने वाले हैं। अगर कोई सत्तापक्ष से बोलने वाला नहीं है तो भी तो 7-8 आदमी आपके ही बोलेंगे। अगर इनसे पहले बुलवा दिया जाए, तब भी फिर आपके ही मैंबर बोलेंगे और लगातार बोलेंगे।
उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कंवैंशन रही है कि एक मैंबर उधर से बोलेगा और एक इधर से बोलेगा। अब तो हो गया। अगर इन लोगों की यही रिक्वैस्ट है तो सी ० एम० साहब सीधे उत्तर दे देंगे।
अध्यक्ष : मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर सत्तापक्ष से न बालने दिया जाए तो लगातार आप ही बोलेंगे। (व्यवधान)
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की हैरानी है कि इन्होंने तो अपना पक्ष रख दिया। अगर दूसरी ओर से भी कोई मैंबर बोलना चाहे तो उसको क्यों रोका जा रहा है ? अगर आपको उसमें भी कोई ऐतराज है तो I will give reply to it. मगर आपको इसपर ऐतराज नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)
श्री प्रेम कुमार धूमल : हमारा कोई ऐतराज नहीं है लेकिन इसमें बैलैंस होना चाहिए। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आपके चार-पांच मैंबर बोल गए फिर भी आपको ऐतराज है। अगर आपको ऐतराज है तो I will give you the reply.

09.12.2014/1520/SLS-JT-2

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) केंद्रीय सरकार की शिक्षा प्रणाली है जिसे राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश के महा विद्यालयों में लागू किया गया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर यूनियन टैरेटरीज को मिलाकर 33 राज्यों में यह प्रणाली लागू कर दी गई है जिनमें कि हिमाचल प्रदेश भी एक है।

यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है कि रूसा प्रणाली लागू होने से शैक्षिक स्थिति चरमरा गई है या इस प्रणाली से विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक परेशान हैं।

जब भी कोई नई प्रणाली शुरू होती है तो शुरू-शुरू में उसमें कुछ कष्ट होता है। आदमी को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। नई प्रणाली में भी शुरू-शुरू में कुछ कमियां रहती हैं। यह इसी प्रणाली में नहीं बल्कि किसी भी प्रणाली में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में यह प्रणाली सभी कालेजों के अंदर लागू है। विश्वविद्यालय के द्वारा यह प्रणाली सभी कालेजिज के अंदर लागू कर दी गई है। मगर यह हिमाचल में ही लागू हुई है, ऐसी बात नहीं है। यह पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और कुल मिलाकर जो हमारे 33 राज्य और यूनियन टैरेटरीज हैं ,उनके अंदर यह प्रणाली लागू हो चुकी है। यह एक प्रोग्रैसिव स्टैप है। आज ज़रूरत है कि जो कालेजिज के अंदर हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड है , हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको हम अन्तर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के मुताबिक बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे वहां से सही मायनों में शिक्षित होकर निकलें। आज बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं जो मेहनत करते हैं और सारा साल खुद पढ़ते हैं। मगर मैंने स्वयं देखा है कि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो दाखिला लेते हैं और जब इम्तहान का वक्त आता है तब जाकर वह हैल्प बुक खरीद लते हैं। वह हैल्प बुक के मुताबिक इम्ताहन देते हैं और जो उन्होंने हैल्प बुक से पढ़ा होता है, अगर किसमत से वह सवाल आ गए तो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। मगर वह शिक्षित नहीं होते। आज शिक्षा का

प्रसार होना चाहिए और शिक्षा अच्छी व मजबूत होनी चाहिए। जो हमारा करीकुलम है, सिलेबस है वह ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को सही मायनों मे शिक्षित बनाए, महज इम्तहान पास करने के लिए ही तैयार न करे। उस उद्देश्य से यह प्रणाली बनाई गई है। जैसे मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि यह हिमाचल प्रदेश में ही लागू हुई है, यह प्रणाली देश के अन्य राज्यों के अंदर भी लागू है और अच्छी तरह से सफलता के साथ इसका संचालन हो रहा है। हर राज्य को शुरू-शुरू में इसमें कठिनाइयां पैदा हुई हैं क्योंकि इसके लिए ज्यादा स्टॉफ और ज्यादा स्ट्रक्चर पैदा करने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे यह कठिनाइयां दूर होंगी ...

जारी ...श्री गर्ग जी

09/12/2014/1610/RG/JT/1
मुख्य मंत्री---------क्रमागत

क्योंकि ज्यादा स्टाफ या ज्यादा इनफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने की आवश्यकता होती है और जैसे-जैसे यह दूर होगी ,वैसे-वैसे इसमें इंपूवमेंट आएगी और लोग इसके असली मतलब को समझने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इसका अपोजीशन किससे हुआ ? इसका अपोजीशन कहीं और से नहीं हुआ। लैक्चरार्ज के द्वारा इसको अपोज किया, उन्होंने इसको अपोज किया, मेरे पास रिटिन मैमोरैन्डम आए, उन्होंने कहा कि इसमें हमको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसमें ज्यादा काम करने की बात ही नहीं है। सुबह नौ-दस बजे से लेकर पांच बजे तक कॉलेज में रहना है ,ऐक्स्ट्रा अवर्ज करने की बात नहीं है।_ पहले यह होता था कि जिसके पास जो विषय था, अपना विषय पढ़ाओ और 11-12 बजे तक फ्री होकर घर चले गए। Now they have to stay in the college. कॉलेज सुबह पांच बजे से शाम के पांच बजे तक लगता है अब जब तक कॉलेज खत्म न हो they have to devote the time to the students. This is a difficulty which was felt by some people and it was thought it was some sort of a restriction on their freedom of movement. तो यह भी एक पहलु है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) केन्द्रीय सरकार की शिक्षा पद्धति है और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ,भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार रुसा पद्धति सम्मिलित होने के लिए 33 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने सहमति 33 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने सहमति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश ने उक्त शिक्षा प्रणाली को बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2013-14 से लागू किया है। शुरूआती तैयारियों के लिए भारत सरकार से रुसा के अन्तर्गत चार करोड़ रुपये की राशि (प्रारम्भिक अनुदान) मार्च, 2014 में जारी की गई है। रुसा के अन्तर्गत फण्डिग पैटर्न केन्द्र व राज्य सरकार हिस्सा (अनुपात) क्रमशः 90:10का है। इसमें जो खर्च होगा, 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-17 तक 956.37 करोड़ की योजना बनाकर भारत सरकार को भेज दी गई है। राज्य में रूसा के सुचारू संचालन के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (State Higher Education

09/12/2014/1610/RG/JT/2

Council) का गठन किया गया है ; जिसमें अनेक पृष्ठभूमियों के पन्द्रह विशिष्ट व्यक्तिया/सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त रूसा प्रणाली के प्रावधानों को प्रभावी व समयबद्ध तरीके से लागू करने हेतु प्रधान सचिव (शिक्षा) , हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का भी गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक व उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविदों सहित छः सदस्य हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में समैस्टर प्रणाली एवं Choice Based Credit System (CBCS) के साथ लागू किया गया है। इस प्रणाली में समस्त विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए हैं जिसमें परीक्षाओं का संचालन भी शामिल है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यार्थियों को रोजगार आधारित शिक्षा प्राप्त होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2013-14 से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु लागू किया गया है। भारत में उच्चतर शिक्षा को विश्व स्तरीय एवं ज्ञान के विकास के अनुरूप लाना, देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में

पठन-पाठन की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना, उच्चतर शिक्षा में असमानता को दूर करने हेतु तथा सभी वर्गों को --------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

09/12/2014/1530/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी------

देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन की प्रक्रिया में गुणवत्ता सुधार लाना, उच्चतर शिक्षा में असमानता को दूर करने हेतु तथा सभी वर्गों को उच्चतर शिक्षा का लाभ प्रदान करना ,योग्य छात्रों को उच्चतर शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रदान करने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं को सृजित करना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना, देश के कुछ विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय शोध विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना, सभी शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त गुणवत्ता शिक्षण स्टाफ उपलब्ध करवाना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विद्यार्थी शोध एवं नव प्रवर्तन में शामिल हों। अतिरिक्त क्षमता प्रदान करके वर्तमान उच्चतर शिक्षण संस्थानों का विस्तार करना तथा आवश्यकतानुसार नये उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक नामांकन दर को 13 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 35.5प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के असंतुलन को दूर करना तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों से वंचित क्षेत्रों में नये संस्थान स्थापित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी गुणात्मक उच्चतर शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शैक्षणिक तौर से पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ताकि इन वर्गों में समानता लाई जा सके।

इस प्रणाली (RUSA SYSTEM) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैंः-

1 प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने में सहायक बनाना।

2 शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े जिलों में अतिरिक्त शिक्षण संस्थान खोलकर दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों को उच्चतर शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना।

3 प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लागू करने से प्रदेश को क्लस्टर विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालय मिलने से विद्यार्थियों को प्रदेश में ही

09/12/2014/1530/MS/AG/2

व्यवसायिक शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। इसको लागू करना ही इस नीति का मुख्य कार्यक्रम है।

4 महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पद्धति शुरू होगी जिससे विद्यार्थियों को रोजगार आधारित शिक्षा प्राप्त होगी।

5 संस्थागत विकास के लिए विशेष अनुदान की मदद से शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे छात्रावास, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रांगण विकास इत्यादि प्रदान करने से संस्था का विकास होगा जिससे विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

6 विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीकी सुविधाएं जैसे ई-कक्षा-कक्ष, वाई-फाई कैम्पस, ई-लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब इत्यादि उपलब्ध होंगी जिससे ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जो रूसा सिस्टम के अन्तर्गत किए जा रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं इस भाषण की प्रतिलिपि सदन में ले (Lay)करता हूं।

नियम–130 के अर्न्तगत प्राप्त प्रस्ताव/नोटिस से सम्बन्धित (दै0सं03/2014) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रूसा प्रणाली लागू होने के बाद हि0प्र0 की बिगड़ रही शैक्षिक स्थिति बारे श्री सुरेश भारद्वाज माननीय विद्यायक (शिमला) एवं श्री रणधीर शर्मा, माननीय विधायक (नैना दैवी) ने पूछा है कि

शिक्षा विभाग द्वारा रूसा प्रणाली लागू होने के बाद हि0प्र0 की बिगड़ रही शैक्षिक स्थिति को सुधारने हेतु प्रदेश सरकार तुरन्त प्रभावी कदम उठाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) केन्द्रीय सरकार की शिक्षा प्रणाली है जिसे राज्य सरकार हि.प्र. द्वारा हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू किया गया है। यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है कि रूसा प्रणाली लागू होने से शैक्षिक स्थिति चरमरा गई है या इस प्रणाली से विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक परेशान है।

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केन्द्र सरकार की शिक्षा पद्धति है। मानव संसाधन एवम् विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार रूसा पद्धति

सम्मिलित होने के लिए 33 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने सहमति दी है। हिमाचल प्रदेश ने उक्त शिक्षा प्रणाली को बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2013–14 से लागू किया है। शुरूआती तैयारियों के लिए भारत सरकार से रूसा के अर्न्तगत चार करोड़ की राशि (PREPARATORY GRANT/प्रारम्भिक अनुदान) मार्च, 2014 में जारी की गई है। रूसा के अन्तर्गत FUNDING PATTERN केन्द्र व राज्य सरकार का हिस्सा (अनुपात) कमशः 90:10: का है।

- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–17 तक 956.37 करोड़ की योजना बनाकर भारत सरकार को भेज दी गई है।
- राज्य में रूसा के सुचारू संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (State Higher Education Council) का गठन किया गया है; जिसमें अनेक पृष्ठभूमियों के पन्द्रह विशिष्ठ व्यक्तियों/सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त रूसा प्रणाली के प्रावधानों को प्रभावी व

समयबद्ध तरीके से लागू करने हेतु प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का भी गठन किया गया है; जिसमें प्रशासनिक व उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविदों सहित छः सदस्य है।

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में समैस्टर प्रणाली एवं Choice Based Credit System(C.B.C.S) के साथ लागू किया गया है। इस प्रणाली में समस्त विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गए हैं; जिसमें परीक्षाओं का संचालन भी शामिल है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यार्थियों को रोजगार आधारित शिक्षा प्राप्त होगी।
- प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2013–14 से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु लागू किया गया है। भारत में उच्चत्तर शिक्षा को विश्व स्तरीय एवम् ज्ञान के विकास के अनुरूप लाना, देश के उच्चत्तर शिक्षण

संस्थानों में पठन–पाठन की प्रकिया में गुणात्मक सुधार लाना, उच्चत्तर शिक्षा में असमानता को दूर करने हेतु तथा सभी वर्गों को समान रूप से उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान कराना, योग्य छात्रों को उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रदान करने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करना, उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक एवम् परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना, देश के कुछ विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय शोध विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना, सभी शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त गुणात्मक शिक्षण स्टाफ उपलब्ध करवाना, उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे विद्यार्थी शोध एवम् नव प्रवर्तन में शामिल हों। अतिरिक्त क्षमता प्रदान करके वर्तमान उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों का विस्तार करना तथा आवश्यकतानुसार नये उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक नामांकन दर को 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 35.5 प्रतिशत तक पहुँचाया जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों के असंतुलन को दूर करना

तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों से वंचित क्षेत्रों में नये संस्थान स्थापित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी गुणात्मक उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् शैक्षणिक तौर से पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाना ताकि इन वर्गों में समानता लाई जा सके।

इस प्रणाली **(RUSA SYSTEM)** की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:–

1- प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय एवमं अर्तराष्ट्रीय स्तर पर लाने में सहायक।

2- शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े जिलों में अतिरिक्त शिक्षण संस्थान (Model Colleges) खोलकर दूर–दराज के क्षेत्रों के छात्रों को उच्चतर शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करना।

3- प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लागू करने से प्रदेश को क्लस्टर विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालय मिलने से विद्यार्थियों को

प्रदेश में ही व्यवसायिक शिक्षा के अधिक अवसर मिलेगें।

4- महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पद्धति शुरू होगी जिससे विद्यार्थियों को रोजगार आधारित शिक्षा प्राप्त होगी।

5- संस्थागत विकास के लिए विशेष अनुदान की मदद से शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे छात्रावास, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रांगण विकास इत्यादि प्रदान करने से संस्था का विकास होगा जिससे विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

6- विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय आधुनिक तकनीकी सुविधाएं जैसे ई–कक्षा–कक्ष, वाई–फाई कैम्पस, ई–लाईब्रेरी, कम्पयूटर लैब इत्यादि उपलब्ध होंगी जिससे ग्रामीण एवम् पिछडे क्षेत्रों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगें।

7- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में Choice Based Credit System (CBCS) के अंर्तगत विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय चुनने का अधिकार

है जिससे विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार विषय का चयन कर सकता है। विद्यार्थी विज्ञान विषयों के साथ–साथ कला संकाय के विषय भी पढ़ सकते हैं व कला सकांय के विषयों के साथ–साथ विज्ञान विषय को रखने का भी विकल्प है । इसके अतिरिक्त सामान्य रूचि (General Interest) के विषय पढ़ने/रखने की भी सुविधा व अनिवार्यता है।

8- समैस्टर पद्धति लागू होने से महाविद्यालयों में शैक्षणिक दिवसों में वृद्धि हुई है; जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु अधिक समय उपलब्ध हो रहा है। इसमें 50% अंक आन्तरिक मुल्यांकन व शेष 50% अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के जुड़ेगें । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् शैक्षणिक तौर से पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को उच्चतर शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए Equal Opportunity Cell स्थापित कियें जाएंगे जिसका उददेश्य इन वर्गों के छात्रों को विशेष छात्रवृति, अतिरिक्त कक्षाएं, अनुशिक्षण कक्षाएं इत्यादि प्रदान की जाएगी ताकि इन

वर्गों के छात्रों को अतिरिक्त अवसर प्रदान कर समानता लाई जा सके।

9- शिक्षा को अधिक रूचिकर एवम् उपयोगी बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के अवसर मिलेगें।

10- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त गुणात्मक शिक्षण स्टाफ उपल्ब्ध होगा।

11- RUSA प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय एवमं अर्तराष्ट्रीय स्तर पर समकक्षलाने में सहायक होगा।

12- RUSA के 18 मुख्य घटक व उनमें से विभिन्न घटकों (Component) में वर्ष 2014–15 के लिए अनुमोदित, प्राप्त व जारी की गई राशि का विवरणः–

क्रमांक	घटक का नाम	घटक में प्रस्तावित कुल राषि (करोड़ो में)	MHRD द्वारा अनुमोदित राषि (करोड़ो में)	MHRD से प्राप्त तथा आबंटित राषि (करोड़ो में)	टिप्पणी
1	मौजूदा	0.00	...	...	राज्य में

	स्वायत्त महाविद्यालयों को उन्नयन के माध्यम से विश्वविद्यालयों का निर्माण करना।				कोई भी स्वायत महाविद्यालय नही है, अतः यह घटक प्रदेष को लागू नही है।
2	महाविद्यालयों को क्लस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों का निर्माण करना।	165.00	18.30	0.00	राशि DPR बनने पर MHRD द्वारा जारी की जाएगी
3	विश्वविद्यालय को संरचनात्मक ढॉचे के लिए अनुदान प्रदान कराना।	40.00	10.00	2.25	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अनुमोदित/आबंटित
4	नये मॉडल महाविद्यालयों की	36.00	12.00	0.00	छतराडी(चम्बा) तथा सराहां

	स्थापना करना।				(सिरमौर) में कॉलेज खोलना अनुमोदित है ।
5	वर्तमान महाविद्यालयों को स्तरोन्नत कर मॉडल महाविद्यालय में बदलना।	12.00	2.00	0.45	रा0महाविद्यालय रिकांगपिओ के पक्ष में अनुमोदित / आबंटित
6	नये व्यावसायिक (इंजीनियरिंग) महाविद्यालय की स्थापना करना।	26.00	13.00	2.9250	आहरण एवं आबंटन करना विभागीय स्तर पर प्रकियधीन है। इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां में खोलना अनुमोदित है ।

7	महाविद्यालयों को संरचनात्मक ढॉचे के लिए अनुदान प्रदान कराना।	155.59	25.00	5.625	प्रति कालेज 22,50,000/-
8	अनुसन्धान, अभिनव परिवर्तन तथा गुणात्मक सुधार।	120.00	...	...	...
9	समानता की ओर पहल करना (Equity Initiatives)।	5.00	2.34	0.5265	प्रति कालेज 67, 515/- (30 महाविद्यालयों) तथा 32.39 लाख हि0प्र0 विश्वविद्यालय को आबंटित)
10	शिक्षकों की भर्ती में सहायता	290.00	...	...	——

	प्रदान करना।				
11	उच्चतर शिक्षा में संकाय सुधार करना।	10.00	...	...	——
12	उच्चतर शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित करना।	15.00	...	...	——
13	शैक्षणिक क्षेत्रों के प्रशासकों में नेतृत्व का विकास करना।	5.00	...	...	——
14	संस्थागत पुनर्गठन कर सुधार करना।	20.00	...	...	——
15	क्षमता निर्माण और तैयारी,	10.00	...	...	——

	ऑकड़े एकत्रित करना और योजना बनाना।				
16	प्रबन्धन सूचना प्रणाली।	10.00	...	...	——
17	पॉलिटैक्निक के लिए सहयोग देना।	0.00	...	...	——
18	प्रबन्धन संचालन मुल्यॉकन तथा अनुसन्धान।	36.78	...	...	——
	योग	956.37			

उपरोक्त अठारह घटकों में से सात घटकों में अनुमोदित/दर्शित राशि के अतिरिक्त अन्य ग्यारह घटकों पर विचार हेतु MHRD के Project Approval Board (PAB) की बैठक नहीं हुई है। प्रदेश सरकार को पूर्ण विश्वास है कि इन ग्यारह घटकों में भी राज्य को अच्छी राशि मिलेगी।

निम्न महाविद्यालयों को ढांचागत अनुदान **(INFRASTRUCTURE GRANTS)** के अन्तर्गत मु0 22.50 लाख प्रति महाविद्यालय वितरित किया गया है:—.

S. No.	Name of the college
1	Govt. Degree College Banjar, Distt. Kullu
2	Govt. Degree College Bassa, Distt. Mandi
3	Govt. Degree College Sunni, Distt. Shimla
4	Govt. D egree College Nerwa, Distt. Shimla
5	Govt. Degree College Nurpur, Distt. Kangra
6	Govt. Degree College Bhoranj, Distt. Hamirpur
7	Govt. Degree College Beetan, Distt. Una

8	Govt. Degree College Rajgarh, Distt. Sirmour
9	Govt. Degree College Bharmour, Distt. Chamba
10	Govt. Degree College Drang at Narla, Distt. Mandi
11	Govt. Degree College Nagrota Bagwan, Distt. Kangra
12	Govt. Degree College Shahpur, Distt. Kangra
13	Govt. Degree College Barsar, Distt. Hamirpur
14	Govt. Degree College Shillai, Distt. Sirmour
15	Govt. Degree College Sangrah, Distt. Sirmour
16	Govt. Degree College Tissa, Distt. Chamba
17	Govt. Degree College Salooni, Distt. Chamba
18	Govt. Degree College Haripur

	(Manali), Distt. Kullu
19	Govt. Degree College Anni at Haripur, Distt. Anni
20	Govt. Degree College Haripur Guler, Distt. Kangra
21	Govt. Degree College Naura, Distt. Kangra
22	Govt. Degree College Jaisinghpur, Distt. Kangra
23	Govt. Degree College Pangi, Distt. Chamba
24	Govt. Degree College Bangana, Distt. Una
25	Govt. Degree College Haripur Dhar, Distt. Sirmour

- निम्न महाविद्यालयों को "समानता की ओर पहल" **(Equity Initiatives)** के अन्तर्गत मु0 67,515/ प्रति महाविद्यालय वितरित किया गया है:—

1	Govt. College Dharamshala
2	SCVB Govt. College Palampur
3	Govt. College Reckong Peo
4	Govt. College Nagrota Bagwan
5	Govt. College Bharmour
6	Govt. College Rajgarh
7	Govt. College Sangrah
8	Govt. College Dhaliara
9	Govt. College Nadaun
10	RKMV Shimla
11	NSCBM Govt. College Hamirpur
12	Govt. College Sarkaghat
13	Govt. College Thural
14	Govt. College Bangana
15	Govt. College Beetan
16	Govt. College Kukumseri
17	Govt. College Jaisinghpur
18	Govt. College Chamba
19	Govt. College Chowari
20	Govt. College Una
21	Govt. College Amb
22	Govt. College Dalautpur Chowk
23	Govt. College Nalagarh
24	Govt. College Sujanpur Tihra
25	Govt. College Indora
26	Govt. College Sarswatinagar
27	Govt. College Shillai
28	Govt. College Jhandutta
29	Govt. College for Teacher Education
30	Govt. College Shahpur

उपरोक्त घटक के अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाऐंगे । इसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला को भी मु0 32,39,550/- की राशि आबंटित की जा चुकी है ।

- प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA पूरी तरह से लागू हो गया है । आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इसमें आवश्यक सुविधाएं जैसे कि भवन, भूमि, उपकरण, सामग्री आदि उपलब्ध करवाने हेतु चरणबद्ध तरीके से समय–समय पर आवश्कतानुसार उचित पग उठाए जाते हैं।

  प्रदेश में RUSA अभियान शुरु होने के उपरान्त महाविद्यालयों में Assistant Professors के 109 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे गए हैं तथा 248 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। प्रदेश सरकार शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयासरत है ।

- CREDIT REQUIRED BY THE STUDENTS FOR GETTING DEGREE UNDER RUSA SYSTEM.

Sr. No.	Subject	Total Credits	
		Minimum	Maximum
1	Major (Core subjects)	56	56
2	Minor(Two subjects)	40(Each subject)	52(Each subject)
3	Compulsory subjects	09	18
4	General Interest/Hobby subjects	01	09
	Total:	106	135

Note: (1) The total minimum credits required for an under graduate degree programme is one hundred and twenty (120).

(2) In case any student secures 106 credits, he has to earn 14 credits from any of the subjects except Major subject.

******

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रूसा सिस्टम की वजह से कॉलेजों में छात्रों की संख्या घट गई है। यह बिल्कुल गलत है। दूर-दराज़ के एक-दो कॉलेजों की मैं बात नहीं करूंगा लेकिन कुल मिलाकर सारे हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी कॉलेजों के अन्दर पिछले वर्ष से कहीं अधिक बच्चों ने इस वर्ष दाखिला लिया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

9/1535/12.2014.जेके/जेटी/1
मुख्य मंत्रीः----जारी-----

सभी संस्थानों में, कॉलेजों में कहीं पर संख्या अधिक हैं और कई कॉलेजों के अन्दर कम है लेकिन जैसे कि over all enrollment in under graduate classes in Government Colleges during the last three years has been: वर्ष 2013-14 में 68,248 और सैशन 2013-14 में 73,736 और सैशन 2014-15 में 88,243 छात्रों की संख्या है। So, there is no reduction in the number of students. In fact, the number has increased. So, this is wrong to say कि रूसा के कारण एडमिशन्ज कम होती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो सुविधाएं हैं वे प्रदान की जा रही हैं। नये लेक्चरर काफी मात्रा में भर्ती किए गए हैं और काफी मात्रा में नये लेक्चरर भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो रूसा की रिक्वायरमैंट है उसके मुताबिक हर कॉलेज के अन्दर लेक्चरर भर्ती किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। इसी तरह से जहां पर क्लास रूम्ज कम हैं वहां रूम्ज बढ़ाने का कार्यक्रम है। उनमें साईंस लेबोरेटरीज़ बढ़ाने का कार्यक्रम है। केमिस्ट्री और बॉयोलोजी के अलावा जो दूसरे सब्जैक्टस हैं उनकी पढ़ाई भी ऊंचे लैवल तक बढ़ाने का प्रावधान है। St. Stephen's College, Delhi में मुझे पढ़ने का मौका मिला, लेकिन और भी कॉलेजिज हैं। वहां पर भी कोई सरकारी जैसा सिस्टम नहीं था। वहां कॉलेज में यह सिस्टम लागू किया। कई कॉलेजिज में यह सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है। अब यह व्यापक हो गया है और पूरे देश में इसे लागू किया गया है। उससे पढ़ाई सीरियस हो गई है। बच्चे स्टडी के प्रति सीरियस हो गए हैं। प्रोफैसर्ज और लेक्चरर भी सीरियस हो गए हैं because they have to

produce some results. They have to see that the education is properly imparted. जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो उसमें कुछ कठिनायां आती हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कम्टिमैंट करनी पड़ती है, तब जा करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसमें शुरूआत में दिक्कतें तो आएगी और हम जानते थे जब हमने इसको एक्सैप्ट किया और दूसरे

9/1535/12.2014.जेके/जेटी/2

राज्यों ने भी इसको एक्सैप्ट किया तो हम जानते थे कि change from one system to another will cause some difficulty. It will cause some heart burning also. Maybe some people will not accept it. मगर धीरे-धीरे सब कुछ लाईन में आ जाता है और जब फायदा दिखने लग जाता है और कोई चीज़ सामने आती है तब जा करके लोग अपनाते हैं। बाहर के देशों में जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ,ऑक्सफोर्ड, केम्ब्रिज और हॉर्वड में भी यही सिस्टम लागू है। वहां पर उच्चतर पढ़ाई होती है। हमारे बच्चों को भी उस स्तर की पढ़ाई यहां पर मिले यह बहुत ही अच्छी बात है। यह जरूरी नहीं कि हमें अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजना पड़े, चण्डीगढ़ भेजना पड़े, मुम्बई भेजना पड़े या कलकत्ता भेजना पड़े। यदि उसी तरह की पढ़ाई की व्यवस्था हमारे प्रदेश के इलाकों में ही हो सके तो सबको फायदा पहुंचेगा। मैं यह समझता हूं कि यह जो विरोध है उसमें कईयों के अपने वैस्टिड इन्ट्रस्ट हो सकते हैं, जो ये विरोध करते हैं। कुछ को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, जो इस किस्म की विरोध की बातें करते हैं। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि this is a good system. The entire country is giving it priority.

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

09.12.2014/1540/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

किसी ने कहा कि फलांनी स्टेट ने रूसा सिस्टम शुरू किया था लेकिन अब छोड़ दिया। यह बिल्कुल गलत है। रूसा सिस्टम पिछले कुछ वर्षों से आया है। One of the Members said that. नहीं, नहीं, बम्बर ठाकुर जी ने नहीं कहा। उधर (विपक्ष) से बोला गया कि रूसा सिस्टम लगा दिया गया था और फिर छोड़ दिया गया। शायद

सत्ती जी ने बोला या किसी अन्य सदस्य ने बोला। मैं यह कहना चाहता हूं कि this is wrong. अभी हाल ही में एक साल या डेढ़ साल पहले हिन्दुस्तान के अंदर यह सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था and I am sure अगर यह सिस्टम सक्सैसफुली चलेगा, कामयाबी से चलेगा तो निश्चित रूप से उससे हमारी सारी पढ़ाई का स्तर ऊंचा होगा और हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। उनकी नॉलेज वाइड हो जायेगी। उनको कई किस्म के सब्जैक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। --(व्यवधान)--इस लैटर को मैं circulate कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं , I do accept जब भी कोई नया सिस्टम शुरू करें तो शुरू-शुरू में कठिनाइयां होती हैं, कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, मगर उनको पाट कर , उनको पूरा करके आगे जब चलेंगे तो उसका लाभ भी obvious है। इसलिए इसकी आलोचना करना मैं समझता हूं कि सही नहीं है। अभी सुरेश भारद्वाज जी ने अपनी बहस की शुरूआत में कहा था जब उन्होंने मोशन को इंट्रोड्यूस किया कि हिमाचल युनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है। ये सारा मामला युनिवर्सिटी का है। सरकार का उससे कोई लेना-देना नहीं है। इतना मैं बता दूं कि जब से युनिवर्सिटी बनी है तब से पहली बार इतने वर्षों के अंदर यानी-40 45वर्षों के अंदर ये फीस बढ़ी है। हमने मालूमात की है। फीस बढ़ने के बाद भी जो फीस पंजाब में है, मैं सरकारी इंस्टीट्यिूशन्ज़ की बात कर रहा हूं , पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जो फीस है वह यहां से ज्यादा है। यहां फीस कम है। फिर भी क्योंकि लोगों ने उसके बारे में ऑब्जैक्शन किया है तो हमने इसके बारे में हाई लेवल कमेटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बिठाई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है जो ये रिकॉर्ड है। अगर आवश्यक होगा तो इसमें कई छुट-पुट परिवर्तन हो सकता है। मगर इसका शोर इतना मचाया गया जितना कोई हिसाब

09.12.2014/1540/SS-AG/2

नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज युनिवर्सिटी के अंदर खासकर जो होस्टल में रहते हैं और हिमाचल युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां अनुशासनहीनता का राज है। मैं वहां पर स्टूडैंटस यूनियन के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद अपने कॉलेज में स्टूडैंटस यूनियन का लीडर रहा हूं मगर उसमें भी जिम्मेवारी का काम है। एक दायरा है। एक लक्ष्मण रेखा है जिसको लांघ नहीं सकते। मगर यह तो राजनीति का अड्डा बन गया। होस्टल भी देखिये। अभी जो कॉलेज में फीस बढ़ाई है, वह फीस सब्जैक्ट की बढ़ाई है बिजली के रेट में कोई वृद्धि नहीं की, होस्टल के रेट में कोई वृद्धि नहीं की और

कई चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई। मगर कुछ चीज़ें में अवश्य हुई है। वह भी इतनी नहीं है जितना कि इसको बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। मगर फिर भी इसके बारे में लोगों ने ऑब्जैक्शन किया है, अखबारों में आया, बड़े-बड़े भाषण दिए गए तो हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए, इसको गौर से देखने के लिए इस पर शुद्ध रूप से विचार करने के लिए कमेटी बिठाई। उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो हम अवश्य उसमें परिवर्तन करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज कॉलेजों के अंदर, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर स्टूडैंटस में अनुशासन को कायम करना सब का फर्ज़ है। कोई रूलिंग पार्टी का नहीं है। ऑपोजिशन का भी है, सब का है। हम सबके स्टूडैंटस विंग हैं। हमारा एन0एस0यू0आई0 है, एस0एफ0आई0 है, ए0बी0वी0पी0 है मगर ये वहां पर गुंदागर्दी के लिए नहीं हैं कि रोज़ आकर किसी की पिटाई कर दें। रोज़ आ कर धरना दे दें या शीशे तोड़ दें।

जारी श्रीमती के0एस0

/1545/09.12.2014 केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी-----

युनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को नुक्सान पहुंचाए, हुड़दंगबाजी करें। मैंने खुद दो-तीन दफ़ा सरप्राईज़ रेड की है, पिछले कार्यकाल में भी की है। वहां पर बच्चों के पास किताबें नहीं मिलती, हॉस्टल में छूरे, चाकू, सलाखें, डंडे वहां पर मिलते हैं और वहां पर हॉस्टल में जो भर्ती हुए हैं, उनके साथ-साथ वे लोग भी रह रहे हैं जो कि स्टूडैंट ही नहीं है। कोई उनकी चैकिंग करते हैं तो वे गुंडागर्दी करते हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। I will see that this "gundagardi" (indiscipline) is curbed in the University. Government will not allow that students take law and order in their hands and also create problem in the campus.

श्री रविन्द्र सिंहःअध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बारे में एक बहुत ही अच्छा सुझाव देना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः रवि जी, आप क्या बोलेंगें? आप बाद में बोल लेना। मैं यह कह रहा हूं कि गुंडागर्दी में चाहे कोई भी शामिल क्यों न हो। I am not distinguishing between one or the other. Anybody who is responsible for creating problem जो

पढ़ते कम है । कई तो प्रोफैशनल स्टूडैंट्स हैं। 10-10 साल से युनिवर्सिटी में हैं। कभी ये कोर्स कर दिया, कभी वो कोर्स कर दिया , They are professional students and are creating problems in the University, that will not be tolerated. यह मैं आज साफ करना चाहता हूं। It is the duty of the State to maintain law and order everywhere, including in the educational institutions.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी मैं आपके हित की ही बात कर रहा हूं।

Chief Minister: I am not yielding. तो अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ जो फैक्ट्स एण्ड फीगर्ज़ की बुकलैट है वह मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगा। जो मैंने बाकी

/1545/09.12.2014केएस/एजी/2

बोला है वह that will be part of the record of the House. रवि जी, अब आप अपना सुझाव दे सकते हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का गुणात्मक सुधार करना चाहते हैं तो जिस भी परिवार को जिस व्यक्ति को सरकारी खजाने से कोई पैसा जाता है,एक आदेश दें कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ें तो अपने आप ही सुधार हो जाएगा। यह मैं यहां पर सुझाव देना चाहता हूं कि सभी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएं तो अपने आप ही शिक्षा का स्तर ऊपर चला जाएगा। नम्बर वन पर हिमाचल जाएगा।

मुख्य मंत्रीः यह आप क्या सुझाव दे रहे हैं? अब मैं आपको एक सुझाव देता हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सही मायने में आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर जाए तो आप एक दिशा-निर्देश जारी करिए कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, पोलिटिशियन है या कोई भी है जिनको सरकारी खजाने से कोई पैसा

जाता है, वे सारे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं । कारण, किसी भी सरकारी अध्यापक का बेटा उसके अपने स्कूल में नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको खुद ही विश्वास नहीं है कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वह गुणात्मक शिक्षा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप डायरैक्शन दीजिए अपने आप ही शिक्षा में सुधार हो जाएगा ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रविन्द्र सिंह जी से कहना चाहूंगा कि आपका जो सजैशन है, अच्छा है और आप यह अच्छी नीयत से बोल रहे हैं। । accept it. मगर यही तो हैरानी की बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं, वे आज हाई सैलरी ले रहे हैं मगर उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में जा रहे हैं I This is a sad commentary not on the system in the institutions, but on

/1545/09.12.2014केएस/एजी/3

the conduct of those people. यानि जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं । बच्चे उनको क्या कहेंगें कि गुरू जी के अपने बच्चे तो और जगह पढ़ रहे हैं तो शायद यहां पढ़ाई ठीक नहीं होगी। इस किस्म

श्रीमती अ0व0 की बारी में---

9.12.2014/1550/ag-av/1

मुख्य मंत्री क्रमागत

इस किस्म की भावना पैदा होती है ,I fully agree. I will see to what extent it can be curbed.

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक कल बुधवार दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 9 दिसम्बर, 2014 **सचिव**